

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

20 मार्च, 1980

(प्रथम बैठक)

खण्ड 1, अंक 15

अधिकृत विवरण

विशय सूची

वीरवार, 20 मार्च, 1980

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(153)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(15)27
बीच आफ प्रिविलिज की सूचना	(15)28
ध्यानकर्षण सूचना	
(i) अंधे व्यक्तियों को रोजगार तथा शिक्षा में विशेष सुविधाएं देने संबंधी	(15)29
(ii) रावी नदि पर तीन बांध के निर्माण संबंधी	(15)29

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 20 मार्च, 1980

प्रथम बैठक

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ़ में 9.00 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

Mr Speaker: Hon. Member, Question Hour.

Grants of Private Colleges/Schools

***1473. Sh. Hira Nand Arya:** Will the Chief Minister be pleased to state-

- a) the number of Private Colleges and Schools at present in the State, the managements of which are unable to pay salaries to their staff; and
- b) whether there is any proposal under consideration of the Government to give them grants equivalent to the gap between their income and expenditure?

मुख्य संसदीय सचिव (श्रीमति भान्ति देवी):

(क) राज्य में कई प्राइवेट विद्यालय और महाविद्यालय ऐसे हैं जिनमें कर्मचारियों को वेतन की अदायगी नहीं हुई और इस प्रकार पिछले महीनों का वेतन देय है। हरियाणा में 352 प्राइवेट विद्यालय और 86 प्राइवेट महाविद्यालय हैं। यह सूचना उपर्युक्त संस्थाओं से अलग-अलग एकत्रित करके संचलित करने में जो समय और श्रम लगेगा उसकी तुलना में कोई अधिक लाभ नहीं होगा। कभी-कभी प्राइवेट विद्यालयों/महाविद्यालयों के स्टाफ से जांचा जाता है कि या तो कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा या उनके वेतन के बकाया पड़े हैं।

(ख) आराजकीय महाविद्यालयों/विद्यालयों को दिया जा रहा अनुरक्षण अनुदान उनकी आय तथा व्यय के अन्तर के 75% के बराबर कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त आराजकीय कालेजों को एक वर्ष विशेष के अनुरक्षण अनुदानों को कालेजों की आय में शामिल करने का प्रस्ताव सैद्धान्तिक रूप से मान लिया गया है।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, जो कमेटी मई, 1979 में मुकरर हुई थी, उसने कुछ सिफारिशें की थी, जिसमें प्राइवेट कालेजिज व स्कूलज में सर्विस कंडीशन को सुधारने के लिये भी सिफारिशें की थी। मैं सी० पी० एस० महोदय से जानना चाहता हूँ कि वे सिफारिशें क्या थीं और उन्हें लागू करने में क्या दिक्कत हैं?

श्रीमति भान्ति देवी: वे सिफारिशें में से एक सिफारिश यह भी थी कि इन प्राइवेट कालेजिज और स्कूलज को दी जाने वाली ग्रांट उनकी इन्कम न समझी जाये और उसे ग्रांट ही समझा जाये और इसे 1-4-79 से लागू किया जाये?

श्री अध्यक्ष: इस बारे में तो बता चुके हैं?

श्रीमति भान्ति देवी: इस बात को तो हम जवाब दे चुके हैं कि यह बात सैद्धान्तिक रूप से मान चुकी है।

डा० मंगल सैन: माननीय सी० पी० एस० महोदय ने यह बताया है कि जो उस कमेटी ने सिफारिशें की हैं, उन पर विचार हो रहा है। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि क्या इस बात पर भी विचार हो रहा है कि प्राइवेट स्कूलों के और कालेजों के अध्यापकों को ट्रेजरी से तनख्वाह दी जाये?

श्रीमति भान्ति देवी: स्पीकर साहब, यह कल मैं भी बता चुकी हूँ। यह मामला भी विचारधीन था लेकिन सरकार इसे मानने के लिये तैयार नहीं है।

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, चीफ पार्लियामैट्री महोदया ने यह बताया कि कई कालेजों और स्कूलों में रिआयत आती हैं कि उनके कर्मचारियों को टीचर्स को या प्रोफैसर्स को वेतन नहीं दिया जा रहा है। क्या वे वह बताने का कष्ट करेंगी कि जहां-जहां से रिआयत आयी है, वहां-वहां पर गवर्नमेंट ने इस मामले में क्या कदम उठाये हैं ताकि उन कर्मचारियों को वेतन मिल सके?

श्रीमति भांति देवी: अब तक हमारे नोटिस में ऐसा कोई मामला नहीं आया कि किसी प्राइवेट कालेज या स्कूल वालों ने किसी टीचर को या कर्मचारी को तनखाह देने से इन्कार कर दिया हो। अलबत्ता यह नोटिस में जरूर आया है कि गवर्नमेंट की ग्रान्ट में रहते हैं कि उन्हें मिले और कब वह उन्हें वेतन दें। ग्रान्ट मिलने के बाद तकरीबन हरेक मामला निपटा दिया जाता है।

चौधरी राम लाल वधवा: सी० पी० महोदया ने यह बताया है कि उन्हें उस कमेटी की सिफारिशें लागू करने में कोई रूकावट नहीं है लेकिन उन्होंने अभी तक लागू भी नहीं की है। क्या वे इस बात के लिये कोई डेट फिक्स करने के लिए तैयार हैं कि कब तक वे यह सिफारिशें लागू कर देंगे?

श्री अध्यक्ष: उन्होंने यह कहा है कि सिफारिशें तब अन्डर कंसिड्रेशन हैं और उनकी कोई मुश्किल नजर नहीं आती है कि वे लागू नहीं की जा सकती।

चौधरी राम लाल वधवा: मेरा सवाल यह है कि वह कब तक लागू कर देंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह: मैं सी० पी० एस० साहिब से यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट कालेज या स्कूल अपने स्टाफ को तनखाह न दें, क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि उनकी ग्रांट बन्द कर दी जाये?

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, मैं आपकी सवाल समझा नहीं। क्या आपका कहना यह है कि ग्रांट बन्द कर दी जाये?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, इसी बात की मददेनजर रखते हुए कि बहुत से प्राइवेट कालेज और स्कूल अपने प्रोफैसर्स को और मास्टर्स को तनखाह नहीं दे सकते, पहले जो ग्रांट 35 % दिया करते थे, उसे हमने बढ़ा कर कालेजों के लिए 75% कर दिया है। इसी तरह से हमने प्राइवेट स्कूलों के बारे में भी फैसला किया है कि उनकी भी 75% ग्रांट दिया करेंगे।

श्री भले राम: स्पीकर साहब, मैं सी० पी० एस० महोदया से पूछना चाहता हूँ कि क्या उनके नोटिस में यह बात है कि प्राइवेट स्कूलों और कालेजों वाले तनखाह तो कुछ देते हैं और उनसे लिखवाते कुछ हैं, अगर ऐसा है तो क्या ऐकान लिया गया है?

श्रीमति भान्ति देवी: स्पीकर साहब, रिटिकायतें तो आयी हैं लेकिन प्रमाणित नहीं हो पायी।

श्री फतेह चन्द विज: स्पीकर साहब, जैन साहब ने सी० पी० एस० महोदया से यह पूछा था कि क्या उस सिफारिश को कि ग्रान्ट को उनकी इन्कम न ट्रीट किया जायें, 1-4-1979 से लागू करेंगे? इस बात का तो जवाब नहीं दिया गया है। क्या सी० पी० एस० महोदया इस बात का जवाब देंगे?

श्रीमति भान्ति देवी: मैंने यह जवाब दिया था कि मामला विचारधीन है। उसे हम भीघ्र ही लागू कर देंगे लेकिन उस तिथि से लागू नहीं करेंगे जिस तिथि से इन्होंने पूछा है।

श्रीमति डा० कमला वर्मा: स्पीकर साहब, अभी सी० पी० एस० महोदया ने यह बताया है कि रिटिकायतें तो आयी थी कि प्राइवेट कालेजों और स्कूलों में कम तनखाह दी जाती है लेकिन लिखवायी ज्यादा जाती है लेकिन वे प्रमाणित नहीं हो पायी। मैं इनके नोटिस में यह लाना चाहती हूँ कि कौन सा अध्यापक है जो इस बात को प्रमाणित करने के लिये आगे आयेगा क्योंकि अगर कोई ऐसा करेगा तो मैनेजमेंट फौरन उसके खिलाफ एक रिटिकायतें लेंगी और उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा।

श्रीमति भान्ति देवी: जब तक कोई चार्ज साबित न हो, हम कैसे एक रिटिकायतें ले सकते हैं?

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, सी० पी० एम० साहिबा ने यह बताया है कि तनखाह न मिलने के बारे में कोई खास रिक्वायत उनके नोटिस में नहीं आयी। मैं उनके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि दिसम्बर में लोकसभा चुनावों से पहले प्राइवेट कालेज के प्रोफ़ैसर ने सब जगह तनखाह न मिलने के कारण हड़ताल की थी। क्या उनके नोटिस में यह बात है?

श्री अध्यक्ष: इन्होंने यह कहा है कि रिक्वायत तो आयी है लेकिन वे प्रूव नहीं हो सकी हैं।

श्री मूल चन्द जैन: वह तो इन्होंने तनखाह कम देने के बारे में कहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि दिसम्बर के महीने में लोक सभा चुनावों से पहले क्या प्राइवेट कालेजिज के प्रोफ़ैसर्स ने सब जगह हरियाणा में तनखाह न मिलने के कारण हड़ताल नहीं की थी?

चौधरी भजन लाल: यह बात जो इन्होंने बताई है, यह ठीक है। उनको ग्रान्ट न रिलीज होने के कारण वे अपने स्टाफ को तनखाह नहीं दे पाये थे। अब हमने उनकी ग्रान्ट रिलीज कर दी है, अब ऐसी कोई रिक्वायत नहीं है।

चौधरी रिजक राम: स्पीकर साहब, बात ऐसे है कि कुछ कालेजिज के प्रैजिडेंट्स या सैक्ट्रीज के खिलाफ अगर कोई रिक्वायत हो, तो ग्रान्ट रिलीज नहीं की जाती, जिसकी वजह से

वे अपने प्रोफ़ेसरों को तनखाह देने के लिये ग्रान्ट हर हालत में रिलीज कर दी जाया करें?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, हमने अब ऐसे आदेश जारी कर दिये हैं कि किसी भी कालेज की ग्रान्ट न रोकी जाये।

Free lift to school going Children

***1632. @ Sh. Fatch Chand Vij**

Master Shiv Prashad}: Will the Minister for Transport be pleased to state whether it is a fact that the Government has withdrawn the orders issued to the State Transport for giving free lift to the Children while going to and coming back from the Schools to their village; if not, whether any complaint has been received by the Government that the drivers do not give lift to Children; if so, the number of such complaints received during the period from 1-4-79 to 31-1-1980 and action, if any, taken thereon?

परिवहन मंत्री (श्री जगन नाथ):

(ए) नहीं।

(बी) हां, चार रिक्कायतें प्राप्त हुई थी और निम्नलिखित कार्यवाही की गई—

1. एक रिक्कायत पर चालक/परिचालक की चेतावनी दी गई।

2. तीन रिक्कायतों पर निर्धारित स्थानों निर्धारित स्थानों पर निरीक्षक नियुक्त किए गए ताकि वह देखे कि चालक स्कूल जाने वाले बच्चों को बसों में बिठाएं।

श्री फतेह चन्द विज: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में यह फरमाया कि चार रिक्कायतें आयी हैं। क्या मंत्री महोदय यह बताने की करेंगे कि क्या यह बात उनकी नालेज में हैं कि यह जनरल रिक्कायत लोगों की हैं कि बसें न तो स्कूल जाने के लिये बच्चों को ले जाती हैं और न ही उन्हें वापिस लाती हैं?

श्री जगन नाथ: यह बात हमारे नोटिस में हैं। हरेक हरियाणा का आदमी यह जानता है कि अगर बस पीछे से ही फुल हो, उसमें पहले से ही काफी बच्चे बैठे हो, और अगले स्टाप पर और बच्चे खड़े हो तो, यह सम्भव नहीं होता कि उन्हें भी वह बस ले जाये। हमने बच्चों की सहूलियत के लिए ज्यादा लोकल बसें लगाने की कोशिश की है। लेकिन स्टेट की जरूरत को ध्यान में रखते हुए हमारे पास इतनी बसें हैं ही नहीं जितनी हमें जरूरत है।

श्री जय नारायण वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूँ.....

श्री अध्यक्ष: ध्यान में लाने की बात नहीं है आप सवाल पूछिए।

श्री जय नारायण वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि कोई िाकायत आई हो यह मेरे ध्यान में नहीं है.....

श्री अध्यक्ष: ऐसा तो नहीं कहा है। इन्होंने तो कहा है कि मेरे ध्यान में है।

श्री जगन नाथ: स्पीकर साहब, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं है।

चौधरी हरस्वरूप बूरा: स्पीकर साहब, यह देखने में आया है कि जब बसें गांव के पास आकर रुकती हैं तो कोई मरतबा बच्चे छतों पर चढ़ जाते हैं। क्या मंत्री महोदय ऐसा आर्डर करने की कृपा करेंगे कि किसी भी बस की छत पर कोई बच्चा न बैठाया जाए जिससे कि उनको कोई नुकसान न पहुंचे?

श्री जगन नाथ: स्पीकर साहब, हम तो नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा बस की छत पर बैठे। लेकिन देखने में यह आया है कि जैसे ही कोई बस रुकती है, बच्चे उसमें चढ़ना भुरु कर देते हैं। बस पीछे से भरी होती है और इसमें जगह कम होती है इसलिए बच्चे खिड़कियों से, ड्राइवर वाली सीट से अन्दर घूस जाते हैं और कुछ बसों की छतों पर चढ़ जाते हैं। स्पीकर साहब, बच्चे अनगिनत होते हैं और उनको कंट्रोल करने में हम सबका सहयोग चाहिए। हमने उनको काफी समझाया है लेकिन वे मानते

ही नहीं हैं। हमने स्कूलों और कालेजों में जाकर समझाया है और उनकी यूनियन को भी मिला हूँ और उनको समझाया है कि कम से कम लड़के बसों की छतों पर चढ़ा करें। स्पीकर साहब, इससे काफी नुकसान होता है। एक तो हमारी बसें टूट जाती हैं, भीगे टूट जाते हैं और दूसरे उन लड़कों की जान का खतरा रहता है। इसलिए इस चीज में हमको सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष: मामला ऐक्सट्रीम पर ही लगता है। एक तरफ तो यह दिखाया है कि लड़कों को बस में नहीं चढ़ाया जाता और दूसरी तरफ इतना कोआप्रेसन है कि छतों पर भी चढ़ा लेते हैं। ऐसा लगता है कि मामला ठीक ही चल रहा है।

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, एक बात की सबको जानकारी है कि कालिज में लड़कियाँ गाँव से पढ़ने जाती हैं। वे सुबह जाती हैं और भाम को वापिस आती हैं। भाम को इतनी भीड़ हो जाती है कि उन लड़कियों का बस में चढ़ना और बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या मंत्री महोदय बसों में कुछ सीटें उन छात्राओं के लिए रिजर्व करने की कृपा करेंगे ताकि उनको बसों में बैठने की सुविधा हो सके?

श्री जगन नाथ: स्पीकर साहब, सजैबान तो अच्छी बात है। हम कोशिश तो करते हैं कि लड़कियों के लिए अगल सीटें हो जाएँ लेकिन बीस तीस लड़के बस में चढ़ जाते हैं उस हालत

में लड़कियों का बैठना मुश्किल हो जाता है। हमने एम0 एल0 एज0 के लिए भी सीटें रिजर्व की हुई हैं।

श्री अध्यक्ष: क्या इस वक्त लेडीज के लिए बसों में कोई सीट रिजर्वड है?

श्री जगन नाथ: इस वक्त नहीं है लेकिन विचार कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: आप लेडीज को एम0 एल0 ए0 के साथ इक्वेट करके उनके लिए सीटें रिजर्व कर दें।

श्री जगन नाथ: स्पीकर साहब, लड़के नहीं मानते, हम तो कोशिश करते हैं।

श्री मूल चन्द मंगला: स्पीकर साहब, पिछले साल फरीदाबाद में हरियाणा रोडवेज की दो बसें कालिज के लड़को ने जला दी थी और इसका कारण यह था कि वहां पर बस स्टैंड नहीं था और ड्राइवर बसों को रोकते नहीं थे। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या वहां परी सरकार ने कोई बस अड्डा बना दिया है जिससे कि वहां पर बसें रुकें और कालिज के लड़के बसों में जा सकें?

श्री जगन नाथ: स्पीकर साहब, यह अलग बात है। नोटिस दे दें जवाब दे दिया जाएगा।

खाद्य तथा पूर्ति मंत्री (चौधरी गजराज बहादूर नागरः
स्पीकर साहब, इस मामले को मैंने टेक-अप किया था और इसलिए मैं आपकी इजाजत से इस सवाल का जवाब दे देता हूँ।
स्पीकर साहब, यह ठीक है कि वहाँ पर दो बसें जला दी गई थी लेकिन उनको जलाने का कारण कुछ और था। अब हरियाणा ने और डी0 टी0 सी0 ने बाकायदा वहाँ पर बस स्टैंड बना दिया है।

चौधरी पीर चन्दः स्पीकर साहब, बस ड्राइवर्ज बसों को बस स्टैंड पर नहीं रोकते उनके आगे पीछे रोकते हैं, इससे सवारियों को काफी परेशानी होती है। क्या मंत्री महोदय इस प्रकार की हिदायतें जारी करने की कृपा करेंगे कि बसों को बस स्टैंड पर रोका जाए?

श्री जगन नाथः स्पीकर साहब, आगे और पीछे रोकने का कारण यह है कि बस पीछे से काफी भरी होती है और उसमें बैठने की जगह नहीं होती है। अगले बस अड्डे पर भी साठ सत्तर सवारियां खड़ी होती हैं, वे जबरदस्ती बस में चढ़ जाती हैं और बस के ड्राइवर और कंडक्टर को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। स्पीकर साहब, इस साल कुछ और बसें ऐड हो जाएंगी जिसने समस्या कुछ हल हो जाएगी।

चौधरी रिजक रामः अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि बच्चे जबरदस्ती बसों में चढ़ जाते हैं और वे बसों की खिड़कियां और भी तोड़ देते हैं। लड़कियों के लिए सीट रिजर्व करने की

बात भी कही गई और कहा गया लड़के उनको बैठने नहीं देते। इन हालात को देखते हुए या तो जबरदस्ती फ़ैमिली प्लानिंग की जाए, या हर देहात में कालिज खोल दिए जाएं या लड़के लड़कियों को कालिज में पढ़ने न दिया जाए ताकि वे बसों में न जाएं।

श्री जगन नाथ: * * * * *

* * * * *

डा० मंगल सैन: * * * * *

* * * * *

श्री जगन नाथ: * * * * *

* * * * *

श्री अध्यक्ष: यह सारा रिकार्ड न किया जाए।

श्री मूलचन्द जैन: स्पीकर साहब, यह सवाल बच्चों को फ्री ले जाने के बारे में था और इस सवाल को बिल्कुल कंप्यूज कर दिया गया है। यह स्कीम प्रताप सिंह कैरों के जमाने से चल रही है और इसके अन्दर पंजाब और हरियाणा में स्कूल के बच्चों को फ्री ले जाया जाता है और सवाल में यह विधायक की गई थी कि हरियाणा रोडवेज की बसें उनको बिठाती नहीं हैं। स्पीकर साहब, यह सवाल कालिज स्टूडेंट्स का नहीं है, स्कूल स्टूडेंट्स का है। हरियाणा रोडवेज की बसों में बच्चे तीन, चार या पांच नहीं हैं, स्कूल स्टूडेंट्स का है। हरियाणा रोडवेज की बसों में बच्चे जाते

नहीं हैं। इस बात को देखते हुए क्या मन्त्री महोदय हिदायते जारी करेंगे कि उन बच्चों को अवय ही बिठाया जाए?

Mr. Speaker: The Hon. Minister has replied that the orders to give free lift to school going children have not been withdrawn.

श्री जगन नाथ: स्पीकर साहब सभी को फ्री ले जाया जाता है लेकिन ज्यादा लड़के होने की वजह से थोड़ी दिक्कत होती जाती है।

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब मेरे बारे में जो कुछ कहा गया था उसको आप कार्यवाही से निकलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष: डाक्टर साहब, वह रिकार्ड नहीं किया गया है।

Land declared surplus under the Haryana Ceiling on Land

Holdings Act, 1972.

1700. Captain Mange Ram: Will the Minister for Revenue be Pleased to state-

- a) the village-wise total area of land declared surplus in Jhajjar Constituency under the Haryana Ceiling on Land Holdings Act, 1972,
- b) The area out of the total area of land referred to in part (a) above so far allotted to the landless persons/Scheduled castes; and

c) whether the possession of the land referred to in part(b) above has actually been given to all the allottees; if no, the reasons therefor and the time by which the said possession is likely to be given to the allottees concerned?

राजस्व मंत्री (चौधरी भोर सिंह): विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है

विवरण

(ए)	ग्राम का नाम	सरप्लस घोशित क्षेत्र
1	बैरमपुर	6 एकड़
2	मुन्दहड़ा	6 एकड़
3	खेड़ी तालका पाटौदा	12 एकड़
	कुल	24 एकड़

(बी)	भूमिहीन व्यक्ति		अनुसूचित जाति के सदस्य	
	क्षेत्र	अलाटियों	क्षेत्र	अलाटियों

		की संख्या		की संख्या
	15 एकड़	12 व्यक्ति	9 एकड़	8 व्यक्ति

(सी) 14 अलाटियों को उनको अलाट की गई हैं 18 एकड़ भूमि का कब्जा दिया जा चुका है। भोश 6 एकड़ के 6 अलाटी अलाट जुद्धो भूमि का कब्जा लेने के इच्छुक नहीं हैं।

कैप्टन मांगे राम: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने जवाब में बताया है कि सूचना सदन के पटल पर रखी हुई है। स्पीकर साहब, मैंने अपने सवाल में यह पूछा था कि झज्जर कांस्टीटुएँसी में कितनी जमीन सरप्लस डिक्लेयर हुई है। स्पीकर साहब इन्होंने जवाब में बताया है कि पन्द्रह एकड़ भूमि बारह भूमिहीनों व्यक्तियों को अलौट की गई और नौ एकड़ भूमि आठ अनुसूचित जाति के लोगों को दी गई है और आगे इन्होंने कहा है कि छः अलाटी ऐसे हैं जो अलाट जुदा भूमि का कब्जा लेने के इच्छुक नहीं हैं। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो पोजै उन नहीं लेना चाहते हैं?

चौधरी भोर सिंह: स्पीकर साहब, बैरमपुर गांव में छः एकड़ भूमि सरप्लस डिक्लेयर की गई थी लेकिन वह जमीन रैतीली है और वह खराब है इसलिए उसको वे लोग जिनको अलौट की गई है, लेना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: जमीन न लेने का कारण यह भी हो सकता है कि बिलेज इंडस्ट्री पिक अप कर रही हैं इसलिए धूल के साथ कोई कुंती न लड़ना चाहता होगा।

कैप्टन मांगे राम: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अगर वे लोग नहीं लेना चाहते तो उस जमीन को किसी और से दरखास्त लेकर अलौट करने की कृपा करेंगे?

चौधरी भोर सिंह: जरूर देंगे। स्पीकर साहब, इसका कुछ टाइम होता है, उस पीरियड के खत्म होने पर पहली पार्टी को नोटिस दे कर किसी दूसरे को दे देंगे।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: स्पीकर साहब, यह जमीन की सरप्लस का मामला सारे हरियाणा में एक क्रोनिक डिजीज बन चुका है जिसके कारण किसानों और हरिजनों में काफी खून खराबे हो रहे हैं। स्पीकर साहब, हरिजनों का एकाध किल्ले से कुछ बनने वाला नहीं है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार हरिजनों को ज्यादा से ज्यादा भूमि अलौट करने का विचार रखती है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार हरिजनों को जमीन देने के लिए जमीन को वायेबल यूनिट बनाएगी और इस बीमारी को सदा के लिए काट देगी?

चौधरी भोर सिंह: स्पीकर साहब, पोहलू साहब तो पालिसी डिजीजन पर बात कर रहे हैं इस प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

चौधरी हुक्म सिंह: स्पीकर साहब, जो सरप्लस लैन्ड भूमिहीन किसानों और हरिजनों को एक आध एकड़ भूमि सरकार की तरफ से अलाट की जाती हैं वह बहुत थोड़ी हैं और उससे गरीब हरिजनों और भूमिहीनों का गुजारा भी नहीं हो पाता। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार भूमिहीनों को कम से कम 1 हैक्टेयर भूमि अलाट करने का विचार रखती है ताकि उनका कुछ न कुछ गुजारा हो सके।

Mr. Speaker: I think, it is a very good question.

चौधरी भोर सिंह : स्पीकर साहब, हम को पता है कि करते हैं कि भूमिहीनों को ज्यादा से ज्यादा भूमि अलाट की जा सके। यह तो आपको पता है कि इतनी ज्यादा जमीन सरकार के पास है ही नहीं कि सब को ज्यादा भूमि अलाट की जा सके। एक एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक भूमि दी जाती है। सरकार का यह सदा प्रयत्न रहा है कि जितनी जमीन अवेलेबल हो, उतनी ज्यादा से ज्यादा अलाट की जाए।

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत यह कहना चाहता हूँ कि जब हम कालका से मोरनी हिल्ज की तरफ जाते हैं तो रास्ते में देखते हैं कि हजारों एकड़ भूमि सरप्लस पड़ी है और उस जमीन को एक एम0 एल0 ए0 ने दबा रखा है। क्या सरकार उस जमीन को सरप्लस डिकलेयरन करके भूमिहीनों में बाटने पर चिार करेगी जिससे कि गरीब लोगों को उसका फायदा हो सके?

चौधरी भोर सिंह: स्पीकर साहब, ऐसी कोई जमीन सरप्लस नहीं हैं जोकि किसी ने दबा रखी हो।

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, ये गलत कह रहे हैं। अगर ये चाहें तो मैं उस एम0 एल0 ए0 का नाम भी बता सकता हूँ।

श्री अध्यक्ष: मैं आनरेबल मैम्बर से यह रिकवेस्ट करूंगा कि जो आदमी असैम्बली के अन्दर हो उसका नाम अन्दर हाजिर न हो, उसका नाम न लिया जाए।

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि 24 एकड़ कब सरप्लस हुई और कब अलाट की गई?

चौधरी भोर सिंह: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में तीन एक्ट लागू हैं। पहला 1953 का, दूसरा पैप्सू टेनेन्सी एक्ट और फिर 1972 का एक्ट था। 1953 के एक्ट के तहत 1 हजार 46 एकड़ भूमि सरप्लस निकली थी और अब 1972 के एक्ट के तहत 24 एकड़ भूमि सरप्लस निकली हैं।

सरदार सूखदेव सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत अपनी सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि चौधरी देवी लाल जी ने जितने आदमी रि तेदारों को सरप्लस जमीन गलत तरीके से अलाट कर दी थी क्या उसकी इंकवायरी करवा करते वह जमीन उन से वापिस लेकर के भूमिहीनों किसानों को बांटी जाएगी?

Mr. Speaker: I would request the Hon. Memembers not to make any allegations aganst the persons who arew not persent in the House.

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, दलाल साहब ने अभी अपने सवाल में किसी एम० एल० ए० या एक्स एम० एल० ए० के बारे में यहां पर कहा कि उनके पास हजारों एकड़ जमीन हैं जो उन्होंने गलत ढंग से दबा रखी हैं और अब सरदार सुखदेव सिंह जी ने चौधरी देवी लाल जी नाम लिया कि उन्होंने अपने रि तेदारों को काफी सरप्लस जमीन अलाट कर रखी हैं। इस बारे में मैं हाउस को यह वि वास दिलाता हूँ कि चाहे कितना बड़ा जमींदार क्यों न हो, कोई एम० एल० ए० हो या एक्स एम० एल० ए० हो, या कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो, उसकी इंकवायरी करवाई जायेगी और अगर कोई सरप्लस जमीन होगी तो वह जमीन सरप्लसस डिक्लेयर करके छः महीनों के अन्दर—अन्दर भूमिहीनों को अलाट कर दी जाएगी।

चौधरी ई वर सिंह: स्पीकर साहब, मैं भी लैन्ड रिक्लेमे ान कमेटी का मैम्बर रहा हूँ। सिरसा, डबवाली और दूसरी कई जगहों पर लोगों ने अपने कुत्ते, बिल्लियों के नाम जमीन अलाट करवा रखी हैं, किसी भी आदमी के नाम कोई जमीन नहीं हैं। क्या सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती हैं और जो इस तरह की जमीन होगी क्या सरकार उस जमीन का भूमिहीनों को छः महीने की बजाये 1 महीनों में ही अलाट करने का प्रयत्न करेगी?

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब आ चुका है कि छः महीने के अन्दर—अन्दर ऐसी जो सरप्लस जमीन होगी वह भूमिहीनों में तकसीम कर दी जाएगी।

चौधरी ई वर सिंह: स्पीकर साहब, इसके साथ—साथ मेरा और भी कहना है कि लोगों ने कई जगहों पर बाग दिखा रखे हैं पर वास्तव में वहा पर कोई बाग है ही नहीं। इसलिये मेरा सरकार को सुझाव है कि छः महीनों का टाईम तो कार्यवाही करने के लिये बहुत ज्यादा है, एक महीने में कार्यवाही की जानी चाहिये।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इस काम के लिये मैंने आखरी समय 6 महीने का दिया है। अगर माननीय सदस्य ऐसी कोई बात हमारे नोटिस में ला दें तो उसकी पूरी कोशिश करेंगे कि इन्कवायरी करवाई जाए और हरके के साथ इन्साफ करेंगे और जिन लोगों ने इस तरह से हेराफेरी करके कुत्ते—बिल्लियों के नाम जमीन हथियाई होगी उन से वापिस लेकर के भूमिहीनों में वह जमीन बांट दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष: मुख्य मंत्री ने इस बारे में साफ अ योरेंस दिया है। इसके साथ—साथ मैं भी एक सुझाव दूंगा कि मास्टर हुकम सिंह जी ने जो सवाल किया है कि एक आदमी को एक आध एकड़ भूमि अलाट कर दी जाए तो उससे उसका काम नहीं चलता इसलिये कम से कम हरके भूमिहीनों को एक—एक हैक्टेयर

भूमि जरूर सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए इस की और भी सरकारी को तवज्जोह देनी चाहिये। मास्टर जी का यह सुझाव बड़ा उचित है।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, कोशिश तो हमारी यही है कि हरेक आदमी जोकि भूमिहीन है, उसको एक-एक हेक्टेयर भूमि दी जाए लेकिन आप देखें जैसे एक गांव में केवल 10 एकड़ भूमि सरप्लस हो और वहां हरिजनों के 10 घरों होती उन को एक-एक एकड़ ही हिस्से आएगी। हरेक हरिजनों यह चाहता है कि उसे काम से कम एक एकड़ भूमि तो अब य मिले ताकि वह अपने आपको हमारे पास कह सकें और उसे गांव में बसने का हक हो सके। इसलिये जितनी जमीन हमारे पास होती है, हम उसी के हिसाब से तकसीम करते हैं लेकिन हम यह चाहते हैं कि एक आदमी को कम से कम अढ़ाई एकड़ जमीन अलाट की जाए।

श्री गुलजार सिंह: स्पीकर साहब, इन्होंने अपने जवाब में बताया कि 6 व्यक्ति भूमि का कब्जा लेने के लिये तैयार नहीं हैं। कई जगहों पर ऐसा सुननु में आया है और सरकार के नोटिस में भी भायद होगा कि कागजों में तो कब्जा दिखा दिया जाता है और कहते हैं कि कब्जों दे दिया गया है और वास्तव में कब्जा दिया नहीं होता और जो बड़े-बड़े ताकतवर जमींदार हैं, वे उन गरीब भूमिहीनों को धमकाते हैं जिससे वे कब्ज नहीं ले सकते। क्या सरकार इस बात की इन्कवायरी करवाएगी और उन लोगों के

खिलाफ एकान लेगी जोकि उन गरीब भूमिहीनों को कब्जा लेने से रोकते हैं?

चौधरी भोर सिंह: स्पीकर साहब, यह बात तो ठीक है कि जो पावरफुल जमीदार हैं व गरीब आदमियों को वहां जाने नहीं देते लेकिन फिर भी हमने इस बात की रोकथाम के लिये पूरा इन्तजाम कर रखा है कि पुलिस की सहायता से गरीब आदमियों को मौके पर जा कर के कब्जा दिलवाया जाए। इसके साथ मैं यह बता देना चाहता हूँ कि इस कब्जा पहले देते हैं और पैसा उसका बाद में लेते हैं।

श्रीमति सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने सवाल के उत्तर में यह बताया है कि छः ऐसे व्यक्ति हैं जोकि कब्जा लेने के इच्छुक नहीं हैं। इसका कारण यह पता चला है कि सरकार की तरफ से कईयों को जोहड़ वर्ग रह की जमीन दे दी गई है, जोकि का त के योग्य नहीं हैं। क्या मंत्री महोदय ऐसा कोई उपाय ढूँढेंगे कि लोगो को इस तरह की जमीनें अलाट न की जाए जोकि का त के योग्य न हों क्योंकि जब एक बार ऐसी जमीन अलाटी के नाम आ जाती है तो फिर दोबारा कोई जमीन अलाटी को अलाट नहीं हो सकती?

चौधरी भोर सिंह: अध्यक्ष महोदय, जो जमींदार होते हैं उनको डिक्लेरेटान फार्म भरना पड़ता है। उसमें वह लिखता है कि उसने कौन सी जमीन रखनी है और कौन सी जमीन छोड़नी

चाहता है। जो जमीन का त के काबिल नहीं है, वह उसमें नहीं आती है।

Declaration of surplus exempted land

***1659. Sh. Mool Chand Jain:** Will the Minister for Revenue be pleased to state-

- a) the total area of the exempted land out of the land declared surplus upto 31.12.1979 that has been purchased by tenants and the total area so exempted in favour of the inheritors;
- b) whether any stay orders granted in respect of the surplus land have been vacated; if so, whether that land has been allotted to the eligible persons; if so, whether that land has been allotted to the eligible persons; if so, the steps, if any, taken to get the stay orders vacated;
- c) whether physical possession has been delivered to the allottees of surplus land; if so, the total area of that land and the number of allottees thereof; and, if not, steps, if any, taken upto now to deliver the physical possession; and
- d) whether mutations have been sanctioned in favour of the allottees of the surplus land as referred to in part (b) above; if not the reasons therefor?

e) Mr. Speaker: *Extension has been asked for in respect of this question which has been granted. Communication received from the minister concerned in this connection reads as under:-

“Sher Singh Revenue Minister

Haryana, Chandigarh.

D.O.No.660-AR(I)-80/10345

18.3.80

Subject: Starred Assembly Question No. 1659 regarding surplus land.

My dear Col. Sahib ji,

The Starred Assembly Question No. 16659 asked by Sh.Mool Chand Jain, M.L.A. has been fixed on 20 th March, 1980. The reply to the Assembly Question is not ready as the required information is awaited from the Deputy Commissioners.

2. I Shall be grateful if you kindly extend the time for answering the question under Rule 46(ii) of the Rules of Procedure and Counduct of Busines in the Haryana Legislative Assembly. The question may be included in the list of questions for any date after a fort-night.

with regards.

yours sincerely,

Sd/-

Sher Singh

Sh. Ram Singh,
Speaker, Haryana Vidhan Sabha,
Chandigarh,”
Ayurvedic Dispensaries

***1529. Sh. Bhagi Ram:** Will the Chief Minister be pleased to state

the district-wise total number of Ayurvedic Dispensaries in Haryana at present;

the district-wise number of Ayurvedic Dispensaries opened after July, 1979; and

whether there is any proposal under consideration of the Government to open Ayurvedic Dispensaries in district Sirsa; if so, the time by which it is likely to materialise?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क)	जिला	
1	हिसार	36
2	रोहतक	30
3	कुरुक्षेत्र	28

4	महेन्द्रगढ़	29
5	जीन्द	22
6	अम्बाला	30
7	करनाल	32
8	गुडगांव	28
9	सोनीपत	11
10	भिवानी	33
11	सिरसा	16
12	फरीदाबाद	14
	कुल	309
ख	जिला	
1	हिसार	12
2	रोहतक	7
3	कुरुक्षेत्र	4
4	महेन्द्रगढ़	3

5	जीन्द	4
6	अम्बाला	9
7	करनाल	8
8	गुडगांव	4
9	सोनीपत	3
10	भिवानी	3
11	सिरसा	1
12	फरीदाबाद	
	कुल	58

(ग) नहीं ।

श्री भागी राम: अभी मुख्य मंत्री महोदय जी ने बताया कि हिसार में 36 डिस्पेंसरीज पहले थीं और 12 और जुलाई 1979 के बाद खोली गई हैं लेकिन सिरसा में पहले 16 थीं और जुलाई 1979 के बाद केवल डिस्पेंसरी और खोली गई हैं। क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि हिसार में जो इतनी ज्यादा डिस्पेंसरीज खोली गई हैं ये कही इसलिए तो नहीं खोली गई कि इनका अपना हल्का भी हिसार में आता है और इस तरह से ये

अपने हल्गके को ज्यादा प्रैफरेंस दे रहे हैं और सिरसा को पीछे रखा जा रहा है?

चौधरी भजन लाल: ऐसी बात नहीं है। हिसार में पहले 24 डिस्पेंसरीज थी और अब कुल 36 हैं। हिसार जिला हरियाणा का सब से बड़ा जिला है इसलिए 12 और खोली है। हिसार जिला तो अभी दूसरे जिलों के बराबर नहीं आया है अगर जरूरत हुई तो अगले साल भी उसमें और खोली जाएंगी।

चौधरी राजेंद्र सिंह: सदन में दी गई सूचनार से पता चलता है कि फरीदाबाद में जितनी डिस्पेंसरीज हैं वे बहुत कम हैं। क्या मुख्य मंत्री महोदय मंत्री जी आने वाले सालों में इस कमी को पूरा करेंगे?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद पहले गुडगांव जिले का पार्ट होता था। पिछले साल से यह जिला बना है इस जिले का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा और अगर अगले साल और डिस्पेंसरीज खोलने की जरूरत हुई तो ध्यान रखेंगे।

श्री देवी दास: अभी मुख्य मंत्री जी ने बताया है कि सोनीपत में कुल 11 डिस्पेंसरीज हैं। स्पीकर साहब सोनीपत में इनकी संख्या सब जिलों से कम है। क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने का कश्ट करेंगे कि वहां और डिस्पेंसरीज नहीं है क्या सरकार वहां पर डिस्पेंसरीज खोलने की कृपा करेंगे?

चौधरी भजन लाल: सोनीपत जिले में इस वक्त 11 डिस्पेंसरीज हैं और अगले साल अगर जरूरत समझी गई तो इसका ध्यान जरूर रखेंगे।

श्री कन्हैया लाल पोसवाल: स्पीकर साहब, अम्बाला जिला में खादर का एरिया है वहां पर आम तौर से यमुना से नुकसान होता रहता है। यहा पहाड़ी एरिया है जो कालका से लेकर छछरौली तक है। इस एरिया में कोई डिस्पेंसरी नहीं है क्या सरकार वहां पर डिस्पेंसरीज खोलने की कृपा करेंगी?

चौधरी भजन लाल: अम्बाला जिला में पिछले साल हमने 9 डिस्पेंसरीज खोली थी और 21 वहां पर पहली ही थी। इस प्रकार अम्बाला जिला में कुल 30 डिस्पेंसरीज हैं। अगले साल खादर के एरिया का जरूर ध्यान रखेंगे और वहां पर डिस्पेंसरीज खोलने की चेष्टा करेंगे।

चौधरी गंगा राम: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूं कि हरियाणा में हर ब्लाक लैवल पर प्राईमरी हैल्थ सेंटर हैं लेकिन गोहाना एक ऐसा ब्लाक है जिसमें कोई प्राईमरी हैल्थ सेंटर नहीं है....

श्री अध्यक्ष: यह सवाल तो आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज के बारे में है।

चौधरी गंगा राम: स्पीकर साहब मैं बताना चाहता हूं कि हर ब्लाक में प्राईमरी हैल्थ सेटर हैं लेकिन गोहाना में नहीं है।

पीछे चौधरी देवी लाल ने भैसवाल में प्राइमरी हैल्थ सेंटर मजूर किया था, क्या अब मुख्य मंत्री जी उसको बनाएंगे?

चौधरी भजन लाल: चौधरी देवी लाल जी ने अगर कोई ऐसी अलाउन्समेंट की थी तो उसको देख लेंगे और अगर जरूरत हुई तो खोलने की कोशिश करेंगे।

श्री बीरेन्द्र सिंह: क्या मुख्य मंत्री महोदय बताएंगे कि जुलाई 79 के बाद जो हिसार जिल में 12 डिसपेंसरीज खोली गई हैं ये किस-किस हल्के में खोली गई हैं?

चौधरी भजन लाल: जो सवाल था उसमें जिलेवार सूचना मांगी हुई थी। अगर मੈम्बर साहब हल्के वाइज या गांव वाइज सूचना चाहते हैं तो अलग से नोटिस दे दें हम बता देंगे।

चौधरी राम लाल वधवा: क्या मुख्य मंत्री जी बताएंगे कि इन्होंने जो फिगरज दी हैं, इनमें बड़ी बेरिएशन है यानी किसी जिले में ज्यादा हैं और किसी में कम हैं। मैं यहा जानना चाहता हूं कि डिसपेंसरीज खोलने का क्राइटेरिया क्या हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे कांस्टीच्यूएन्सी वाइज स्कूल अपग्रेड किये गये थे, क्या उस तरह से दो-दो या तीन-तीन डिसपेंसरीज का नम्बर फिक्स करके हर एक कांस्टीच्यूएन्सी में खोली जाएगी?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, 34-35 हजार की आबादी पर एक डिसपेंसरी खोली जाती हैं। अगर इस से कहीं पर कमी हैं तो उसे अगले साल दूर करने की कोशिश करेंगे।

Manis set up bny the Agricultural Marketing Board

***1587. Ch. Ram Lal Wadhwa:** Will the Minister for Agrticulture be pleased to state-

- a) the total number of Mandis set up by the State Agricultural Marketing Board since its constitution to-date together with the locations thereof in the State; and
- b) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up new Mandis in the State' if son, the names of places where these are proposed to be set up?

Agriculture Minister (Sardar Tara Singh):

(a) 30. Location are indicated in Annexure I.

(b) Yes. Location are mentioned in Annexure-II.

S.No.	Place	Market Committee
DISTRICT AMBALA		
1	Sabhaura	Sabhaura
2	Shahzadpur	Naraingarh
3	Bilaspur	Chhachhrauli
4	Kalka	Kalka
5	Khizrabad	Chhachhrauli

6	Naneola	Naneola
KARNAL		
7	Jundla	Karnal
8	Madlauda	Madlauda
9	Israna	Madluada
KURUKSHETRA		
10	Dhand	Dhand
11	Fatehpur Pundir	Fatehpur Pundir
12	Ladwa	Ladwa
13	Radwa	Radwa
14	Arnauli	Cheeka
JIND		
15	Safidon	Safidon
16	Narwana	Narwana
HISAR		
17	Balsamand	Hisar
18	Bass	Hansi
19	Barwala	Barwala
GURGAON		

20	Farrukhnagar	Gurgaon
21	Sohna	Shohna
22	Hassanpur	Hodel
23	Hodel	Hodel
MOHINDERGARTH		
24	Rewari	Rewari
25	Mohindergarth	Mohindergarth
ROHTAK		
26	Rohtak	Rohtak
27	Kalanaur	Rohtak
SONEPAT		
28	Kharhoda	
BHIWANI		
29	Jui	Jui
30	Behal	Behal

ANNEXURE-II

S.No.	Place	Market Committee
DISTRICT AMBALA		

1	Ambala Cantt.	Ambala Cantt.
2	Raipur Rani	Raipur Rani
3	Barara	Barara
4	Jagadhri	Jagadhri
5	Chhchhrauli	Chhchhrauli
KARNAL		
6	Sanauli	Karnal
7	Gharaunda	Gharaunda
8	Panipat	Panipat
9	Kunjpura	Karnal
KURUKSHETRA		
10	Ismailbad	Ismailbad
11	Sewan	Sewan
12	Shabad	Shabad
13	Jhansa	Jhansa
14	Ajrana Kalan	Ajrana Kalan
15	Thanesar	Thanesar
16	Pipli	Pipli
HISAR		

17	Mundal	Hansi
18	Tohana	Tohana
GURGAON		
19	Firozpur Zhirka	Firozpur Zhirka
20	Punchana	Punchana
21	Nagina	Firozpur Zhirka
22	Tauru	Tauru
23	Badshabpur	Sohna
24	Pataudi	Pataudi
25	Mohna	Ballabgarth
26	Tigaon	Farodabad
MOHINDERGARH		
27	Kanina	Kanina
28	Kund	Rewari
29	Bawal	Rewari
30	Nagal Chaudhry	Narnaul
SIRSA		
31	Baragudha	Sirsa
32	Maleka	Sirsa

ROHTAK		
33	Bahadurgarth	Bahadurgarth
34	Badli	Jhajjar
SONEPAT		
35	Gannaur	Gannaur
BHIWANI		
36	Siwani	Siwani

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, जिला करनाल में काछवा एक बहुत बड़ी जगह है और उसके इर्द गिर्द भी बहुत गांव हैं तो क्या वहां पर मंडी खोलने पर विचार करेंगे?

सरदार तारा सिंह: अभी तक वहां मंडी खोलने के लिये प्रस्ताव अंडर कसिड्रे गन नहीं हैं। अगर उसकी वायबिलिटी बताई जाएगी तो जरूर खोलने की कोशिश की जाएगी।

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, मेरे पूरक प्रश्न का सीधा संबंध तो इससे नहीं है परन्तु इस विभाग से संबंध जरूर है.....

Mr. Speaker: I would request the hon'ble Member to confine his supplementary question to the question asked.

डा० मंगल सैन: * * *

मुख्य मंत्री चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जो बात डा0 साहब ने कही हैं यह मामला हाई कोर्ट में हैं। वैसे भी यह सवाल तो मंडियों के बारे में हैं। इसलिये जो बात डा0 साहब ने कही हैं वह रिकार्ड पर नहीं आनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: ठीक हैं वह बात रिकार्ड न की जाए।

चौधरी रिजक राम: स्पीकर साहब, इन मंडियों में जिला सोनीपत में खरखौदा मंडी का जिक्र आया हैं लेकिन इसके अलावा तीन गांव ऐसे हैं जहां मंडियों लगती हैं। इन गावों के नाम हैं नारा बीसवां मील, मोहाना और खुबडू। इन गावों में पिछले तीन चार साल से बाकायदा मंडी की भाकल में माल बेचा जाता हैं। क्या वहां मंडियों बनाने के लिये जल्द कदम उठाए जाएंगे?

सरदार तारा सिंह: वैसे तो, जितनी भी मंडियों अंडर कंसीड्रै इन हैं उसकी सूचना मैंने अनैक चर दो में दे दी हैं। मंडियों की तजवीज बनाने से पहले यह देखा जाता हैं कि वहां अनाज कितना आता हैं या कितना इकट्ठा हो सकता हैं दूसरी बात यह देखी जाती हैं कि वहां पर पानी की सुविधा कैसी हैं। अगर आनरेबल मैबर यह बताएं कि किसी जगह पर ये भार्ते पूरी है तो हम विचार जरूर करेंगे।

श्री मांगे राम गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जी ने अपने सवाल के जवाब में जींद जिले के लिए दो नई मंडियों की प्रपोजल रखी हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जींद की

मंडी बहुत पुरानी हैं वहां पर गेहूं और जीरो के टाईम पर अनाज रखने के लिए जगह नहीं रहती हैं और यह बात सरकार के नोटिस में भी है, क्या वहां पर नई मंडियो बनाने की कोई प्रपोजल सरकार के विचारधीन हैं?

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, 3-4 किस्म की मंडिया होती हैं। कुछ ऐसी मंडिया हैं जोकि प्राइवेट मंडियां हैं, कुछ कालोनाइजे इन डिपार्टमेंट ने बना रखी है और कुछ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वालों ने बना रखी हैं। हमारे माननीय सदस्य जींद के बारे में बात कर रहे हैं वह मेरे ख्याल में प्राइवेट मंडी हैं अगर ये वह मंडी सरकार को देने के लिए तैयार हों तो इस को सरकार लेने पर विचार करेगी।

श्री मांगे राम गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, वह प्राइवेट मंडी नहीं हैं.....

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जैसे सरकार तारा सिंह जी ने बताया कि कुछ मंडियां इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की हैं, कुछ कालोनाइजे इन डिपार्टमेंट की हैं और आजकल मार्किटिंग बोर्ड भी बना रहा है तथा कुछ मंडियां वर्ल्ड बैंक के तहत बन रही हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जहां पर भी नई मंडी बनानी मुनासिब होगी और जहां जरूरत होगी वहां पर जरूर बोलने की चेष्टा करेंगे।

श्री सुमेर चन्द भट्ट: स्पीकर साहब, नग्गल हल्के के गांव दुराना में पिछले दिसम्बर में चीफ मिनिस्टर साहब और मंत्री जी नई मंडी बनाने के लिए एलान करके आए थे लेकिन इस लिस्ट में उस मण्डी का नाम नहीं है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार के जेरे गौर हैं?

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, यह बात ठीक है कि मैं वहां गया था और मैंने मंडी बनाने के लिए कहा भी था लेकिन अभी तक हमारे महकमें की रिपोर्ट के मुताबिक वह जगह वायएबल नहीं है।

चौधरी देस राज: स्पीकर साहब, मेरे हल्के इंदरी में दो गांव गढ़ी बीरबल और गीड़ में सरकार ने दो परचेज सेंटर मंजूर किए थे। मैं मंत्री महोदय जी यह जानना चाहता हूँ कि क्या वहां पर इस साल रबी की फसल परचेज की जाएगी?

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, यह सवाल मार्किटिंग बोर्ड से ताल्लुक नहीं रखता। यह तो सिविल सप्लाइ डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है।

कामरेड भांकर लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मारफत मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि दड़वा कलां और आ गाखेड़ा में मंडी मंजूर हुई थी। क्या वहां पर मंडी बनाने की प्रोपोजल सरकार के विचारधीन हैं?

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, जैसे आज थोड़ी देर पहले डिस्पेंसरीज के बारे में मुख्य मंत्री जी से सवाल पूछे जा रहे थे और कुछ भाई एतराज भी कर रहे थे। उसी तरह से चौधरी देवी लाल जी ने किसी बात को मद्देनजर रखते हुए आ गखेड़ा में मंडी के बारे में कह दिया था। स्पीकर साहब, अभी हम उसको नहीं बना रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: नई मंडियों खोलने के बारे में मैम्बर साहेबान बहुत एजीटेटिड हैं। मैं गवर्नमेंट से निवेदन करूंगा कि नई मंडिया खोलने के बारे में मैम्बर साहेबान से एप्लीके ाज मंगवा लें और एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब उन एप्लके ांज को स्टडी कर लें। इस सवाल पर और कोई सप्लीमेंटरी नहीं होगा।

श्री मूल चन्द जैन: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस कंफ्यूजन को रोकने के लिए कोई ऐसी कोआर्डिने ान एजेंसी बनाएगी जैसे मार्किटिंग बोर्ड हैं, कोलोनाइजे ान डिपार्टमेंट हैं और वर्ल्ड बैंक हैं ताकि तीनों ऐजेन्सियां मिलकर काम करें और जहां पर मंडियों की आव यकता है वहां खोली जाए?

Mr. Speaker: A very good question has been asked by Sh Jain.

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, हमने पहले ही कोआर्डिने ान एजेंसी बना रखी हैं। तीन ऐजेंसियां बैठ करके फ़ैसला करती हैं कि कहां मंडिया बननी चाहिए। इसी आधार पर

मंडियां बनती हैं फिर भी जहां कहीं माननीय सदस्य समझते हैं कि मंडी बननी चाहिए वह सरकार को चिट्ठी लिख करते दे दें। सरकार उस पर विचार करेगी और विचार करने के बाद अगर जरूरत हुई तो अब य मंडी बना दी जाएगी।

चौधरी जगदी ा कुमार बैनीवाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मारफ्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चौधरी देवी लाल जी की सरकार ने एक चौपटा मंडी मंजूर की और सहूलियतें दी जाएंगी?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जहां नई मंडी बनती हैं वहां पर हम गड्डा स्टैण्ड भी बनाते हैं, किसानों के लिए हाउस भी बनाते हैं। किसानों को पूरी सुविधाएं देने के लिए पहले से ही हमने नार्मज किए हुए हैं और उन नार्मज के आधार पर ही नई मंडिया बनती हैं।

श्री अध्यक्ष: जहां भी नई मण्डियों बन रही हैं वहां मुख्य मंत्री जी ने बताया है कि गड्डा स्टैण्डज और रैस्ट हाउसिज बने हुए हैं। इसके अलावा मैं अपनी तरफ से गवर्नमेंट को सिफारि ा करूंगा कि वहां पर वैटरनरी डिस्पेंसरीज, प ़ुओं के लिए पीने का पानी, फस्टेर्ड सैटर और आदमियों के इलाज की सुविधाओं का पूरा इन्तजाम करवाने की सरकार पूरी को ि ा करे।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, वहां पर पीने का पानी की सुविधा भी है तथा सारी सुविधाएं इन नई मंडियों में दी जाएंगी।

श्री लहरी सिंह मोहरा: अध्यक्ष महोदय, कुछ मंडियों ऐसी हैं जोकि अन्डर कंस्ट्रक्शन हैं और उन को तीन साल हो गए हैं वे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। जैसे रादौर की मंडी है वहां पर रोड़ी पड़ी हुई है। जब किसान और दुकानदार लोग चलते हैं तो उनके पांव छिल जाते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उस मंडी को जल्दी बनाने के लिए सरकार कोई स्टैप्स उठा रही है?

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, मैम्बर साहब यह बात ठीक कह रहे हैं। इस काम को जल्दी ही ठीक कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: मेरा ख्याल है कि वहां पर सीमेंट की मन डिफिकल्टी होगी इस लिए सीमेंट को कोटा स्पैगली पूरा किया जाना चाहिए।

खाद्य तथा पूर्ति मंत्री चौधरी गजराज बहादुर नागर: स्पीकर साहब, मार्किटिंग बोर्ड के पास सीमेंट की कोई कमी नहीं है।

चौधरी नारायण सिंह: स्पीकर साहब, पिछले साल ज्यादा बारिश होने की वजह से हेली मंडी और फरुखनगर मंडी में किसानों को अपना अनाज रखने के लिए कोई जगह नहीं

मिलेगी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या वहाँ पर तिरपाल वगैरा को कोई इन्तजाम किया जाएगा ताकि किसानों को कोई तकलीफ न हो।

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, मैं यह वि वास दिलाना चाहता हूँ कि वहाँ पर मैं खुद जाऊंगा और जा कर देखूंगा और इस तकलीफ को जल्दी से जल्दी दूर करवा दिया जाएगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जवाब के पार्ट 'बी' में जिन मंडियों का जिक्र किया गया है इन मंडियों में वर्ल्ड बैंक स्कीम के तहत कितनी हैं और दूसरी कितनी हैं?

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, भाई सुरेन्द्र सिंह ने सवाल पूछा है.....(व्यवधान)

Mr. Speker: Please do not interrupt when the Hon. Minister is replying.

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, सुरेन्द्र सिंह जी ने सवाल पूछा है उस के बारे में उन्हें बताना चाहता हूँ कि अनैक चर ए में उन मंडियों के नाम हैं जो कम्पलीट हो चुकी हैं और अनैक चर बी में उन मंडियों के नाम हैं जो नई बनेंगी। ये मंडियाँ कुछ तो बोर्ड के पैसे से बनेंगी और कुछ वर्ल्ड बैंक के पैसे से बनेंगी।

सरदार तारा सिंह: प्लाट अलाट करने का तो सैप्रेट क्वै चन हैं, इसका मण्डियों के साथ कोई ताल्लुक नहीं हैं।

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मण्डियों में किसान रैस्ट हाउस के नाम से बिल्डिंगज बनी हुई हैं। मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता लेकिन कम से कम 10-15 मण्डियों ऐसी हैं जिनके रैस्ट हाउसिज में सरकारी अफिसर्ज, चाहे किसी मजबूरी की वजह से, चाहे किसी और वजह से रैस्ट हाउसिज को रिहाय गी मकान बनाकर रह रहे हैं, किसानो की सुविधा के लिए ये रैस्ट हाउसिज इस्तेमाल नहीं होते। क्या सरकार इस रैस्ट हाउसिज से सरकारी आफिसर्ज को हटाने की कृपा करेंगी?

सरदार तारा सिंह: मेरे नोटिस में ऐसी कोई रिक्वायत नहीं आई हैं। अगर कहीं ऐसा हैं तो मुझे लिख कर भेज दें, मैं इन्स्ट्रक्शन भेज दूंगा कि किसानों के लिए जो रैस्ट हाउसिज बने हुए हैं उनमें किसान ही ठहरे।

चौधरी राम लाल वधवा: आप चैक कर लें, हर रैस्ट हाउस में सरकारी आफिसर्ज ठहरे हुए हैं।

Mr. Speaker: It is a important matter. Government must issue some instructions.

सरदार तारा सिंह: मैं जरूरी इन्स्ट्रक्शन जारी कर दूंगा कि किसानो के सिवाये कोई सरकारी अफिसर न ठहरे।

श्री अध्यक्ष: चौधरी उदय सिंह दलाल ने जो प्वायंट रैज किया है, इसमें बहुत कुछ सही है लेकिन साथ ही मैं यह कहूंगा कि वरबल ि िकायतों से काम नहीं होगा। हर रैस्ट हाउस में आफिसर्ज ठहरते हैं लेकिन इनके पास राइटिंग में कोई ि िकायत नहीं आई।

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, आफिसर्ज ने वहां पर परमानेंट रिहाय ि रखी हुई हैं।

श्री टेक राम: स्पीकर साहब, वायबिलिटी का मतलब है कि जहां मंडी बनानी है वहां पर एक सब-यार्ड है कम से कम 50 हजार बोरी अनाज एक सीजन में उस जगह पर पहुंचना चाहिए, तब सब-यार्ड बनाया जाता है। इसी तरह जहां पर एक सीजन में एक लाख बोरी अनाज पहुंचे तो उस जगह को मंडी बना देते हैं। इसके इलावा जहां पर मण्डी बनी हुई है उसके 8 मील के एरिये में दूसरी मण्डी नहीं बना सकती। इसके बाद पापुले िन देखी जाती है। जिस कस्बे की आबादी ज्यादा होगी उसके नजदीक पर मण्डी बनी हुई है उसके 8 मील के एरिये में दूसरी मण्डी नहीं बन सकती। इसके बाद पापुले िन देखी जाती है। जिस कस्बे की आबादी ज्यादा होगी, उसके नजदीक मंडी बनाने के लिए तरजीह दी जाएगी। जिस इलाके में इरीगै िन फ़ैसिलिटीज हो और कमांडिड एरिया हो, उस एरिये में मण्डी खोलने के लिए प्रैफ़ैस दी जाती है।

Complaint regarding removal of names from electoral rolls

***1609. Dr.Mangal Sein.** Will the minister for Deviopment and Pachayats be pleased to state whether the Government have received any complaints about the removal of names from electoral rolls during the recent Lok Sabha elections; if so, the action taken thereon?

विकास मंत्री राव राम नारायण: इस व्यक्तियों से उनके नामों, उनके परिवार के सदस्यों के नामों या जन्म अनामित व्यक्तियों के नामों के काटें जाने / छोड़े जाने अथवा गलत स्थानों पर नाम रजिस्टर किये जाने सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों पर उचित कार्यवाही की जा रही है।

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैंने जो सवाल दिया था उसकी तीसरी लाईन में लिखा है

“Any complaint about the conspiracy of removing names from electoral rolls.during the recent Lok Sabha Elections, if so. the taken theron.”

मैंने अपने सवाल में पूछा था कि क्या कोई साजिश आई है, क्या कोई षड्यन्त्र किया है या नहीं। इन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि दस शिकायतें आई हैं। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि शिकायत करने वाले कौन से व्यक्ति हैं और उनके ऐड्रेस क्या-क्या हैं।

मुख्य मंत्री चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, डा० साहब ने जो सवाल किया है यह जनवरी के इलैक्ट्रान के बारें में है। 3 जनवरी को इलैक्ट्रान हुआ था। उन्होंने पूछा कि जिन

जगहों पर इलैक्टोरल रोल के नाम काटे गये, उसमें क्या साजि ा थी। डा० मंगल सैन उस वक्त मन्त्रिमण्डल में हुआ करते थे, वे खुद जानते होंगे। अध्यक्ष महोदय सरकार की तरफ से साजि ा की बात नहीं हो सकती। 10 जगहों से ि ाकायतें आई हैं हम उनको जांच कर रहे हैं, जिस अधिकारी के खिलाफ केस बनता होगा जम जरूर एक ान लेंगे और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

डा० मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय इन्होंने फरमाया कि उस समय मैं भी मन्त्रिमण्डल में था, यह बिल्कुल ठीक बात है और हम उस वक्त चर्चा किया करते थे कि किसी व्यक्ति ने साजि ा तो नहीं की। मैंने जो सवाल पूछा था उसका उत्तर नहीं आया, इन्होंने यही कहा कि उचित कार्यवाही करेंगे। क्या मुख्य मंत्री साहब बतायेंगे कि उचित कार्यवाही क्या करेंगे?

Mr. Speaker: If there is any doubt of conspiracy, some complaint must come with facts and figures. जब तक कोई कम्प्लेंट न आये गवर्नमेंट कैसे इमेजिन कर सकती है कि कोई कांसपिरेसी हुई है।

डा मंगल सैन: ये जवाब दे सकते थे कि 'नो' लेकिन इनके जवाब देने का बड़ा अजीब तरीका है। मेरा तो स्पैसिफिक क्वै चन है, खास तौर पर मंत्री जी, राव रामनारायण जी से पूछना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि ि ाकायतें मिली हैं। क्या वे

बतायेंगे कि िाकायत करने वाले कौन हैं उनकी क्या-क्या िाकायतें हैं?

राव रामनारायण: एक िाकायत श्री हरि सिंह पंचकूला से मिली हैं और एक नीलाखेड़ी से एक आदमी सूनंदर लाल की िाकायत हैं जिसमें यह िाकायतें की हैं कि दो हजार पर्सन्ज के इलैक्टोरोल में गलती हैं। हम इनकी इनक्वायरी कर रहे हैं.....

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, हमें सुन नहीं रहा। आप इनको कहें कि जरा माईक का प्रयोग करें।

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, इनके लिए दो लाउड स्पीकर लगा दिए जाए तो ठीक रहेगा। व्यवधान

Mr. Speaker: Please do not interrupt when the Hon. Minister is replying.

राव राम नारायण: स्पीकर साहब, इंडिबिज्वल िाकायतें आई हैं, किसी ने िाकायत मैं कहा है कि उनका नाम इलैक्टोरोल में नहीं है, किसी ने कहा है कि उनके परिवार के मँम्बरों के नाम इलैक्टोरोल में नहीं हैं। इस तरह ये इंडिबिज्वल िाकायतें हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, इस सवाल के जवाब में वोट न डालने देने की िाकायतें आई हैं। क्या मंत्री महोदय जी को मालूम है कि मेरे हल्के में गांव के गांव ऐसे थे जो

पोलिंग स्टे इन पर जाने के बावजूद वोट न डाल सके क्योंकि उनके नाम ही वोटर्ज लिस्ट में नहीं थे? वे बेचारे एक पोलिंग स्टे इन पर घूमते रहे लेकिन आखिर तक वोट नहीं डाल सके। मैं इसमें कोई कांसपिरेसी अलेज नहीं करता लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि अब की बार औफिशियल अरेन्जमेंट कुछ ठीक नहीं था। क्या मंत्री महोदय कोई इंस्ट्रक्शन जारी करेंगे ताकि आयंदा इन्तजाम ठीक हो?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, नए इलैक्टोरल रोल बनने जा रहे हैं। जिस किसी व्यक्ति का नाम लिखा नहीं गया था या गायब किया गया है उसे अब दूरस्त करा दिया जाएगा।

Mr. Speaker: Question Hours is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के

लिखित उत्तर

Shifting of M.D. University Rohtak

***1551. Ch. Sant Kanwar:** Will the Chief Minister be pleased to state them by which Maharishi Dayanand University is likely to be shifted its present location to its new site at Rohatak?

मुख्य मंत्री चौधरी भजन लाल: वि विद्यालय को नई साईट पर रिफिट करने का मामला सरकार के विचारधीन है।

Residential accommodation to landless Tapriwas and Vimukt Jaties

***16747. Swami Adityavesh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide residential accommodation to the landless persons belonging to Tapriwas and Vimukt Jaties having no residential houses of their own in the State; if so, the time by which the residential accommodation is likely to be provided to them?

सिचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी मेहर सिंह राठी): जी नहीं।

Pay Scale of DSPs

***1608. Chaudhri Satvir Singh Malik, Chaudhri Jagdish Kumar Baniwal:** Will the Chief Minister be pleased to refer to reply to Unstarred Question No. 315 answered on 24-7-79 and state whether pay scale of the Post of D.S.Ps. has been brought at par with that of the H.C.S.; if so, the details thereof?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): नहीं। मामला सरकार के विचाराधीन है।

Medicines in Civil Hospital Sirsa

***1608. Chaudhri Jagdish Kumar Baniwal:** Will the Chief Minister be pleased to state whether the medicines, according to the prescribed allocation, were supplied to Government Hospital, Sirsa during the last one year and; if not, the reason thereof ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): जी हां ।

Construction of Bus Stand at Uklana Mandi

***1637. Shri Jain Narain Verma:** Will the Minister for Transport be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construction a Bus Stand at Ukalana Mandi; and

(b) if so, the time by which the aforesaid Bus Stand is likely to be constructed ?

परिवहन मंत्री (श्री जगन नाथ):

(ए) अभी नहीं ।

(बी) प्र न ही नहीं उठता ।

ब्रीच आफ प्रिविलिज की सूचना

10.00 बजे

Mr. Speaker: I have received a notice of privilege motion from Shri Shamsher Singh Surjewala. the motion was received by me at 8.40 a.m. उस समय उसको ऐगजामिन करने के लिए मेरे पास काफी समय नहीं था। उसे मैं ऐगजामिन कर रहा हूँ और कल उसके बारे में अपना डिसिजन अनाउन्स करूंगा।

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) अंधे व्यक्तियों को रोजगार तथा शिक्षा में विशेष सुविधाएं देने सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बरज, श्री हीरानन्द आर्य की ओर से नेत्रहीन लोगों को ऐम्पलायमेंट और ऐजुकेशन फेसिलिटीज देने के बारे में एक काल अटैन्शन मोशन का नोटिस प्राप्त हुआ है। मैं इस मंजूर करता हूँ। आनरेबल मैम्बर कृपा अपना नोटिस हाउस के सामने पढ़ दें।

Shri Hira Nand Arya: Sir, I want to draw the attention of this august House to the matter of an urgent public importance say that in our society there are such people who are not only suffering from socially, economically and from unemployment but they are also blind and who in fact deserve sympathy. Therefore, besides giving 5% reservation in services the Government should provide special facilities to them in education. Their representative should also be included in the Social Welfare Board, who can help in formulating schemes. The Government should give

unemployment allowance to blinds until they get employment and they should be recognised as the backward and weaker section of society. I also want that Government may give its reply in the current session.

परिवहन मंत्री (श्री जगन नाथ): स्पीकर साहब, मैं कल इसका जवाब दे दूंगा।

(2) रावी नदी पर तीन बांध के निर्माण सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बरज, हालांकि रूलज के अनुसार एक दिन में सिर्फ एक काल अटैन् इन मो इन ऐडमिट होता है लेकिन चौधरी रिजक राम जी की तरफ से दरिया रावी पर तीन डेम बनाने के बारे में जो काल अटैन् इन मो इन मुझे मिला है उसके महत्व को देखते हुए, रूलज रिलेक्स करके मैंने उसे एडमिट कर लिया है। माननीय सदस्य अब कृपया अपना नोटिस हाउस के सामने पढ़ दें।

चौधरी रिजक राम: स्पीकर साहब, आपने इस काल अटैन् इन मो इन को ऐडमिट किया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा प्र न है जिसमें इस माननीय सदन के सारे मैम्बरज इंट्रेस्टिड थे। इसमें हरियाणा की सारी जनता का इंट्रेस्ट इन्वोल्व्ड है। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस काल अटैन् इन मो इन को ऐडमिट करके मुझे नोटिस पढ़ने की इजाजत दी है। मेरा नोटिस इस प्रकार है —

Sir, I beg leave to call the attention of the Irrigation & Power Minister to a matter of urgent public importance in relation to the Haryana's share in the waters of the river Ravi. According to the statement of Union Irrigation Minister as reported in yesterday's Press, the Punjab Government is unilaterally engaged in the construction work of Their Dam on River Ravi and the work is likely to be completed by the year 1987. In the circumstances the carrying on the work by the Punjab State Government without the concurrence and participation of the Haryana State Government poses a serious threat to the rights of this State in the waters and powers available from the Dam. This calls for urgent steps to be taken by the Haryana State Government to protect the rights of this State.

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी मेहर सिंह राठी):
स्पीकर साहब, मैं इसका कल जवाब दूंगा।

वक्तव्य -

मुख्यमंत्री द्वारा अम्बाला छावनी में पीलिया की महामारी फैलने
सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, कल मुख्य मंत्री जी ने श्रीमती सुशमा स्वराज के काल अटेंशन* मोशन नं० 19 पर आज स्टेटमेंट देने के लिए कहा था। वे कृपा करके अपनी स्टेटमेंट दें।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, पीलिया महामारी की चिकित्सा भाशा में इनफैक्टिव हैपीटाईटिस कहा जाता है और इस बीमारी के इकादुका केस राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में होते रहते हैं। यह बीमारी वाईरस की वजह से होती है जो कि पीने के पानी के दूशित होने से या कभी कभार दूशित खाने की वस्तुओं के प्रयोग करने से लग जाती है। जिला अम्बाला में वर्ष 1978 और 1979 में इस बीमारी से हुए केसों की तुलनात्मक सूची अनुबन्ध 1 में संलग्न की जाती हैं। इसके साथ अम्बाला छावनी में भी वश्र 1979 तथा अब तक वर्ष 1980 में हुए केसों की तुलनात्मक सूची अनुबन्ध 2 में साथ संलग्न की जाती है। इसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि हालांकि मास जनवरी तथा फरवरी 1980 में इस बीमारी से हुए केसों की संख्या पिछले वर्षों की इन्हीं दो मासों में हुए केसों के समान रही है। परन्तु मास मार्च 1980 में इन केसों में बढ़ौतरी हुई है। ज्योंकि नगरपालिका अम्बाला सदर को इस बारे में पता चला तो उन्होंने इस बारे रोकथाम के उचित उपाय जैसे कि बीमारी के सोर्स का पता करना, जनता को स्वास्थ्य शिक्षा देना, पानी के नमूनों का टैस्ट करवाया जाना और पानी के पाईपों की मुरम्मत आदि का काम करना आरम्भ कर दिया। स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी नगरपालिका अम्बाला सदर ने घर घर जाकर प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करवाया ताकि बीमारी फैलने का पता लग सके। घर घर के सर्वेक्षण से पता चलगा कि जनवरी 1980 से 19 मार्च 1980 तक वेल 149 केस हुए इस ब्यौरे में वह केस भी भाामिल हैं जो कि

प्राइवेट प्रैंकटी अनरों के पास इलाज के लिए गये थे। यह केस सिर्फ अम्बाला छावनी के किसी किसी लोकलटी में हुए और यह भी देखा गया कि दिन पर दिन केसिज कम हो रहे हैं।

म्यूनिसल कमेटी के स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी के तालमेल करने से पता चला कि क्योंकि केसिज अम्बाला छावनी के इलाके में कहीं कहीं हुए थे, इसलिए उन्होंने इसको गंभीर नहीं समण और उन्होंने निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा या राज्य सरकार को सूचना देनी आवश्यक नहीं समझी। कल इस बारे में एक संयुक्त बैठक अम्बाला छावनी में हुई जिसमें स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी नगरपालिका, राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि, जन स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि तथा सैनिक चिकित्सा अधिकारी ने भाग लिया। इस बैठक में नगरपालिका के स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी ने बतलाया कि कुछ समय से पानी के पाईपों में लीकेज पाई गई और उन पाईपों की मरम्मत करने के लिए आवश्यक पग उठाये गये। यहां यह कहना उचित होगा कि पानी के सप्लाई की मैटीनेंस नगरपालिका क्षेत्र में नगरपालिका करती हैं और अम्बाला छावनी के इलाके में एम0ई0एस0 वाले करते हैं। यह भी पाया गया कि नगरपालिका के क्षेत्र में पानी की सप्लाई के पाईप काफी पुराने हैं और इनमें से बहुत से पाईपों को भीघ्र बदलने की आवश्यकता है ताकि भविश्य में यह पाईप लीक न हों और पानी कोनटैमीनेट न हो।

जिला स्वास्थ्य अधिकारियों ने उपरोक्त स्थिति को सम्मुख रखते हुए निम्नलिखित पग उठाये हैं :-

1. नगरपालिका द्वारा पीने के पानी को नियमित रूप से कलोरीने न किया जाता है परन्तु क्योंकि कुछ पानी के नमूने असंतोषजनक पाये गये हैं। इसलिए कलोरीने न की मात्रा काफी बढ़ा दी गई है और इसके अलावा लोगों को सलाह भी दी गई है कि पानी को उबाल कर पीये।

2. इस बीमारी की रोकथाम के लिए कोई दवाई उपलब्ध नहीं है। फिर भी उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी (स्वास्थ्य) अम्बाला तथा स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी नगरपालिका ने इस बीमारी से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके स्थानीय प्रभाव गाली व्यक्तियों से तालमेल किया है और जनता को इस बीमारी के बचाव के लिए लाऊड स्पीकर द्वारा उचित उपाय बतलाये गये हैं।

3. चिकित्सा अधिकारियों को हिदायतें दी गई हैं कि इस बीमारी से पीड़ित लोगों को तत्काल चिकित्सा सुविधाएं दी जायें।

4. स्थानीय हस्पताल के चिकित्सा अधिकारियों को आदेश दिये गये हैं कि पीलिया से पीड़ित हस्पताल में दाखिल गरीब मरीजों को मुफ्त दवाई और खुराक दें।

5. इसके अतिरिक्त इस बीमारी से प्रभावित क्षेत्रों में मक्खियों के विना 1 की कार्यवाहियों को भी तेज किया गया है ताकि बीमारी को बढ़ने से रोका जा सके ।

APPENCIX-I

Cases of Infective Hepatitis (Jaundice) in Ambala District in Calendar Years 1978 and 1979.

Month	Year	
	1978	1979
January	33	24
February	21	32
March	21	24
April	79	9
May	32	51
June	24	87
August	42	52
September	50	70
October	29	2
November	30	39
December	71	32
Total	478	483

APPENDIX-II

Cases of Infective Hepatitis (Jaundiced) in Civil Hospital Amabala Cantt.

Month	Year	
	1979	1980
January	14	13
February	20	23
March	16	67
April	19	
May	18	
June	11	
August	23	
September	18	
October	16	
November	20	
December	16	

स्थगन [प्रस्ताव/ध्यानाकर्षण](#) सूचना

श्रीमती सुशमा स्वराज: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री महोदय ने ध्यानाकर्षण का जवाब देते हुए कहा है कि म्युनिस्पल कमेट^भ के स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारियों से पता चला है कि अम्बाला छावनी के इलाके में कहीं कहीं केसिज हुए हैं और वहां पर कहीं गंभीर हालत नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी से बताना चाहती हूं कि उन्होंने जो 478 और 483 केसिज की फिगरज दी हैं यह ठीक नहीं हैं। वहां पर पीलिया का रोग भयंकर रूप से फैला हुआ है और कल रेविन्यू मिनिस्टर श्री भोर सिंह जी ने भी इस बात की स्पोर्ट की थी कि वहां पर पीलिया फैला हुआ है। अखबारों में भी निकला है। इसके बावजूद भी चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि वहां पर गम्भीर हालत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: सुशमा जी आप सवाल पूछ सकती हैं स्टेटमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है and I have no reason to doubt the statement and the facts stated by the Chief Minister.

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब कल इन्होंने कोई जिम्मेदारी की बात नहीं की। सुशमा जी ने कल यहां हाउस में कहा था कि हर घर में एक एक या दो आदी पीलिया के रोग से पीड़ित हैं। जो बात उन्होंने यहां कही थी, क्या उन्होंने अम्बाला छावनी घर घर जाकर देखा था कि इतनी अधिक मात्रा में बीमारी फैली हुई है। (गोर) अध्यक्ष महोदय, मात्र 1979 में 16 केसिज हैं

और सन 1980 में केवल 67 केसिज हैं आप इस बात से अन्दाजा लगा सकते हैं कि हर घर में एक एक या दो केस हुए ?

अध्यक्ष द्वारा आबजर्वे न

सदन में धरना देने सम्बन्धी

Mr. Speaker: Hon. Members, the Hon'ble Minister for Parliamentary Affairs had raised a point of order yesterday as to whether the staging of dharna while the House is in Session constitutes the contempt of the House or not. I had reserved my ruling on the subject. I have examined this matter in great details and have arrived at certain conclusions. However, a ruling of this type is not only of vital import, but will have far-reaching consequences. I would, therefore, like to go deeper into the matter and examine various precedents of a similar nature that might have occurred in the Lok Sabha and Rajya Sabha, before arriving at a final conclusion. The ruling on this point of order will, therefore, be given tomorrow.

स्थगन [प्रस्ताव/ध्यानाकर्षण](#) सूचना -

चण्डीगढ़ में हरियाणा के अन्ध व्यक्तियों के साथ अभिकथित

बल प्रयोग तथा दुर्व्यवहार सम्बन्धी

चौधरी राम लाल वधवा: अध्यक्ष महोदय मेरी आपसे प्रार्थना है मैं आपकी रूलिंग के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता परन्तु मेरी प्रार्थना है कि जो अन्धों के विषय में एडजोर्नमेंट मो इन आपने डिसअलाऊ की है उसके बारे में आपने कल यहां हाउस में बताया था कि सरकार भी जवाब देने के लिए तैयार है और आपने स्वयं भी यूनियन टैरेटरी से इन्फर्मे इन मंगायी हुई है। अगर आप मेहरबानी करके काल अटैन् इन मो इन मंजूर कर दें तो हमें सही स्थिति का पता चल जायेगा, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। हाउस के सभी मैम्बरान को उनके प्रति हमदर्दी है, इसलिए आप इसे एडमिट कर लें तो बड़ी अच्छी बात है।

श्री अध्यक्ष: एक एडजोर्नमेंट मो इन और दो तीन काल अटैन् इन मो इन इस विषय में मुझे मिली हैं जिनको मैंने डिसअलाऊ कर दिया है। उनमें जो कारण दिये हैं वे अलग अलग दिये हैं क्योंकि काल अटैन् इन मो इन अलग अलग है लेकिन मुख्य विषय हरेक में यही है कि जो यह इन्सीडेन्ट हुआ है यह यूनियन टैरेटरी के एरिया में हुआ है, जहां पर हरियाणा की जुरीसडिक् इन नहीं है। दूसरे हरियाणा और यू0टी0 गवर्नमेंट की तरफ से जो फ़ैक्टस मेरे पास आये हैं उनसे जाहिर होता है कि काल अटैन् इन मो इन के अन्दर जो स्टैटमेंट आफ फ़ैक्टस दिये हैं वे करैक्ट नहीं हैं।

I will read out the report which I have received from the Union Territory. It reads -

“About thirty blind persons reached the barricade near the Vidhan Sabha at about 12.30 p.m. on 18.3.1980. Although there were prohibitory orders in force in this area, the blind persons managed to reach up to this point in small groups of twos and threes. They immediately started raising, slogans. They wanted to present a memorandum of demands to the Chief Minister, Haryana. They were also protesting against the police action against the blind demonstrators on the previous day at Delhi. They were told that the Chief Minister was busy in the Assembly, but a delegation of three or four persons could be taken inside the Vidhan Sabha where the Chief Minister could be requested to receive the memorandum. But the agitators insisted on marching in full strength inside the Vidhan Sabha building. They were told that they were violating the prohibitory order. As the agitators were adamant in their resolve and as they prepared to walk past the police cordon, they were stopped and, one by one, they were led into a police bus. There was minimum resistance from the blind. There was no occasion for the police to use this even in the smallest measure. In fact, except while leading the blind to the police bus, police did not touch any one. Except for their first 3-4 persons, every one else willingly walked into the bus. All were taken to the Police Station where they were offered cups of tea and food. Some of them took tea. Soon afterwards, they were allowed to go. They were not arrested, but were just removed from the area near the Vidhan Sabha as they were bent upon entering the Vidhan Sabha building.

While at the Police Station, one person complained of pain in stomach. He was taken to the hospital and was administered medicine. He was allowed to go thereafter as he

was all right. The stomach ache had nothing to do with the police action”.

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब मेरी प्रार्थना है कि आपने उस साइड का वर्णन तो देख लिया है लेकिन इस पर अगर हाउस में डिस्कान अलाउ कर दें और सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ जाये तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष: मैंने इसको दो वजहों से रिजैक्ट किया है। प्रइमेरिली वजह तो यह है कि the incident occurred in the area which is in the jurisdiction of the Union Territory and not within the jurisdiction of Haryana. The Haryana Police have nothing to do with it. It was the U.T. Police and no one was injured and no one was arrested. अगर इस बारे में आप मेरे पास हररिफ्रूटेबल एवीडेंस देंगे तो मैं इसको तुरन्त एडमिट कर लूंगा। (गोर) No further discussion on this adjourment motion please. (गोर) I will not allow any discussion on my ruling. मेरे पास यू0टी0 के औफिियरल्ज ने जो सूचना भेजी है इसमें लिखा है that nobody was arrested, no lathi-charge was made and no one was injured. अगर इसके खिलाफ कोई हररिफ्रूटेबल प्रूफ ला दें (i) that somebody was arrested (ii) that there was lathi-charge, and (iii) कोई जखमी हुआ हो तो मैं इसको तुरन्त एडमिट कर लूंगा। इसके अलावा कोई डिस्कान अलाऊ नहीं करूंगा।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय इस विषय में आपका एक मिनट लेना चाहता हूँ। कल 6-7 उनके

नुमांडदे मुझे मिले थे। उन्होंने मुझे बताया था कि हमारे साथ किसी प्रकार की कोई ज्यादाती नहीं हुई। पहले हमें चाय पिलाई, फिर बाद में भान्तिपूर्वक छोड़ दिया गया था। हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अध्यक्ष महोदय अपोजी इन वाले भाई तो रोज अखबारों में अपना नाम छपवाने के लिए प्वायंट आफ आर्डर पर उठते हैं।

कामरोड भांकर लाल: स्पीकर साहब मेरे पास उनके अंगूठ दस्तखत हैं, जिनके साथ घटना घटी है।

कंवर विजय पाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, पहले जमाने में जब राजा महाराजाओं का राज होता था तो उस समय राजा तक पहुंचने के लिए बड़ी दिक्कत होती थी लेकिन जब वह एक बार राजा तक पहुंच जाता था तो उसको राजा के पास पहुंचने के बाद न्याय अवय मिलता था। इस स्टेट की सबसे बड़ी ताकत विधान सभा है और आपका भासन इस स्टेट में सर्वोप्रिय है तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यहां तक आने में और मुख्यमंत्री जी से मिलने में किसी प्रकार की कोई रूकावट विधान सभा के बाहर नहीं लगाई जाये तो बड़ी उचित बात होगी।

श्री अध्यक्ष: मैं मानता हूँ कि जो बात डिप्टी स्पीकर साहब ने कही है वह ठीक है कि यहां आने तक और मिलने के लिए कोई रूकावट नहीं होनी चाहिए लेकिन जो फ़ैक्टस हैं वह ये हैं कि उनका जो 3-4 आदमियों का एक डैपुटेपु इन था वह

खुशी से अन्दर आ सकता था और मुझसे तथा मुख्यमंत्री जी से मिल सकता था लेकिन वे सबके सब आने पर वजिद थे। जहां तक यू0टी0 में सैकान 144 का संबंध है, उसके अधीन 5 आदमियों से ज्यादा आदमी उस क्षेत्र में नहीं आ सकते इसलिए देरा में अनुपासन रखने के लिए जहां पर सैकान 144 लगी हुई है उसमें 5 आदमियों से ज्यादा नहीं आ सकते। अगर कोई इसकी उल्लंघना करेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

चौधरी राम लाल वधवा: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी लगातार हर रोज एक ही बात कहते हैं कि अपोजीतन वाले अखबारों में नाम छपवाने के लिए ऐसी बातें करते हैं मुझे पता नहीं कि उनको क्या फोबिया हो गया है। इसलिए इस पर मैं आपकी रूलिंग चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष: यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मैं प्वायंट आफ आर्डर अर्ज करना चाहता हूँ। (गोर)

श्री अध्यक्ष: रामलाल जी आप प्वायंट आफ आर्डर दिन में एक बार नहीं, दस बार करें but that should be a relevant point of order. (व्यवधान) I would request the hon'ble Members to address each other with courtesy and dignity. (Interruptions)

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है (गोर)

श्री अध्यक्ष: कृपया बैठ जाइए।

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब मेरा बड़ी लीगल प्वायंट आफ आर्डर है। (गोर)

Mr. Speaker: As far as I am concerned, मैं किसी को भी प्वायंट आफ आर्डर करने से नहीं रोकता। आप देखिए प्वायंट आफ आर्डर करने का एक क्राईटेरिया नहीं होता, दो क्राईटेरिये होते हैं।

(i) It should be legal point or order.

(ii) It should be couched in proper language.

I am not a lawyer. I do not know law. I do not know whether this point of order raised by Ch. Ram Lal Wadhwa is covered under the rules or not ? But it is certainly my ruling that if any point of order is raised, it should be couched in respectful and courteous language. मेरा ख्याल यह है कि अगर हाई कोर्ट और अदर कोर्ट में कोई लीगल जस्टीफाईड एप्लीके टन देता है and if it is couched in disrespectful and discourteous language, it will not be entertained. So to say that the Chief Minister has phobia is incorrect. यह कहना हमें भाोभा नहीं देता।

श्री कहैन्या लाल पोसवाल: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, हमें बड़ी खु ि है कि आप हमारे हकूक का

ख्याल रखते हैं। क्या आनरेबल मैम्बर श्री गंगाराम जी उस एसोसिएशन के मैम्बर हैं, जिसमें कल गिरफ्तारी हुई ? (हंसी)

श्री अध्यक्ष: ये तो क्वालिफाई नहीं करते, ये कैसे मैम्बर हो सकते हैं ?

Dr. Mangal Sein: Is it a point or order, Speaker Sahib ? (Interruptions) Who is he to decide whether it is a point of order or not ? (Interruptions) It is your honour who has to decide it.

श्री कहैन्या लाल पोसवाल: स्पीकर साहब, अभी आपने फरमाया है कि उनको ले जाया गया और चाय पिलाई गई, खाना खिलाया गया तो मैं आपसे रिकवैस्ट करूंगा कि क्या कल ये महरूत रह गए थे ? (गोर)

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साजब, आपने जो कुछ फरमाया है उसको मैं बिल्कुल मानता हूँ। जैसे कहा है कि –

“चुप है किसी सबब से,

तो पत्थर हमें न जान।

दिल पर असर हुआ है,

तेरी बात बात पर।

इसलिए मैं। आपसे रूलिंग चाहता हूँ कि जब अपोजीशन वाले भाई बोलने के लिए खड़े हों तो कोई भी

रूलिंग पार्टी वाला या अपोजी इन पार्टी वाला यह कह सकता है कि वे अखबारों में नाम छपाये जाने के लिए कह रहे हैं। इनका यह कहना ठीक नहीं है।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आप से सिर्फ एक मिनट लेना चाहूंगा। आज सै इन को चलते हुए लगभग 17-18 दिन हो गए हैं। इन दिनों के दौरान में यदि कोई भी प्वायंट आफ आर्डर सही आया हो, तो हम इनकी बात को सही मान लें। आप रिकार्ड उठा कर देख लें कि आज तक इनका कोई भी प्वायंट आफ आर्डर सही आया हो ?

श्रीमती सुशमा स्वराज: अखबारों पर सैं ररिप लगा दो और सरकार हमारा गला घोट दें। (गोर)

चौधरी राम लाल वधवा: अखबार वालों को यहां से उठा ही दो। (गोर)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, ये एक बार बोलेंगे और फिर अखबार वालों की तरफ देखने लग जायेंगे। (गोर)

Mr. Speaker: I think, point of order raised by Ch. Ram Lal Wadhwa does not requite any ruling.

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि जो मैं प्वायंट आफ आर्डर रोज करू; उस पर मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा।

Mr. Speaker: Please sit down. I am not influenced by any side of the House, whether it is this side (treasury benches) or this side (opposition benches). All are equal to me.

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, 17 दिनों के अन्दर इन्होंने एक भी प्वायंट आफ आर्डर सही नहीं उठाया। (गोर)

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, मैंने पहले भी आपको बताया है कि जितना समय मैंने गवर्नर एड्रेस पर और बजट में जनरल डिस्कशन पर अपोजीशन को दिया है, वह मेरे ख्याल से डेढ़ गुना या दो गुना ज्यादा है। इसलिये सुशमा जी का यह कहना कि यहां पर हमारा गला घोंटा जा रहा है I take strong objection to it. (Interruptions & noise). In the Vidhan Sabha I have given all latitude and maximum freedom. In fact, because of my leniency, the members tend to cross the barriers of decency. Therefore, Sushma Ji, this is a most unjust remark from your side कि हमारा गला घोंटा जा रहा है।

चौधरी राम लाल वधवा: वह तो सरकार के बारे में कह रही थी (व्यवधान व भाोर) उन्होंने आपके बारे में नहीं कहा।

चौधरी गंगा राम: आन ए प्वायंट अउ आर्डर, सर। स्पीकर साहब इस हाउस के अन्दर सबसे सुप्रीम पावर जहां तक मैं मान कर चलता हूं वह आपको मानता हूं।

श्री अध्यक्ष: यह तो बड़ी खुशी की बात है। (व्यवधान व भाोर) यह आपने अपना एटीच्यूड कब से बनाया है ? (व्यवधान व भाोर)

चौधरी गंगा राम: स्पीकर साहब मैं इसके साथ ही एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि हम आपको सुप्रीम मानने के लिये तैयार हैं लेकिन मुख्य मंत्री महोदय

श्री अध्यक्ष: यह कोई प्वायंट आप आर्डर नहीं है

चौधरी गंगा राम: स्पीकर साहब, मैं सिर्फ जायज बात कहूँगा। कोई ऐसी वैसी बात नहीं कहूँगा। बेतक आप सुनने के बाद इसे डिस अलाऊ कर दें। मुख्य मंत्री महोदय ने अभी यहां पर हाउस में बैठे बैठे यह कहा है कि चौधरी गंगा राम का वाल्यूम इसलिये कम हो गया है क्योंकि हमने नोटिस दिया है। (व्यवधान व भाोर) यह हमसे डर गया है। (व्यवधान व भाोर) मैं आपकी मार्फत स्पीकर साहब मुख्य मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूँ कि चौधरी गंगा राम किसी से भी डरने वाला नहीं है। (व्यवधान व भाोर)

Mr. Speaker: Please sit down, Ch. Ganga Ram. I will give you a chance.

सिंचाई तथा बिजली उप मंत्री (श्री देवेन्द्र भार्मा): आन ए प्वायंट आफ आर्डर।

* * * * *

* * * * *

* * * * *

Mr. Speaker: This should not be recorded.

डा० मंगल सैन: आन ऐ प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले पर आपकी रूलिंग चाहता हूँ। आपने यह वजा फरमाया है। कि हमारी विधान सभा केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्र में है।

श्री अध्यक्ष: यह केन्द्रीय प्रशासित का क्या मतलब है।

डा० मंगल सैन: यूनियन टैरीटरी में है। इसलिये मैं बड़ा मजबूर हूँ। मैं कोई नोटिस नहीं किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अगर आप मेरी रूलिंग को डिस्कस करना चाहते हैं तो कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

डा० मंगल सैन: नहीं, स्पीकर साहब, मैं तो आपकी इस मामले में रूलिंग चाहता हूँ कि विधानसभा के अन्दर तो वही बात होगी जो कि विधान सभा के बाहर होती है कल को यदि अध्यापक प्रदर्शन करते हैं या मजदूर प्रदर्शन करते हैं तो
..... (व्यवधान व भाोर)

Mr. Speaker: This is no point of order. There can be no ruling on this point. Each and every incident and each and every occasion will be treated on its own merits.

श्री सुरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर। स्पीकर साहब, आपको याद होगा जब मैं उधर बैठता था, तो मेरे साथ क्या होता था। आजकल हाउस में इतना तनाव क्वै चन अवर के बाद बन जाता है कि उसको संभालना मुश्किल होता है। आप खुद ही सोच सकते हैं उस समय मेरी वहां पर क्या हालत होती होगी।

Mr. Speaker: What is your point or order ?

श्री सुरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि जब मैं वहां पर खड़ा होता था तो डाक्टर साहब और वधवा साहब मुझे धमका दिया करते थे। चौधरी गंगा राम तो मेरे साथ ही बैठते थे। मैं जब खड़ा होता था तो मेरे पांव के ऊपर अपना पांव रख देते या मार्क इधर उधर कर देते थे। मैं चौधरी गंगा राम जी से यह कहना चाहता हूँ कि आज अगर आपको वहां पर बैठना पड़ गया है तो कम से कम आप ठीक बात तो कहो ?
(व्यवधान व भाोर)

Mr. Speaker: This is not point or order. Please take your seat. No more discussion on this now.

समितियों की रिपोर्ट पे ा करना

(1) पब्लिक अकाऊंट्स कमेटी की 15वीं तथा 16वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष: अब पब्लिक एकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन श्री कंवल सिंह कमेटी की वर्ष 1979-80 की 15वीं और 16वीं रिपोर्ट पे आ करेंगे।

कामरेड भांकर लाल: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर।
(व्यवधान व भाोर)

Mr. Speaker: There can be no point of order when reports are being presented. Please take your seat.

कामरेड भांकर लाल: स्पीकर साहब, आपने यह कहा है कि अगर किसी के पास कोई सबूत हो या प्रूप हो, तो वह मुझे दें, मेरे पास लिखित प्रूप हैं

श्री अध्यक्ष: कामरोड भांकर लाल जी, वह आप मेरे दफतर में दे दीजिये।

श्री कंवल सिंह (चेयरमैन लोक लेखा समिति): मैं वर्ष 1979-80 के लिए लोक लेखा समिति की 15वीं तथा 16वीं रिपोर्ट (टाईप्ड कापीज) पे आ करता हूँ।

(2) ऐस्टीमेट्स कमेटी की 12वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष: अब ऐस्टीमेट्स कमेटी के चेयरमैन चौधरी देस राज, कमेटी की वर्ष 1979-80 की बारहवीं रिपोर्ट पे आ करेंगे।

Chaudhari Des Raj (Chairman, Estimates Committee): Sir, I beg to present a typed copy of the Twelfth Report (alongwith its Appendices) of the Estimates Committee on the Budget Estimated in respect of Education and Irrigation Departments for the year 1979-80.

(3) कमेटी आन सबार्डिनेट लेजिस्ले ान की 11वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष: साहेबान, अब कमेटी आन सबार्डिनेट लेजिस्ले ान के चेयरमैन, श्री प्रताप सिंह ठाकरान कमेटी की 11वीं रिपोर्ट पे ा करेंगे।

Chaudhri Partap Singh Thakran (Chairman, Committee on Subordinate Legislation): Sir, I beg to present a typed copy of the Eleventh Report (alongwith its Appendices) of the Committee on Subordinate Legislation for the year 1979-80.

**(4) वैलफेयर आफ ि ाडयूल्ड कास्टस एण्ड ि ाडयूल्ड ट्राईब्ज
कमेटी**

की 5वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष: अब कमेटी आन दी वैलफेयर आफ ि ाडयूल्ड कास्टस एण्ड ि ाडयूल्ड ट्राईब्ज के चेयरमैन, कैप्टन मांगेंराम, कैप्टन मांगे राम, कमेटी की 5वीं रिपोर्ट पे ा करेंगे।

Capt. Mange Ram (Chairman, Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Secheduled Tribes): Sir, I beg to present a typed copy of theFifth Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Schedule Tribes for the year 1979-80.

बिल्ज -

दि हरियाणा ऐप्रोप्रिए ान नं0 3 बिल, 1980

श्री अध्यक्ष: अब फाईनांस मिनिस्अर हरियाणा ऐप्रोप्रिए ान बिल नं0 3 1980 पे ा करेंगे और उसकी कंसीड्रे ान के लिए भी प्रस्ताव करेंगे।

वित्त मंत्री (लाला बलवन्त राय तायल): मैं हरियाणा ऐप्रोप्रिए ान नं0 3 बिल पे ा करता हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि -

दि हरियाणा ऐप्रोप्रिए ान नं0 3 बिल पर तुरन्त विचार किया जाये।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Appropriation No 3 Bill be taken into consideration at once.

I would request the hon. Members to restrict their discussion to maximum the leaders, 10 minutes and others 5 minutes, so that maximum number of members may take part in the discussion.

श्री मूल चन्द जैन (सम्भालका): स्पीकर साहब, हमारे वित्त मंत्री महोदय इस सदन से 8602998025 रुपये मंजूर कराना चाहते हैं। वैसे तो मुखतलिफ ग्रान्टस की भाक्ल में यह हाउस इस

राकम की मंजूरी दे चुका है लेकिन फारमली अब ये बिल कंसोलिडेटिड तरीके से आया है। मैं वित्त मंत्री और सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं और मुझे आता है कि वे ध्यान से सुनेंगे। (व्यवधान)। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य, श्री कन्हैया लाल पोसवाल, पदासीन हुए) मेरा पहला सुझाव यह है (व्यवधान)

चौधरी रिजक राम: चेयरमैन साहब, लोक दल के नेता और लीडर आफ दी अपोजीशन कभी अपनी पार्टी के किसी दूसरे आदमी को बोलने नहीं देते। सब को बोलने का टाईम देना चाहिए।

श्री हीरा नन्द आर्य: अगर इन्हें लोक दल की इतनी चिन्ता है तो इनको इधर आ जाना चाहिए।

श्री मूल चन्द जैन: मुझे आश्चर्य है कि चौधरी रिजक राम जैसे सीनियर साथी क्यों इस बात की चिन्ता करते हैं। ऐसा लगता है कि वे मेरी नुकताचीनी का जवाब नहीं दे सकेंगे इसलिए बीच में बोलकर सुनना नहीं चाहते हैं। इनको इस बात से क्या गर्ज है कि हमारी पार्टी का कौन आदमी बोल रहा है।

चौधरी रिजक राम: मैं तो इसलिए कह रहा था कि दूसरों को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए नहीं तो फिर ऊपर झगड़ा पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री मूल चन्द जैन: चेयरमैन साहब, आप इनको चुप कराइए और इन को समझाइए कि वे इंटरप्ट न करें।

श्री सभापति: आप बोलते रहें वे अपने आप ही चुप हो जाएंगे।

डा० मंगल सैन: चेयरमैन साहब, आप उनको चुप कराने की हिम्मत तो करें।

श्री सभापति: मैं कोि । । तो कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री मूल चन्द जैन: चेयरमैन साहब, मैं कह रहा था कि सरकार लगभग 860 करोड़ रुपया कंसोलिडेटेड फंड से लेना चाहती है। सरकार ने इस सारे पेसें में यह तो कर दिया है कि इतना इंडस्ट्रीज के लिए है। मैं यह नहीं कहता कि ये समस्याएं नहीं हैं लेकिन कुछ ऐसी भी प्रोबलम्ज हैं जिनको बरनिंग प्रोबलम्ज कहा जा सकता है। और वे केवल हमारे प्रान्त की ही नहीं बल्कि सारे दे । की प्रोबलम्ज हैं। उनके बारे में सरकार ने नहीं बताया कि उनको इस ढंग से हल किया जाएगा और बजट में उनके लिए इतना पैसा रखा है।

श्री भाम ोर सिंह: आन ए प्वाएंट आफ आर्डर, चेयरमैन साहब, जैन साहब, जब बोल रहे हैं तो इनका एक भी साथी सीट पर नहीं है। सारी सीटें खाली पड़ी हैं। इसका मतलब यह है कि इनको कोई भी सुनना नहीं चाहता है। (व्यवधान)

श्री मूल चन्द जैन: चेयरमैन साहब, सबसे पहली प्रोबलम पढ़े लिखों की बेरोजगारी है जिसकी तरफ से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। बेरोजगारी के बारे में यह नहीं कि सरकार ने कुछ काम नहीं किया है। इन्होंने हरिजन कल्याण निगम का सरमाया दो करोड़ रुपये से पांच करोड़ कर दिया है। और अब सरकार पहले साल से अढ़ाई गुना कर्जा हरिजनों के कल्याण के लिए हरिजनों को दे सकेगी। लेकिन मैं फाइनेंस मिनिस्टर और संस्कार से कहना चाहता हूँ कि इन्होंने रकम तो बढ़ा दी है, अगर हरिजन कल्याण निगम का अमला इन्होंने नहीं बढ़ाया तो यह बढ़ा हुआ पैसा खर्च नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि निगम का अमला अब य बढ़ाया जाये। ऐसा न हो जैसा कि खादी बोर्ड में हुआ है कि खादी बोर्ड को तेईस लाख रुपया मंजूर किया गया और उसमें से केवल दो लाख रुपया बांटा गया। चीफ मिनिस्टर साहब, ने अ योर तो कराया है कि 31 मार्च तक अब य बांट दिया जाएगा। मुझे पता नहीं कि ये कैसे बांटेंगे क्योंकि अब केवल इस साल के खत्म होने में दस दिन रह गए हैं। हरिजन कल्याण निगम का सरमाया बढ़ने से हरिजन परिवारों को कुछ फायदा होगा और उनकी बेरोजगारी कुछ हद तक दूर होगी लेकिन चेयरमैन साहब, बेरोजगारी की समस्या हरिजनों तक ही सीमित नहीं है। हरियाणा में सभी परिवारों में बेरोजगारी की समस्या है। दस परसैंट परिवार ऐसे होंगे जिनमें नहीं होगी। इन दस प्रति शत परिवारों में तो ऐसा होता है कि जो काम परिवार में हा रहा है घर के आदमी उसी काम में ऐडजस्ट कर लिए जाते हैं।

बाकी किसी भी गांव में आप चले जाएं हर गांव में पचास, सौ या दो सौ मैट्रिक, बी०ए० और एम०एम० आपको बेकार मिल जायेंगे। चैयरमैन साहब, अभी पिछले दिनों एक सवाल के जवाब में बताया गया कि दस हजार तो बी०ए०बी०एड० और एम०ए०एम०एड० हमारे प्रान्त में बेरोजगार बैठे हैं और काफी तादाद में जे०बी०टी० बेकार फिर रहे हैं। मैट्रिक पास तो हमारे प्रान्त में लाखों की तादाद में बेकार फिर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाने जा रही है। चैयरमैन साहब, पिछले साल पंजाब में पचास रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का एलान किया गया था और मुझे पता है कि पश्चिमी बंगाल, केरल और तमिलनाडु की सरकारों ने भी इस तरह का भत्ता देने का एलान किया है। चैयरमैन साहब, हरियाणा में पर कैपिटा इंकम केवल पंजाब से कम है। हरियाणा की माली हालात केवल पंजाब से कम है और जब केरल, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल की सरकारों ने बेरोजगारी भत्ता दे दिया है तो हरियाणा सरकार को भी इस विषय पर विचार करना चाहिए। इस भत्ते को देने का सरकार एक साल से जो रजिस्टर है या दो साल से रजिस्टर है, कोई भी क्राइटेरिया बना लें लेकिन मेरी तो सरकार से यही प्रार्थना है कि उसको बेरोजगार भत्ता देना चाहिए। ऐसा करने से उन बेरोजगार भाईयों को भी इस बात का ख्याल रहेगा कि सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है और उनके अन्दर फ्रस्ट्रेशन कम होगी। चैयरमैन साहब, हमारे आफिसर्स भी यह सोचेंगे कि आए साल जब इन बेरोजगार भाईयों को दस या बीस करोड़ रुपया दिया जाता है तो फिर क्यों न इन

लोगों के लिए दस बीस करोड़ की कोई ऐसी स्कीम बनाई जाए जिससे कि इन लोगों को परमानेंट जॉब दिया जा सके। चेयरमैन साहब, इन्होंने बजट में 46 करोड़ का घाटा दिखाया है और मुझे पता है कि इन्होंने छिपाने का लफज तो जरा सख्त होगा मैं कह सकता हूँ कि पन्द्रह करोड़ रुपया जो पे कमि इन की रिपोर्ट को इम्पलीमेंट करना है नहीं दिखाया है। यह रिपोर्ट 1 अप्रैल 1979 से लागू करनी थी और इस करेन्ट इयर का पन्द्रह करोड़ रुपया इन को देना है। यह साल 31 मार्च को खत्म हो रहा है। इस तरह से यह घाटा काफी ज्यादा हो जाएगा। इस घाटे को टैक्स इन सिस्टम में तबदीली करके कुछ हद तक पूरा किया जा सकता था लेकिन इन्होंने पिछली सरकार के टैक्स सिस्टम में भी कुछ तबदीली कर दीं मिसाल के तौर पर पिछली सरकार ने हरियाणा टैक्स इन आन सरटेन गुडज बाईरोडज लगाया था। यह टैक्स केवल उन्हीं 323 फ़ैक्टरीज पर लागू किया था जिनके बारे में चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि इन फ़ैक्टरीज के आफिसिज हरियाणा में न रख कर हरियाणा से बाहर रखे हुए हैं। 80 से 90 परसेंट टैक्स उन्हीं लोगों से वसूल होना था लेकिन इस सरकार ने आने के बाद वह टैक्स वापिस ले लिया। मैंने चेयरमैन साहब, अपने सवाल में यह पूछा था कि यह टैक्स तीन महीने से जारी है, सरकार बताए कि इस टैक्स के लगने से उसे कितनी आमदनी हुई है। इस तरह से आप अन्दाजा लगाईये कि एक वर्ष के अन्दर 2 करोड़ 8 लाख रुपये की सरकार को उस टैक्स लगाने से आमदनी हो सकती थी। मैं इन से यह पूछना चाहता हूँ कि इन 323

फैक्टरियों को प्लेट में रख कर 2 करोड़ रुपए की सालाना राशि क्यों दी गई ? क्या यह हरियाणा की 1 करोड़ 20 लाख की जनता के साथ अन्याय नहीं है ? मैं चौधरी रिजक राम जी से पूछना चाहता हूँ वे मुझे रोज ठोकते हैं। अब क्या यह बातें देखकर उनकी आत्मा में आवाज बाकी रह गई है ? जिस तरीके से इन्होंने कांग्रेस ज्वायन की है उस बात के लिये तो मैं इनको बधाई देता हूँ। इसके लिये तो वे वाकई बधाई के पात्र हैं। मैंने यहज पूछा था कि जिस दिन यह टैक्स लागू हुआ था और चौ० देवी लाल की सरकार जाने के बाद कितने रिप्रीजेन्टे इन आये जिनके कारण यह टैक्स वापस हुआ ? इन्होंने उन रिप्रजन्टे इन की कापियां मेरे पास भेज दी हैं, मैंने वे सारी की सारी पढ़ी उनमें किसी एक ने भी कोई बुनियादी सवाल नहीं उठाया कि तुम यह टैक्स क्यों लगा रहे हो, बल्कि सभी ने इतना ही कहा कि हम इसके तहत कवर नहीं होते। उस आर्डिनैस में कुछ कमियां रह गई थी और पुरानी सरकार जिसमें चौधरी भजन लाल जी भी मन्त्री थे ने भी उन कमियों को दूर करने में काफी पार्ट प्ले किया था। उस समय चीफ मिनिस्टर दिल्ली थे। चीफ मिनिस्टर के पास उन कमियों को दूर करने के बारे में ये मेरे सुझाव लेकर वहां गए थे और वे कमियां दूर हो गई थी।

चेयरमैन साहब, कहने का मतलब यह है कि इन्होंने जो हरियाणा के अन्दर 323 फैक्टरियों को प्लेट में रख कर दो करोड़ रुपये की राशि उन्हें दे दीं, चाहे वे फरीदाबाद की फैक्टरियां हैं,

सोनीपत की हैं, चाहे करनाल की हैं चाहे धरौंडा की हैं। ऐसा करके उन्होंने हरियाणा की जनता के साथ खिलवाड़ किया है। इससे क्या हुआ कि अमीरों को इतनी बचत हो गई। चेयरमैन साहब, इस बजट के अन्दर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अमीरों के साथ बहुत रियायतें की गई हैं। ये जो फैक्टरियां हैं, ये मजे से वायुमण्डल को खराब कर रही हैं लेकिन सरकार की तरफ से इनके ऊपर कोई एक एन नहीं लिया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर साहब ने आवासन दिलाया है कि 6 महीने या साल के अन्दर अन्दर फैक्टरियों में वाटर पोल्यूशन आदि का जो मामला है, इसको बन्द कर दिया जाएगा अगर वे इस अर्से में इस समस्या को हल कर देंगे तो मैं इसके लिये उन्हें बधाई दूंगा।

चेयरमैन साहब, इससे आगे मैं चार्ज्ड इम्पलाईज के बारे में अपने विचार यहां हाउस में रखना चाहता हूं। इस बारे में हम सरकार से कहते रहे कि वर्क चार्ज्ड इम्पलाईज को भी दूसरे रेगुलर इम्पलाईज की तरह ट्रीट करे क्योंकि ये इम्पलाईज रेगुलर इम्पलाईज की फरि त में नहीं आते। रेगुलर या वर्क चार्ज में कोई भेदभाव नहीं रखा गया है। चीफ मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा कि जितना काम हमने वर्क चार्ज्ड इम्पलाईज के लिये किया है उतना पहले किसी सरकार ने नहीं किया। चेयरमैन साहब, मैं आपको बताता हूं कि 1 मार्च 1979 में जो बजट मैंने पेश किया था, उसकी कापी मेरे पास है। मैं पढ़ूंगा तो नहीं, पर केवल हवाला ही दूंगा कि मैंने उसमें खास तौर पर वर्क चार्ज्ड

इम्पलाईज के लिए 24 लाख रुपया दिया था। उसी सरकार में चौधरी भजन लाल जी भी मन्त्री थे। उस बजट स्पीच में यह कहा गया था कि वर्क चार्ज्ड इम्पलाई को 10-12 साल से वंचित किया हुआ था। अब तक उनके साथ इन्साफ नहीं हुआ है। 1966-67 में एक सरकारी पे कमेटी बनी थी और उसमें भी वर्क चार्ज्ड इम्पलाईज की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आखिर में 1979 में हमारी उस सरकार ने फैसला करके 24 लाख रुपये की राशि। वर्क चार्ज्ड इम्पलाईज की तरह तनख्वाह नहीं मिलती एक वर्क चार्ज्ड बेलदार दूसरे बेलदार की तरह तनख्वाह नहीं पाता। यह कहां का इन्साफ है कि एक बेलदार दूसरे बेलदार की तरह तनख्वाह न ले। हम कहते थे कि हम इन्साफ देंगे लेकिन हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस सरकार के होते हुए एक गरीब वहीं का वहीं है और एक अमीर और अमीर होता जा रहा है।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, 1978 में जिसको पांच साल हो चुके होंगे उनको हम रेगुलर करने जा रहे हैं।

श्री मूल चन्द जैन: चेयरमैन साहब, यह मेरे लिए काफी नहीं है। मेरा कम्प्रोमाईज तो तब हो सकता है जब कि सरकार पांच साल की बजाय दो साल के बाद ही वर्क चार्ज्ड आदमियों को रेगुलर करे दें क्योंकि चेयरमैन साहब, जो वर्क चार्ज्ड इम्पलाईज हैं, वह सबसे ज्यादा गरीब परिवारों से आते हैं। आज उसके घर में खाने के लिये रोटी नहीं है, उनके बीवी बच्चे तड़प रहे हैं।

इसलिये मेरी सरकार से रिकवैस्ट है कि इस तरफ ध्यान दिया जाए क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत वर्क चार्ज्ड इम्पलाईज ही करता है। उसको दूसरे इम्पलाईज के पैरेलल लाया जाए। हमने जब 24 लाख रुपया इनके लिये दिया था उस वक्त यह भी कहा गया था कि इनका केस भी पे कमि इन के पाए जाए। हमने डिसाईड किया था कि वर्क चार्ज्ड इम्पलाईज को भी दूसरे इम्पलाईज के साथ भामिल किया जाए लेकिन अब ये कहते हैं कि ये वर्क चार्ज्ड इम्पलाईज दूसरे इम्पलाईज के साथ भामिल नहीं हो सकते। ऐसा करके यह सरकार उनके साथ अन्याय कर रही हैं।

श्री सभापति: जैन साहब, आप टाईम का ख्याल रखें।

श्री मूल चन्द जैन: इसके बाद मैं पब्लिक अन्डरटेकिंग्स के बारे में भी कुछ बताना चाहता हूँ। पब्लिक अन्डरटेकिंग्स की वर्किंग में उतनी देर तक इम्प्रवमेंट नहीं हो सकती जब तक कि सरकार पब्लिक अन्डरटेकिंग्स कमेटी की सिफारिशों पर तुरन्त अमल न करे। यहां पर चीफ मिनिस्टर महोदय ने और एफ0एम0 महोदय ने यह आवासन तो दिया है कि वे किसी भी अन्डरटेकिंग्स में किसी भी मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन को दो चार महिनों में नहीं बदलेंगे यह अच्छी बात है। अगर मैनेजिंग डायरेक्टर व चेयरमैन को जल्दी जल्दी बदल दिया जाए तो वे किसी भी कारपोरेट वगैरह का काम अच्छी तरह से नहीं समझ सकते जिससे सरकार घाटे में जाती है। मैंने इस बारे में यह कहा था कि इसमें इस सरकार का कसूर नहीं है, पहली सरकार भी

इसकी जिम्मेवार है। अगर हम सारी पब्लिक अन्डरटेकिंगज में बिजली बोर्ड को भामिल कर लें तो आप देखेंगे कि सभी में कोई लगभग सरकार का दो अरब रुपये के करीब लगा हुआ है और अगर इन दो अरब रुपये के ऊपर सरकार को 20-30 लाख या एक करोड़ के करीब भी सूद न मिले तो फिर इन अन्डरटेकिंगज का क्या फायदा ? इसलिये सरकार ने जो आ वासन दियया है वह एक सही कदम है, इससे सरकार को फायदा भी होगा। अतः सरकार से मेरी रिकवैस्ट है कि इन कार्पोरे ान के चेयरमैन और मेनेजिंग डायरेक्टर को कम से कम दो तीन साल के लिये न बदला जाए।

चेयरमैन साहब, अब इसके बाद मैं उचन्ती सौदे के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। वित्त मंत्री महोदय ने मेरे उस सुझाव को इस तरीके से कह कर टाल दिया कि 100-200 आदमी रोजाना दिल्ली से माल लाते हैं और वे बेचारे रोज के 10, 20, 30 रुपये कमाते हैं। जैन साहब को यह सब देख कर दुःख होता है कि वे आदमी क्यों कमाई कर रहे हैं, इन्होंने मेरे पर यह इलजाम लगाया है।

आवाजें: कोई सरकार अपने आदमियों को बेईमानी की तरफ नहीं जाने देती।

श्री मूल चन्द जैन: मैं तो चेयरमैन साहब, यह कहूंगा कि कोई भी सरकार अपनी प्रजा को बेईमानी की तरफ नहीं जाने

देती बल्कि रोकती है। हमारे वित्त मंत्री महोदय ने हाउस में खड़े होकर यह कहा कि तुम दिल्ली से माल लाओ और आपको कोई भी नहीं रोकेगा। चाहे आप माल पानीपत में बेचो, चाहे गन्नौर में, चाहे सोनीपत में चाहे करनाल में कहीं भी बेचो आपको एक्साईज एण्ड टैक्स इन का कोई भी अधिकारी नहीं रोक सकता। एक तरफ तो तायल साहब अपने आपको गांधीवादी बताते हैं और दूसरी तरफ वे इस तरह का रवैया अपनाते हैं हजारों नौजवानों को जो कि अपनी हिम्मत से पैसा कमाने वाले हैं, उनको ऐसे कामों के लिये प्रोत्साहन देते हैं और दूसरी तरफ वे करोड़ पतियों के हमदर्द हैं जिनकी दुकानों पर दस दस बीस बीस लाख रुपये का माल होता है और वे लोग अपनी किताबों में केवल दो तीन लाख का माल ही दिखाते हैं।

11.00 बजे

वह 10-15 लाख का माल उचन्ती में बेचता है और उस पर कोई टैक्स नहीं देता है। मैंने वांचू कमेटी का हवाला भी दिया था और कहा था कि सारे देश में कई अरब रुपये का काला धान है। यह काला धान उचन्ती सौदों से ही इकट्ठा होता है। मैंने पूछा था कि इस चीज को रोकने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं ? परन्तु कोई उचित जवाब नहीं मिला। उचन्ती सौदे बंद हो जाएं तो करोड़ों की आय बढ़ जाए। हमारी हरियाणा स्टेट में जमीन में मिनरल्ज की भाकल में जो धन है उसको ठीक तरीके से एक्सप्लायट नहीं किया जा रहा है। मैं इसके लिए केवल इस

सरकार को ही दोषी नहीं ठहराता बल्कि इसके लिए पहली सरकार भी जिम्मेदार है। गुड़गांव और फरीदाबाद जिलों से साल भर में लाखों से भी ज्यादा ट्रक बजरी और पत्थर के हमारी स्टेट से दिल्ली जाते हैं। यह बिल्डिंग का मैटेरियल है। इससे मुफ्त में ठेकेदारों ने अपने महल बना लिए हैं और सरकार को इनसे बहुत कम आमदनी होती है। मेरे पास आंकड़े हैं अगर सरकार इन मिनरल्ज का ठीक तरीके से प्रयोग करें या ठीक इन्तजाम करें तो सरकार को इनसे 10 करोड़ रुपए सालाना की आमदनी हो सकती है, जबकि अब मुक्ति कल से एक करोड़ रुपए की आमदनी होती है। इसलिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब और फाइनेंस मिनिस्टर साहब की सेवा में कहता हूँ कि इन कमियों को ठीक करें। इस समय इसके बारे में जो पालिसी है वह प्रोरिच पालिसी है। जब मैं ऐसी बात कहता हूँ तो मुझे कह देते हैं कि इनको फोबिया हो गया है। मुझे फोबिया इसलिए है कि स्टेट के धन का दूसरे ठेकेदार नाजायज फायदा उठा रहे हैं। वे लोग इस तरह से गलत कमाई कर रहे हैं और कोई उसकी परवाह नहीं करता। मैंने पिछले साल के बजट में मिनरल्ज पर 50% टैक्स बढ़ाया था। मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से पूछता हूँ कि वे मुझे बताएं कि क्या वह टैक्स आपने वापिस ले लिया है या उसमें कोई रिलैक्सेशन दे दी है? आज जो दिल्ली में बिल्डिंग बन रही है वे हरियाणा के मिनरल्ज से बन रही हैं। आप एक कमेटी बनाएं जो हरियाणा के मिनरल्ज की देखभाल करे ताकि हरियाणा खुद उनसे कुछ फायदा उठा सकें। एक बात मैंने पुलिस ट्रेनिंग के बारे में इस हाउस में कही

थी लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने मेरी बात को एप्रिं एट नहीं किया था। मुझे खुशी है कि पिछले दिनों दिल्ली में जब अंधों पर पुलिस का हमला हुआ और एक पुलिस सब इन्सपैक्टर ससपेंड भी हुआ तो उस पर टिप्पणी करते हुए प्राईम मिनिस्टर श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा कि हमारी पुलिस ट्रेनिंग मुनासिब नहीं है। अगर मुनासिब होती तो अन्धे आदमियों पर इस तरह से हमला नहीं होता। अगर प्राईम मिनिस्टर सारे हिन्दुस्तान की पुलिस के बारे में कह सकती हैं तो मैं अगर यहां पर हाथ जोड़ कर कह दूं कि हरियाणा पुलिस की ट्रेनिंग ठीक नहीं है तो इसमें क्या बुराई है ? मैं यह बात इसलिए नहीं कहता कि मैं हरियाणा की पुलिस को बदनाम करना चाहता हूं। मैं तो यह चाहता हूं कि हरियाणा की पुलिस स्काटलैंड जैसी हो। लेकिन जब बार बार यह बात आए कि हमारी पुलिस ने यह अत्याचार किए हैं तो मुझे भार्म आती है। आप पुलिस की जो ट्रेनिंग मधुबन में दे रहे हैं उसके बारे में मैं अपनी इनफर्मेसन के आधार पर कहता हूं और इस बात को आई0जी0 और होम सैक्रेटरी ने भी स्पीकार किया है कि दो किसम का स्टाफ है। एक तो परमानेंट स्टाफ है और दूसरा टैम्पोरेरी स्टाफ। आम तौर पर यह होता है कि वहां पर कंडैम्ड टैम्पोरेरी स्टाफ भेज दिया जाता है। मैं पूछ सकता हूं कि वहां पर कंडैम्ड स्टाफ क्यों भेजा जाता है ? ऐसा स्टाफ जो दूसरे पुलिस कर्मचारियों को ट्रेनिंग देगा उसका अन्दाजा आप लगा सकते हैं कि वह ट्रेनिंग कैसी होगी ? अगर आप वहां पर एक सब इन्सपैक्टर क्यों नहीं रख लेते ? फर्क सिर्फ इतना ही पड़ेगा कि

एक सब इंस्पैक्टर पांच सात सौ तनखाह लेता है और इंस्पैक्टर एक हजार लेगा। आज जिस आदमी को भी पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में तबदील कर दिया जाता है वह वहां पर निरो । होकर जाता है। अगर वहां पर कोई आदमी निरा । होकर जाएगा तो वह दूसरों को क्या प्रेरणा दे सकता है ? ये चन्द बातें मैंने आपके सामने रखनी थी और मुझे वि वास है कि सरकार इन पर गौर करेगी।

स्वामी आदित्यवे । (हथीन): चेयरमैन साहब, वित्त मंत्री जो विनियोग विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है मैं उसके ऊपर कुछ भाब्द कहना चाहता हूं। अभी विपक्ष के वरिष्ठ नेता बाबू मूल चन्द जैन जी ने कुछ बातें कहीं और इससे पहले बजट पर डिस्कान के समय भी इसी तरह की बातें कीं और उसके बाद मांगों पर चर्चा हुई उस पर भी कुछ बातें कहीं। सभापति जी बाबू मूल चन्द जैन जी को बार बार वहीं अपने पुराने दिन याद आते रहें और वे बार बार अपनी बजट स्पीच को कोट करते रहे कि मैं वित्त मंत्री था मैंने यह किया, वह किया। लेकिन उन्होंने कोई भी रचनात्मक सुझाव नहीं दिया। सभापति जी उन्होंने बार बार यह कहा कि बजट में जो व्यवस्था की जा रही है। वह सारी सरमाएदारों के लिए की जा रही है। लेकिन उन्होंने अपनी बजट स्पीच में यह बात रखी थी और ऐलान किया था कि हमारे हरियाणा में ज्यादा कारखाने वाले हैं और वे जो सामान बाहर ले जा रहे हैं हम उस पर टैक्स लगा रहे हैं। ऐसा कह कर उन्होंने उनको सचेत कर दिया और वे लोग सड़के से माल न ले जाकर

रेल द्वारा माल ले जाने लगे। इससे उस टैक्स को लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए हमारी सरकार ने उस टैक्स को वापिस लिया। हम हर एक आदमी को ईमानदार समझते हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि अगर हम सारे राजस्व को देखें तो पता चलेगा कि पिछले साल जहां हमारा राजस्व 331 करोड़ रुपये था वहां इस बार 433 करोड़ रुपया है। आप हिसाब लगा सकते हैं कि 102 करोड़ रुपया इन्क्रीज हुआ है। लेकिन जैन साहब का ध्यान इधर नहीं गया। उनको तो बार बार अपने वित्त मंत्री वाले दिन याद आते हैं। आज ये समाजवाद का नाम बार बार लेते हैं लेकिन मुझे दुख होता है हालांकि बाबू जी जैन मत को मानने वाले हैं और वे बड़े त्यागी और तपस्वी हैं लेकिन जब वे वित्त मंत्री थे तो उन्होंने मांग की कि मुझे लम्बी गाड़ी दी जाये। सभापति जी उस समय के जो नेता थे उनसे मैंने सदन में सवाल उठाया था कि 17 मंत्रियों पर 49 लाख रू० खर्च कर रहे हैं, यह कहां तक ठीक है ? सभापति जी उन्होंने बजट स्पीच पर अपने विचार व्यक्त करते हुए यहां तक कहां कि यह बजट मार्ग दर्शन देने वाला नहीं है। मुझे एक भोयर याद आ गया –

जिन्दगी क्या अब तुम्हें कातिल के हवाले कर दूं,

खून तमन्ना अब देखा नहीं जाता।

सभापति महोदय, मेरे विरोधी पक्ष के भाईयों ने बजट की स्पीच को पढ़ने का प्रयास ही नहीं किया। इस कहर के संकट के समय में भी इस सरकार ने सारे हरियाणा की आमदनी में 10 प्रतिशत की वृद्धि की है। सभापति महोदय, आज हरियाणा, आज हरियाणा की पर कैपिटा इनकम 400 रुपए से बढ़कर 439 रुपए के लगभग जो कि साढ़े दस परसेंट बनती है, वृद्धि हुई है। सभापति महोदय, डा० मंगल सैन जी ने तो बजट पर चर्चा करते हुए यहां तक कह दिया है कि यह बजट तो बुद्धिहीन बजट है। सभापति महोदय, 860 करोड़ रुपए की बात रखी जा रही है और सारा सदन उस पर बहस कर रहा है लेकिन ये मेरे विरोधी पक्ष के भाई कह रहे हैं कि यह बजट तो बुद्धिहीन है क्योंकि इन्होंने ठेका ले रखा है बुद्धिमता का और वह भी डा० मंगल सैन जी ने। सभापति महोदय, मैं सदन के सामने यह कहना चाहता हूँ कि जिस समय बाबू मूल चन्द जैन जी फाईनैंस मिनिस्टर थे तो उस समय ये गरीबों के लिए बहुत हमदर्दी की बात किया करते थे लेकिन जैन साहब आप अपनी छाती पर हाथ रख कर कहें कि क्या आपके दिल में गरीबों के लिए हमदर्दी थीं ? सभापति महोदय, जो मेवात का इलाका है वह हरियाणा प्रान्त में सबसे गरीब और पिछड़ा हुआ इलाका है। क्या डा० मंगल सैन ने, जब वे मिनिस्टर थे मेवाल एरिया के गांवों को अपनी डिस्ट्रिक्ट ग्रान्ट में से कोई पैसा दिया ? चेरमैन साहब, इन्होंने कुछ नहीं दिया। (गोर एवं विघ्न)

चौधरी हर स्वरूप बूरा: चेयरमैन साहब, मैं प्वायंट आफ आर्डर के जरिए आपका ध्यान रूल नं० 203 के सब-रूल (4) की ओर दिलाना चाहता हूँ, जिसमें लिखा है :-

“The debate on an Appropriation Bill shall be restricted to matters of public importance or administrative policy

मैं पूछना चाहता हूँ कि स्वामी जी किस बात पर बोल रहे हैं ?

Mr. Chairamn: I would request the hon. Member to be relevant to the Bill under discussion.

स्वामी आदित्यवे I: चेयरमैन साहब, मेरे विपक्ष के भाईयों की तरफ से किसी ने भी कोई रचनात्मक सुझाव नहीं दिए। सभापति महोदय, रोहतक में एक वै I पोलेटैकनिक कालेज है। वहां पर डा० मंगल सैन जी ने, जब ये मंत्री थे, अपने समय में बड़े बड़े सरमायदारों के बच्चों को उस कालेज में दाखिला दिला दिया लेकिन हमारे क्षेत्र मेवात के किसी भी गरीब बच्चे को वहां पर दाखिला नहीं दिया। (गोर एवं विघ्न)

डा० मंगल सैन: चेयरमैन साहब, स्वामी जी मेरा नाम ले रहे हैं इस बात से तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है।

स्वामी आदित्यवे I: सभापति महोदय, थोड़े दिन के बाद डा० साहब कहने लग जाएंगे कि मेरा हरियाणा से कोई

मतलब नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा कि इन 860 करोड़ रुपए में लगभग 240 करोड़ रुपए योजनाओं के अन्तर्गत पूरी तरह से हरेक वर्ग को जोड़ने का प्रयास किया गया है। सभापति जी, मैं सिंचाई के बारे में थोड़ी बातें कहना चाहता हूँ। सिंचाई के लिए इस सरकार ने इतना ज्यादा पैसा रखा है और यह संकल्प लिया है कि जो नहरें 25 करोड़ वर्गफुट हैक्टेयर कच्ची हैं उनको हम पक्का करेंगे और तीन हजार मील लम्बे जो वाटर कोर्सिज हैं उनको पक्का करेंगे। यह सारे का सारा पैसा इसी बजट में रखा है, बाबू मूल चन्द जैन जी बजट पर चर्चा करते हुए यह कहते रहे कि मैं फाईनैस मिनिस्टर था लेकिन इन्होंने बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किया। इस सरकार ने बेरोजगारों के लिए बहुत ज्यादा आगे बढ़ के प्रोत्साहन देने का प्रयास किया है लेकिन हमारे हरियाणा का नौजवान रोजगार के लिए उत्साहित नहीं है। सभापति महोदय, इस सरकार ने बेरोजगारों के लिए यहां तक प्रयास किया है कि जो भी नौजवान देहात में अपनी इंडस्ट्रीज लगा कर काम करेगा उसको एक लाख रुपए पर 15% सबसिडी भी दी जाएगी लेकिन हरियाणा का नौजवान बिल्कुल उल्टा चलता है। वह कहता है कि मुझे तो कहीं चपरासी लगा दिया जाए, मैं उद्योग धन्धा नहीं चला सकता। सभापति महोदय, सारे हिन्दुस्तान में एक हरियाणा प्रान्त ही ऐसा प्रान्त है जहां पर कि अपने नौजवानों के लिए 15% छूट दी जा रही है और किसी भी स्टेट में इतनी छूट नहीं दी जा रही है हमारी सरकार ने तो इस प्रदे 1 के नौजवानों को यहां तक कहा

है कि जो केन्द्रीय सरकार को कर देंगे उसके बदले में 7 साल के लिए बिना ब्याज के पैसा हम नौजवानों को देंगे लेकिन इस प्रान्त का नौजवान आगे बढ़ कर नहीं आता। हमारे विपक्ष के नेता बाबू मूल जैन जी हैं, इनके पास नौजवान आते होंगे और ये उनको कहते होंगे कि जब मैं फाईनैस मिनिस्टर था तब कहते तो मैं कुछ कर सकता था लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ ? (गोर एवं विघ्न) सभापति महोदय, इसके इलावा मैं अब एक बात और कहना चाहता हूँ जो हमारे सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में है। इनके बारे में पहले यह फैसला था कि यदि किसी मुलाजिम की सर्विस में आने के 5 साल के बाद मृत्यु हो जाती थी तो उसके परिवार वालों को सर्विस का बैनिफिट दिया जाता था लेकिन अब हमारी सरकार ने फैसला किया है कि यदि किसी कर्मचारी की एक साल की सर्विस के बाद ही मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को उसकी सर्विस का बैनिफिट दिया जाएगा। इस सरकार ने हरेक वर्ग के लिए हरेक क्षेत्र के लिए बहुत आगे बढ़ कर के काम किए हैं। सभापति महोदय, डा० मंगल सैन जी ने बजट पर चर्चा करते हुए कहा कि स्वामी जी आप तो महर्षि स्वामी दयानन्द जी के चेले हो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सभापति महोदय, मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ और डा० साहब कान खोल कर सुन लें कि महर्षि स्वामी दयानन्द के रास्ते पर चलने वाले महात्मा गांधी जी के हत्यारे **** हैं। (गोर एवं विघ्न)

Dr. Mangal Sein: It is highly objectionable, Sir. This must be expunged. (Interruptions) He is speaking most

irresponsibly. He should not be allowed to speak like this.
स्वामी जी ने जो हमें हत्यारा कहा है उसको एक्सपंज कराएं।
(गोर एवं विघ्न)

श्री सभापति: डा० साहब, इन्होंने आपको हत्यारा नहीं
कहा (गोर)

डा० मंगल सैन: नहीं जी, इन्होंने कहा है कि महात्मा
गांधी के हत्यारे ***** थे आप इन से पूछें कि वे हत्यारे कौन थे
? (गोर)

श्री सभापति: डा० साहब, महात्मा गांधी जी का हत्यारा
तो नाथू राम गौडसे था। (गोर)

स्वामी आदित्यवे : सभापति महोदय, मैं डा० साहब को
कहना चाहता हूँ कि ये बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं। जब इनको किसी
दूसरे सदस्य पर कोई आरोप लगाना हो तो इनकी कड़ी जिम्मेदारी
के साथ बात करनी चाहिए। (गोर एवं विघ्न)

श्री बलदेव तायल: चेयरमैन साहब, मुझे आपसे केवल
इतना ही कहना है कि स्वामी जी ने कहा कि महात्मा गांधी जी के
हत्यारे **** थे इसलिए मेरी आपसे गुजारि है कि स्वामी जी का
तो कोई वर्ग है नहीं ये भाब्द हाउस की कार्यवाही से एक्सपंज
होने चाहिए। (गोर एवं विघ्न)

श्री सभापति: यदि कोई ऐसा भाब्द है तो वह एकसपंज कर दिया जाएगा (गोर)

स्वामी आदित्यवे I: सभापति महोदय, यह ऐतिहासिक सत्य है कि मैं इस महान सदन के सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ मैं डा0 साहब की तरह से बात नहीं करता। सभापति महोदय, ये लोग आर0एस0एस0 के लोग हैं, ये एक ही कम्युनिटी के लोग हैं जिनका कि एक विशेष वर्ग से ताल्लुक है। (गोर एवं विघ्न)

Dr. Mangal Sein: Chairman Sahib, he should not be encouraged to say like this.

स्वामी आदित्यवे I: सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा डा0 साहब को बताना चाहता हूँ कि जो महर्षि दयानन्द जी के चेले हैं वे खुद बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात करते हैं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। डा0 साहब की कम्पनी के सभी लोग विशेष वासधाती हैं। (गोर एवं विघ्न)

सभापति महोदय, हरियाणा के 12 साल के इतिहास में यह पहला बजट है जिन में जनता जनार्दन पर टैक्स नहीं लगा, किसी भी वर्ग पर एक पैसे का टैक्स नहीं लगाया, हर वर्ग का सरकार ने ध्यान रखा है। सभापति महोदय, विरोधी पक्ष के सदस्यगण, जो किसानों के बड़े भारी हमदर्द बने बैठे हैं, इन्होंने अपने भासनकाल में किसी वर्ग का ध्यान नहीं रखा। पिछले साल मार्च के महीने में इन्होंने बसों का किराया बढ़ा दिया, रजिस्ट्रेशन

फीस बढ़ा दी और आबयाना बढ़ाने की पूरी कोशिश की लेकिन लोगों ने इन के बजट को फाड़ कर फेंक दिया। इस सरकार ने बड़ी हिम्मत से काम लिया और एक पैसा भी टैक्स नहीं बढ़ाया बल्कि खर्च में 6 परसेंट कटौती की है। सभापति महोदय, विधान सभा कार्यालय के खर्च पर बहुत ज्यादा कटौती लगाई। इसी तरह पिछले साल गवर्नर महोदय के लिए 15 लाख रुपया खर्चा किया था लेकिन इस साल हमारी सरकार ने हिम्मत से काम लिया, हमारे गवर्नर महोदय भी वास्तव में तपस्वी हैं, सरकार ने 15 लाख से घटाकर 11 लाख रुपया कर दिया है। इसी तरह पी0डब्ल्यू0डी0 में, इरीगेरान वगैरह के कार्यालयों के खर्च को सरकार ने कम कर दिया है और जहां तक हो सकेगा, हर एक खर्च को कम करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस सराहनीय काम के लिए इमारे अपोजीरान के भाइयों ने एक भाब्द भी नहीं कहा। बहन कमला वर्मा जी बैठी हुई हैं। इनके पास जब कोई आदमी अपना कार्य करवाने के लिए जाता था तो ये उससे पूछा करती थी कि क्या आप आर0एस0एस0 में भाग लेते हो या नहीं। (व्यवधान)

डा0 मंगल सैन: स्वामी जी होते हुए आप इतनी * *

* करते हैं ? आप * * बोल रहे हैं। (व्यवधान)

स्वामी आदित्यवे 1: सभापति महोदय, मैं बिल्कुल अनुभव की बात बता रहा हूँ, इसलिए जब तक डा0 मंगल सैन और कमला वर्मा मन्त्री रहे, मैंने इनको कभी भी किसी काम के लिए

नहीं कहा। * * * * * * * * * * |

(व्यवधान एवं भाोर)

डा० मंगल सैन: चेयरमैन साहब, इन्होंने * * *

* * कहा है। (व्यवधान)

चौधरी भजन लाल: यह रैलवैंट हैं।

डा० मंगल सैन: चेयरमैन साहब, इसको एक्सपंज करवाइए। How is it relevant ?

चौधरी भजन लाल: किसी पार्टी का नाम तो ले सकते हैं और पार्टी का नाम लेना इररैलेवैंट नहीं है। (व्यवधान)

डा० मंगल सैन: क्या हम भी यह कह सकते हैं * *

* * * * * ? Will it be a decent language, Sir ? (Interruptions)

श्री सभापति: पौलिटिकल पार्टी का नाम लिया गया है। (व्यवधान) आप बैठ जाइए।

डा० मंगल सैन: आन ए प्वायंट आफ आर्डर। सभापति महोदय, मैं आपकी रूलिंग चाहता हूँ कि क्या कोई मैम्बर, ऐप्रौप्रिए इन बिल के सब्जैक्ट मैटर से बाहर जाकर, * * *

* * कह सकता है ?

श्री सभापति: अगर किसी मैम्बर को इस पर एतराज है तो वह अपनी तरफ से जवाब दे सकता है। (व्यवधान)

डा0 मंगल सैन: इसका मतलब यह हुआ कि वह कह सकता है, फिर तो हम भी कह सकते हैं * * * * *

(व्यवधान)

स्वामी आदित्यवे T: 1971 की एक घटना आपके सामने रखना चाहता हूँ। श्रीमती इंदिरा गांधी (व्यवधान)

डा0 मंगल सैन: चेयरमैन साहब, ये बिल्कुल इररैलेबैट बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: जो मैम्बर मेरी इजाजत के बिना बोलेगा उसको रिकार्ड न किया जाए।

स्वामी आदित्यवे T: सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि 1971 की बात है। भायद इनको इस बात का पता नहीं, 1971 में आर0एस0एस0 के लीडर श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने श्रीमती इंदिरा गांधी को दुर्गा का अवतार कहा था।

डा0 मंगल सैन: सभापति महोदय, इनसे पूछिए कब कहा था ? यह भायद तब कहा था जब दे T में आफत आई हुई थी, उस वक्त दलबदली नहीं थी। (व्यवधान)

श्री सभापति: इन्होंने तो यह कहा कि 1971 में कहा था। (व्यवधान)

डा0 मंगल सैन: कोई बात नहीं, इसके बाद मेरा नम्बर है, मैं बोलूंगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठ जाइए। (व्यवधान)

श्री मूल चन्द: आन ए प्वायंट आफ आर्डर। स्पीकर साहब, आर0एस0एस0 आर्गेनाईजे 1न इस दे 1 में बहुत सालों से चालू है। किसी भी असैम्बली में, किसी भी लोक सभा में, कंट्री की किसी भी आर्गेनाईजे 1न को * * * * * नहीं कहा गया। अगर इसी तरह चलता रहा तो इसके माइने यह होंगे कि कल कोई मैम्बर आर्य समाज को कहेगा, कोई जैन सभा को कहेगा। यह एक ऐसा मदारी का बौक्स खुल रहा है जिसको कोई एंड नहीं। मैं आपसे अपील करूंगा कि ऐसी बातों को बंद करवाइए। ये लफज जो आर0एस0एस0 के बारे में कह गये हैं, प्रोसीडिंग में से एक्सपंज करवायें वरना मैम्बर्ज की फीलिंग इंजर होगी। पहली बार ही हमारी हरियाणा की असैम्बली में ऐसी बात हुई है।

श्री सभापति: मैं मैम्बर साहिबान से कहूंगा कि वे इस तरह की बात न करें और 'एनीमी नं0 1' का लफज एक्सपंज किया जाए।

स्वामी आदित्यवे 1: सभापति महोदय, नारनौल रैस्ट हाउस में जिस वक्त इनको डिसमिस किया गया था

चौधरी हरिचन्द हुड्डा: चेयरमैन साहब, आर0एस0एस0 तो चौधरी राम लाल और डा0 मंगल सैन के बीच का मामला है

श्री जगन नाथ और हमें तो पता नहीं कि आर०एस०एस० क्या बला है ? (व्यवधान)

चौधरी राम लाल वधवा: सभापति महोदय, मेरा एक प्वांयट आफ आर्डर है। अगर आर०एस०एस० के बारे में आपने फैसला करना है तो मुझे इजाजत दें मैं यहां चौधरी भजन लाल जी की स्पीचिंग का टैप रिकार्ड सुना देता हूं। (गोर)

(इस समय बहुत सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए।)

श्री सभापति: स्वामी जी अब आप बैठिए। श्री बलदेव तायल जी अब बोलेंगे।

श्री बलदेव तायल (हांसी): सभापति महोदय, सरकार ने आज ये ऐप्रोप्रिए इन बिल इस गरिमामय सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया है। (विघ्न) सभापति महोदय, इस हरियाणा ऐप्रोप्रिए इन बिल को अगर हरियाणा मिस ऐप्रोप्रिए इन बिल कहा जाए तो ज्यादा ठीक होगा। (विघ्न) सभापति महोदय, सबसे पहले मैं सदन का ध्यान उस उद्यमी, परिश्रमी किसान की और दिलाऊंगा जो निरीह है, बेजुबान है, जिसके तन पर कपड़ा नहीं है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, जिसको पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, जो अपना खून और पसीना बहा कर अन्न उगाता है। मैं हरियाणा के उस किसान का धन्यवाद करता हूं जिसने अपने अथक परिश्रम से इस देश की खाद्य समस्या को हल किया। परन्तु सभापति महोदय बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि एक

ऐसा वर्ग जिसकी आबादी हरियाणा में 80 प्रति शत है, जिस पर सारा देश निर्भर है, जिसकी बिना पर बजट के अन्दर कहा गया है, कि यह कृषि प्रधान प्रदेश है, उसकी बहबूदी के लिए, उसके लाभ के लिए हमने विशेष ध्यान नहीं दिया। सभापति महोदय, कुछ चन्द दिन हुए अखबारों में छपा था कि केन्द्रीय सरकार ने गेहूँ की कीमत दो रुपये क्विंटल बढ़ा दी है। जिसकी वजह से हरियाणा और पंजाब के किसानों को 12 करोड़ रुपये का फायदा होगा। सभापति महोदय, आँकड़े यह साबित करते हैं कि प्रोक्योरमेंट पालिसी के तहत हरियाणा के किसानों को जो उसके गेहूँ की 117 रुपये क्विंटल के हिसाब से कीमत दी जाएगी उससे एक अरब रुपये का नुकसान होगा। सभापति महोदय, सोचने की बात है कि जब किसी मजदूर को, किसी किसान को उसकी कोस्ट आफ प्रोडक्शन भी न दी जाए तो उसका क्या दर्शा होगा ? कैसे वह अपने बच्चों को पढ़ाएगा, कैसे उन का पेट पालेगा किस प्रकार वह रह पाएगा ? (विध्वन) सभापति महोदय, कुछ आँकड़े इस प्रकार हैं जो किसान ने अपनी मेहनत और अपने खर्च से पैदा किए हैं। 1966 के अन्दर फर्टिलाइजर की कंजम्पशन हरियाणा में 13347 टन थी और 1978-79 के अन्दर हरियाणा के किसान ने अपने परिश्रम से, अपने खून पसीने की कमाई लगा कर इस कंजम्पशन को 240067 टन पर लाकर छोड़ दिया। सभापति महोदय, फर्टिलाइजर की पर हैक्टेयर कंजम्पशन 1966 के अन्दर केवल 3.6 किलोग्राम थी और आज वह बढ़ कर 54.4 किलोग्राम हो गई है। इसी प्रकार से 1966 के अन्दर बिजली के ऐग्रीकल्चरल

कनैव 1920 हजार थे लेकिन वे आज बढ़ कर 1 लाख 82 हजार पर पहुंच चुके हैं। तो आप देखें कि इतना प्रयत्न, इतनी कोशिश इस हरियाणा के किसान ने की है। सभापति महोदय, इस हाउस के अन्दर एक वरिष्ठ मंत्री ने अनाउंस किया था कि किसान की कोस्ट आफ प्रोडक्शन प्रति क्विंटल गेहूं की 132 रुपये आती है और केन्द्रीय सरकार ने उसकी कीमत 117 रुपये प्रति क्विंटल फिक्स की है जिसको मतलब यह हुआ कि पन्द्रह रुपये क्विंटल का नुकसान हर किसान को भुगतना पड़ेगा। सभापति महोदय, क्या यह सरकार इस बात पर गौर करेगी कि जिस चीज की कोस्ट आफ प्रोडक्शन 132 रुपये प्रति क्विंटल आती है उसको 117 रुपए प्रति क्विंटल न खरीदा जाए। मैं तो यह चाहता हूँ कि या तो इस प्रोक्योरमेंट कीमत को बढ़ाया जाए या इसको सब्सिडाइज्ड किया जाए।

(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्या, चौधरी प्रतापि सिंह ठाकरान, पदासीन हुए।)

सभापति महोदय, बार बार जब अनएम्प्लायमेंट का सवाल यहां उठता है तो कह दिया जाता है कि गांव के अन्दर उद्योग खोले जा रहे हैं और पढ़े लिखे बेकार व्यक्तियों को चाहिए कि वे गांव के अन्दर जाएं और उद्योग लगाएं। सभापति महोदय, यह बात तो ऐसी है कि जब फ्रांस में क्रांति हुई तो एक भीड़ महारानी फ्रांस के महल के बाहर इकट्ठी हो गई। महारानी ने अपने मंत्री से पूछा कि यह भीड़ क्या मांगती है। उसने जवाब

दिया कि साहब रोटी मांगती है। यह सुनकर महारानी फरमाती है “Why do not they eat cakes if they do nto get the bread” वही सरकार का उत्तर है। जिस व्यक्ति के पास बदन पर कमीज नहीं, पैरों में जूता नहीं, पढ़ने के लिए किताब नहीं, रहने का घर नहीं, जो पेवमेंट पर सोता है उसे ये लाखों रुपये की इंडस्ट्री लगाने के लिए कहते हैं। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा इस मंत्रिमंडल को, इस सरकार को वार्न करना चाहता हूं कि भूखमरी एक ऐसी चीज है जो दे 1 के अंदर क्रांति लाती है। I want this Government to give work to these empty hands and not to make false excuses, otherwise a bloody revolution may erupt and God knows what will be the result. सभापति महोदय, मैं इतनी बात कहूंगा कि अगर सीरियसली हमने अनएम्प्लायमेंट हटानी है तो सरकार को अनएम्प्लायमेंट इं गोरेंस स्कीम लागू करनी चाहिए। दूसरे दे गों में सभी जगह अनएम्प्लायमेंट इं गोरेंस स्कीम हैं। (विघ्न) सभापति महोदय, इस दे 1 का नौजवान मेहनती है, उद्यमी है और ईमानदार है। मुझे स्वामी आदित्यवे 1 जी की बात सुनकर बड़ा दुःख हुआ कि यहां के नौजवानों के अंदर इंसायरे 1न नहीं हैं, काम करने की कूअत नहीं है, यहां के नौजवान नाअहल हैं, नाकारा हैं लेकिन मैं उन्हें यकीन दिलाता हूं कि यहां का नौजवान निहायत सीधा सादा, ईमानदार और भोला किसान का लड़का है। स्वामी जी, जो आज के दिन कार्पोरे 1न के चेयरमैन हैं, को मैं बताना चाहता हूं कि गरीब इन्सान जिसके पास खाने की रोटी नहीं, जेब में पैसा नहीं,

वह इंडस्ट्री लगाने की बात नहीं सोच सकता। वह तो नौकरी की बात सोच सकता है या कस्सी से खोदने की बात सोच सकता है। इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि जल्दी से जल्दी इन लोगों को रोजगार दिलाने का प्रबन्ध किया जाये।

चेयरमैन साहब परिवहन के बारे में एक बात और कहूंगा। हरियाणा रोड़वेज की आमदनी सन् 1967 में 17 पैसे की पर किलोमीटर थी और आज वह घट कर दो पैसे रह गई है यानि 2.9 पैसे। परिवहन मंत्री महोदय को भायद इतना समय नहीं मिला होगा कि वे इस आमदनी के कम होने के कारणों की जांच कर सकें। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे इस डिटेल में जायें कि वह नुकसान दिन प्रतिदिन क्यों हो रहा है ? आप हरियाणा के किसी रोड़ पर चले जायें वह स्टेट हाई वे है या नै नल हाईवे है। हरियाणा रोड़वेज की बसे खड़ी मिलेंगी। उनका प्रबन्ध ठीक तरह से होना चाहिए, बस खराब होने पर यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है इसलिए ऐसा प्रबन्ध किया जाना चाहिए ताकि लोगों को तकलीफ न हो। Haryana Roadways buses are living monuments. They are simply a source of inconvenience and wasteful expenditure.

श्री सभापति: आप जल्दी से वाइंड अप करें।

श्री बलदेव सिंह तायल: चेयरमैन साहब, श्री मूल चन्द जैन ने भी काफी समय लिया इसलिए मुझे तीन चार मिनट और दे दें।

About the Transport Department, I would like to say one thing that Haryana Roadways buses are just a living monument to prove the in-efficiency of the department in the shape that these buses can be seen on every road standing like a drunkened man.

चेयरमैन साहब, मैं उद्योग के बारे में कुछ भाब्द कहूंगा। आपने मेरा समय तो खत्म कर दिया है, इसलिए मैं अधिक बोलने की आव यकता नहीं समझता। चेयरमैन साहब उद्योग के लिए सबसे बड़ी आव यकता है कि उसका सर्वे हो। यहां पर हाउस में गांवों में उद्योगीकरण की बात कही गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गांवों में उद्योगीकरण की क्या हालत है, जिस गांव में मीठा पानी उपलब्ध नहीं है वहां पर यह सरकार आईस फ़ैक्टरी लगवा रही है। मैं इन भाइयों से पूछना चाहता हूं कि वहां आईस फ़ैक्टरी कैसे चलेगी ? आप जिस किसान या उद्योगपति को आईस कारखाना लगाने के लिए कह रहे हैं उसको पैसा भी दे देंगे लेकिन आप को यह मालूम होना चाहिए कि वह जो अपना पैसा लगाएगा वह तो जाया जाएगा ही साथ ही साथ जो सरकार उसको पैसा देगी वह भी बेकार जाएगा। वह उसको भी खा जाएगा। चेयरमैन साहब, उद्योगीकरण कोई तमा ता नहीं है, जबान हिलाने से कारखाना या उद्योग नहीं चलता उसके अन्दर दिमाग चाहिए, दिल चाहिए। ये चीजें इस सरकार में नहीं हैं। गांव का नौजवान हर काम करने के लिए तैयार है लेकिन उसको गाइडेंस सही मिलनी चाहिए। यह सरकार गरीब को उठाना तो चाहती है परन्तु राजनैतिक गलती के कारण से सदा सदा के लिए उनको

दबा रही है। सभापति महोदय इनके लिए तो वही बात है— मुखेशु विवादो न कर्त्तव्य। इसलिए मैं अधिक बहस में पड़ता हुआ आपका भुक्रिया करता हुआ अपना स्थान लेता हूं।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां): सभापति महोदय एप्रोप्रिए इन बिल नम्बर तीन हाउस के सामने आया है। इस बिल द्वारा सरकार 860 करोड़ रुपया अगले वित्त वर्ष के लिए मंजूर कराना चाहती है। सदन में पास होने के पचात यह बिल एक्ट की भाक्ल अख्तिवार करेगा। सभापति जी इस एप्रोप्रिए इन बिल के द्वारा सारी मर्दा के लिए पैसा मांगा गया है चाहे वह इरीगे इन की है या एग्रीकल्चर है। इसमें अलग अलग सभी मर्दों का ब्यौरा दिया हुआ है।

सभापति महोदय मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं। वित्त मंत्री महोदय ने अपनी बजट स्पीच के जवाब में यह कहा था कि रेविन्यू से सिर्फ साढ़े चार करोड़ रुपया किसानों से आता है जबकि एक्साइज एण्ड टैक्से इन डिपार्टमेंट से 168 करोड़ रुपया मिलता है। दरअसल मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि यह बात वित्त मंत्री महोदय नु कुछ नाराजगी से कही। किसानों पर कुछ नाराजगी रखते हुए कही है। भायद लोक दल के भाईयों के कहने पर मजबूरी में कही हो। वित्त मंत्री महोदय यह बात मानेंगे कि 80—85 प्रति शत जनता गांवों में खेती बाड़ी का काम करती है। उससे केवल साढ़े चार करोड़ रुपए का रेविन्यू मिलता है लेकिन जो जनता गांवों में रहती है वह किसी न किसी प्रकार से

डायरैक्ट या इनडायरैक्ट टैक्स प्रदे । सरकार को या केन्द्र सरकार को देती है । जिस प्रति ात से गांवों में जनता रहती है उसी के अनुसार सरकार टैक्स उन लोगों से डायरैक्ट या इनडायरैक्ट तौर पर लेती है । यह बात कहना कि 168 करोड़ रुपया टैक्स सिर्फ भाहरों के लोगों से ही वसूल किया जाता है, मैं समझता हूं इस बात में कोई वजन नहीं है । जब वे कहते हैं कि एक्साइज से टैक्स मिलता है तो मैं कहना चाहता हूं कि आप जो भाराब से टैक्स लेते हैं क्या गांवों के लोग भाराब नहीं पीते हैं । अगर भाराब पीते हैं तो सरकार को गांवों से जरूर टैक्स आता है । 42 करोड़ रुपया जो भाराब से टैक्स के रूप में आता है यह गांवों के लोगों से ही आता है खाली भाहर के लोगों से ही नहीं आता है । सरकार ने एग्रीकल्चर की मद पर पैसा बढ़ाया है लेकिन जितना बढ़ाना चाहिए था उतना नहीं बढ़ाया । चेयरमैन साहब, जिस तरीके से पिछले साल बजट पे ा किया गया था उसी तरीके से इस साल पे ा किया है । वहीं मदें हैं । उनमें पैसा बढ़ा कर बजट पास कराया है । यह एक स्टीरियो टाईप बजट है ।

सभापति महोदय, पिछले साल 168 करोड़ रुपये एक्साइज एंड टैक्से ान विभाग से मिले । वित्त मंत्री जी ने बताया है कि इस साल 5% से 9% की बढ़ौतरी हुई है । इस बारे में मैं यह कहता हूं कि हमारे आफिसर और दूसरे कर्मचारी है जो टैक्स कुलेक्ट करते हैं उसके दिमाग में हमे ा यही बात रहती है कि अगले साल के लिए कुछ पैसा टैक्स की भाक्ल में सरकार को बढ़ा

कर देना है। चेयरमैन साहब, यह नीति सरकार को बदलनी होगी। आज इस बात को सारे देश के नागरिक जानते हैं कि अगर भाहरी लोग सही रूप में टैक्स अदा कर दें तो यह जो बजट 860 करोड़ रुपये का है यह 1860 करोड़ रुपये का हो सकता है लेकिन टैक्स की आजकल इतनी अधिक चोरी होती जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता; सरकार को चलाने वाले जो राजनीतिक लोग हैं उन का भी और आफिसरों का भी यही मत होता है कि जितना टैक्स बढ़ाना है वह मदों के हिसाब से बढ़ा दिया जा। फिर एग्रीकल्चर का विभाग है, इरीगेशन या और कोई दूसरा डिपार्टमेंट है उनके प्लान एक्सपेंडीचर व नई स्कीमों के एक्सपेंडीचर को भी उसी रेटों से बढ़ा देते हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से यह गुजारि करूंगा कि वह यह देखें कि जो आंकड़े अवेलेबल हैं उनके आधार पर कितने ऐसे टैक्सों की चोरी होती है जिसकी वजह से यह रेटों बढ़ाई जाती है।

चेयरमैन साहब, अब मैं एग्रीकल्चर की मद के बारे में बोलना चाहता हूँ। एग्रीकल्चर की जो स्कीम 1977 में जनता सरकार ने बनाई थी वही चली आ रही हैं। किसानों की हालत आज भी बहुत खराब है। पिछले दो सालों से हरियाणा प्रान्त में कभी बाढ़ से या कभी ओलों की वजह से फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। जब सरकार के पास ऐसे आंकड़े मौजूद हैं कि एक क्विंटल गेहूँ पैदा करने में किसान की 123 रुपया लागत आती है और ये आंकड़े एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से प्राप्त किए हैं

तो फिर किसान को जो भाव दिया जा रहा है उससे किसान को कोई लाभ होता है, यह देखने वाली बात है। यदि सरकार किसान को 10-15 रुपये प्रति क्विंटल लाभ भी दे तो उस लाभ को मिलाकर कम से कम 135 रुपये क्विंटल गेहूं की कीमत होनी चाहिए। अगर सरकार इस बात को महसूस करती है कि किसान की जो लागत गेहूं पर या दूसरी फसलें जैसे जीरी, पर आती है और जितनी मेहनत किसान करता है उस हिसाब से उसको कीमत नहीं मिलती तो सरकार को पूरी कीमत दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं सरकार से अर्ज करना चाहता हूँ कि इसके लिए बजट में कोई ऐसा प्रावधान करना चाहिए जिससे कि उन किसानों को जिन्होंने फसल उगाई है जितना पैसा उन का खर्च होता है उसके मुकाबले में उसे फायदा हो।

इसी प्रकार से एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने सवाल के जवाब में बताया और डिमान्ड पर भी बोलते हुए यह कहा कि हम किसानों के लिए एक बीमा की योजना लागू कर रहे हैं। उनका यह कहना कि जो फसल ओलावृष्टि से खराब होती है उसी पर इस बीमा स्कीम को चलायेंगे। चेयरमैन साहब, इसके बारे में सुझाव यह है कि गन्ने की फसल को कभी नैचुरल कैलेमटिज से, कभी बाढ़ से, कभी ओलों से, कभी कीड़ों से और कभी किसी अन्य बीमारी से काफी नुकसान हो जाता है। अगर सरकार एक्सपैरिमेंट के तौर पर गन्ने की फसल पर बीमा पॉलिसी लागू कर दे तो यह ऐसी फसल है जो सारे साल रहती है। गन्ने के अंदर

फलकचूए ान कम होता है। अगर यह खराब हो जाता है तो किसान का सबसे ज्यादा नुकसान इसी फसल से होता है। किसान के बारे में सब भाइयों ने बातें कहीं हैं। लोकदल वाले सदस्यों ने सबसे ज्यादा कहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो लोकदल के भाई किसान की बात करते हैं पीछे अढ़ाई साल तक वे ही सरकार में रहे थे, उन्होंने उस वक्त किसानों की भलाई के लिए कुछ नहीं सोचा। अगर ये भाई चाहते तो किसानों के लिए बीमा योजना को लागू कर देते। लेकिन इन्होंने इस बीमा पालिसी को लागू नहीं किया। इनमें से कुछ भाई तो ऐसे हैं जो इस बीमा योजना को लागू करने के पक्ष में हैं, लेकिन कुछ भाई तैयार नहीं हैं।

चेयरमैन साहब, जब किसी के साइकल का बीमा हो सकता है, नाखूनों का बीमा हो सकता है, बालों का बीमा हो सकता है तो किसान ने क्या कसूर किया है कि उसकी फसल का बीमा न हो। यह कहा जाता है कि क्रौप पैट्रन बड़ा फलकचूएटिड है इसलिए फसल का बीमा करना मुश्किल है। चेयरमैन साहब, जब बीमा कम्पनी एक आदमी के बालों का बीमा करती है तो वह कैसे अन्दाजा लगा लेती है कि वह गंजा नहीं होगा। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इस स्कीम को चालू करने के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान रखे और इस स्कीम को भीघ्राति पीघ चालू किया जाये। दूसरी बात मैं इरीगे ान के बारे में कहना चाहता हूँ। चेयरमैन साहब, जब तक एस0वाई0एल0 का पानी हमें

पूरा नहीं मिल जाता तब तक हरियाणा के किसानों को बहुत परेशान रहेंगे। मैं इस बारे में कोई पॉलिटिकल बातें नहीं कर रहा हूँ। मेरे आंकड़ों के मुताबिक प्रत्येक हरियाणा के किसान को, प्रत्येक निवासी को एस0वाईएल0 का पानी न आने के कारण हर साल 100 रुपये का नुकसान हो रहा है। यह नुकसान केवल पानी न मिलने की वजह से हो रहा है। हरियाणा में और कोई ऐसा साधन नहीं है जहाँ से यहाँ के लोगों के लिए पानी मिल सके। मेरे कहने का मतलब यह है कि इरीगेशन डिपार्टमेंट केवल यह सोच कर न बैठ जाये कि एस0वाईएल0 का पानी मिल जायेगा तो हरियाणा के लिए पानी की सारी समस्या हल हो जायेगी। इस पानी के लिए तो 3-4 साल पहले से ही मामला चल रहा है। इसके कारण 600-700 करोड़ रुपये का किसानों और गरीबों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार को ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे किसानों को उसकी खेती के लिए पानी उपलब्ध करवाया जा सके।

सभापति महोदय, मेरे आदरणीय सदस्य श्री वीरेन्द्र सिंज जी ने बात कही थी मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ कि हरियाणा के अन्दर कई जगह नहरों के ऊपर फाल्ज हैं और वहाँ पर सरकार बिजली पैदा कर सकती है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उन फाल्ज पर सरकार को बिजली पैदा करनी चाहिए। इसी सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जैसे नाथपा झाखड़ी है, उसके बारे में सरकार ने बताया है कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने

में 8 साल लगेंगे। अगर सरकार इस नाथपा झाखड़ी को 4 सालों में पूरा कर दे तो हरियाणा की जनता को अगले 50 सालों तक बिजली की कमी नहीं रहेगी। इसलिए इस प्रोजैक्ट को बहुत जल्दी टेकअप करना चाहिए। इसके लिए बजट में चाहे किसी दूसरे खर्च पर सरकार को कितना ही कट लागना पड़े, लगाना चाहिए क्योंकि यह योजना हरियाणा के लिए लाईफ लाईन है, हरियाणा के किसानों को जीवन दान देने वाली स्कीम है। इसलिए इस प्रोजैक्ट को सरकार द्वारा भीघ्र टेकअप करना चाहिए। इसको टेकअप करने में करने में किसी प्रकार की कोई हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। इस काम को सरकार को वार फुटिंग पर करना चाहिए क्योंकि आज हरियाणा की जनता बिजली और पानी के लिए तड़प रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार इस ओर ध्यान दें। यदि यह प्रोजैक्ट कम्पलीट हो जाता है तो यहां के निवासियों के लिए बिजली और पानी की कमी पूरी हो सकती है। (घंटी) मैं आखिरी बात कह कर खत्म ही कर रहा हूँ।

12.00 बजे

सभापति महोदय, मैं मंत्री जी को एक और सुझाव देकर बैठ जाऊंगा। हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर है, वह ऐसा है कि जिन लोगों पर हम टैक्स लगाना चाहते हैं, हम उन पर लगा नहीं पाते चाहे सेल्ज टैक्स हैं या एक्साईज है या कोई दूसरा टैक्स हैं। समाज के अन्दर कई ऐसी जमायतें हैं जिनकी हजारों रुपये महीने की आमदनी है लेकिन उन पर किसी किसम का कोई टैक्स नहीं

है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उन पर किसी न किसी किस्म का टैक्स अवयव लगाया जाये। भाहरों में आपको ऐसे ऐसे कई डाक्टर मिल जायेंगे जिनकी 10-10 और 15-15 हजार रुपये महीने की इन्कम है। यह ठीक है कि वे अपने हिसाब से इन्कम देते होंगे लेकिन मेरा कहना यह है कि उन पर किसी किस्म का ऐसा टैक्स अवयव ही लगाना जाना चाहिए ताकि गरीब लोगों की भलाई के लिये कुछ और काम किये जा सकें। आपको पता है कि हमारा समाज ऐसा है कि जब किसी घर में कोई व्यक्ति बच्चा या बूढ़ा बीमार हो जाये तो उसके इलाज के लिए पैसा खर्च करने में कोई गुरेज नहीं करता। इसी तरह से ठेकेदार हैं, वे चाहे मार्किटिंग बोर्ड के हैं, या पी0डब्ल्यू0डी0 के हैं या इरीगेशन के हैं या दूसरे डिपार्टमेंट के ठेकेदार हैं, अगर वह ईमानदारी से भी काम करते हैं तो भी वे लाखों रुपये कमा लेते हैं। आपको पता है कि ऐसे लोगों पर इन्कम टैक्स के अलावा कोई दूसरा टैक्स नहीं है मेरा कहना यह है कि समाज के ऐसे वर्ग पर चाहे वह भाहर का है

या गांव का, टैक्स लगाया जाना चाहिए ताकि गरीब लोगों की भलाई के लिए प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया जा सके।
धन्यवाद।

श्री मनीराम (डबवाली – अनुसूचित जाति): चेयरमैन साहब, सबसे पहले मैं फूड एण्ड सप्लाइज डिपार्टमेंट के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। वैसे तो इस डिपार्टमेंट के बारे में काफी बहस

हो चुकी है। लेकिन मैं भी इस बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, चेयरमैन साहब, इस महकमे के मिनिस्टर श्री गजराज बहादुर नागर हैं। चेयरमैन साहब, गांव और भाहरों के अन्दर चीनी को जो कोटा दिया जाता है, उसके अन्दर बड़ा भारी डिसक्रिमिनेशन है, बहुत भेदभाव है। भाहर के अन्दर जो कोटा दिया जाता है, वह वहां को पापुलेशन को देखकर और राशन कार्डज को देख कर दिया जाता है जबकि गांवों के अन्दर 1971 की आबादी के हिसाब से यानि कि 10 या 15% बढ़ाकर कोटा दिया जाता है। यह जो चीनी के कोटे के वितरण के अन्दर भाहरों और गांवों में डिसक्रिमिनेशन किया जा रहा है यह ठीक नहीं है। मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि इसे बन्द किया जाये और गांवा वालों को भी वहां पर राशन कार्डों की पापुलेशन के हिसाब से कोटा दिया जाये जिस तरह से कि भाहरों में दिया जाता है। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौधरी रामकिशन पदासीन हुए) एक यही डिसक्रिमिनेशन की बात नहीं है जो कि गांव के साथ की जा रही है। इसके अलावा एक और बात भी है। इतना ही नहीं होता कि वहां पर जो चीनी का कोटा दिया जाता है वह 1971 की आबादी के हिसाब से दिया जाता है, वहां पर चीनी का कोटा भी 200 ग्राम या 300 ग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाता है जबकि भाहरों में इससे कहीं ज्यादा दिया जाता है। मेरा कहना यह है कि इस भेदभाव को भी दूर किया जाना चाहिए। ये जो एसोसिएट कम्पोजीटीज हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन में भी काफी त्रुटियां हैं, करप्शन है, इस को भी समाप्त करने के लिये

कार्यवाही की जानी चाहिए। मैं मंत्री महोदय से यह कहूंगा कि वे इस ओर ध्यान देने की कृपा करें कि इनकी स्केयरसिटी भी न हो और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ भी न हो। इसके साथ ही वे चीनी का पूरा कोटा गांवों में दिलवाने के लिये भी कार्यवाही करें इसके अलावा अभी चेयरमैन साहब, व्हीट प्रोक्योरमेंट का सीजन आने वाला है। प्रोक्योरमेंट का काम भी फूड एंड सप्लाइज डिपार्टमेंट ही करता है। इसमें इनके साथ एफ0सी0आई0 भी शामिल होता है। जब हमारे इन्सपैक्टर व्हीट प्रोक्योर करने के बाद उसे एफ0सी0आई0 वालों को हैड ओवर करते हैं, तो वे उसे रिजैक्ट कर देते हैं। जमींदार जोर देता है कि उसको उसकी जिन्स का पूरा भाव मिले लेकिन एफ0सी0आई0 दो तीन रुपये प्रति क्विंटल का कट लगा देती है। मेरा कहना यह है कि जब तक एफ0सी0आई0 वालों को इस प्रोक्योरमेंट के काम से अलग नहीं किया जायेगा तब तक यहां पर भ्रष्टाचार बन्द नहीं हो सकता। इसलिये मेरा कहना यह है कि इस समस्या को भी कोई न कोई हल निकाला जाना चाहिए। इसके अलावा वहां पर जो रेलवे वाले होते हैं। वे भी उस इन्सपैक्टर को बड़ी तकलीफ देते हैं और तंग करते हैं। वे वहां पर इन्सपैक्टर को अनाज की लोडिंग नहीं करने देते जब तक कि उनको पांच या सात रुपया प्रति बैगन के हिसाब से न दे दिये जाये। जब उन लोगों को कुछ मिल जाये तभी उस अनाज की लोडिंग हो सकती है वरना रेलवे वाले करने ही नहीं देते अगर उनको कुछ न दिया जाए तो वे गाड़ी की प्लेसमेंट ठीक नहीं करते, या कभी बाहर खड़ी कर देते हैं या इन टाईम लोडिंग

नहीं करते। कई बार तो डैमरेज वारफेज ही काफी हो जाता है जो कि निरीक्षक खाद्य तथा पूर्ति नहीं दे सकता। इसलिये मेरा कहना यह है कि वहां पर इतनी करण्डान है कि जिसकी कोई हद नहीं है। मेरा सरकार से कहना है कि यहा जो एफ0सी0आई0 की एजेन्सी बीच में पड़ती है, इसको बीच में से हटा देना चाहिए यानी एफ0सी0आई0 वालों को अलग कर दिया जाये तभी किसानों को उसके अनाज का सही भाव मिल सकता है। मैं मिनिस्टर महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि जो बातें मैंने बताई हैं, इनका इलाज अब यही किया जाना चाहिए क्योंकि मुझे पता है मैं इस महकमे में सर्विस कर चुका हूं। चेयरमैन साहब, अब मैं एग्रीकल्चर के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारा हरियाणा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और यहां की 80 फीसदी आबादी गांवों में रहती है। वे लोग सुबह से लेकर भाम तक खेतों में ही काम करते हैं। एक क्विंटल पर जिना उनका खर्च आता है, उसके हिसाब से उनको प्राईस नहीं मिलती। पिछले दिनों लोक सभा के इलैक्शन के दिनों में हमारे उधर पानी खूब चलाया गया था। जिसकी वजह से बिजाई काफी ज्यादा हो गई लेकिन बिजाई के बाद अब जबकि किसान को पानी की जरूरत है, उसे पानी नहीं मिल रहा है। जब उसे फर्टीलाइजर की जरूरत होती है, तो फर्टीलाइजर नहीं मिलती, अच्छे बीजों के बारे में सरकार यह दावा करती है कि हम सब को हिसार में तैयार किए हुए बीज सप्लाई करते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि सब को अच्छे बीज नहीं मिल पा रहे हैं। मैं यह बात गारन्टी के साथ कहने के लिए तैयार हूं कि सबको अच्छे

बीज नहीं मिल रहे हैं। यह बात सिर्फ आपके कागजों में ही है, कि अच्छे बीज सप्लाई किए जा रहे हैं, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है। बिजाई के अन्दर एन0ई0ए0, टी0डी0 और डी0ए0पी0 खादों की जरूरत पड़ती है, वे भी समय पर नहीं मिलती। फर्टीलाइजर डालने के बाद खेत को पानी की जरूरत होती है, वह भी नहीं मिलता। इसके अलावा कीड़े मारने के लिए दवाईयां भी नहीं मिलती। फिर यह सरकार दावा करती है कि हम प्रोडक्शन बढ़ा लेंगे। चेयरमैन साहब, प्रोडक्शन कैसे बढ़ सकती है ? मेरे हलके के अन्दर दो माईनरे एक रामपुरा और एक मुनावाली बननी हैं, उनको मंजूर हुए तीन साल हो गए हैं अभी तक भी वे कम्प्लीट नहीं हो पायी हैं। मेरा कहना यह है कि उन्हें भी जल्दी से जल्दी बनवाया जाये ताकि वहां का किसान ज्यादा उत्पादन कर सके। उन माईनरों से हजारों एकड़ रकबे में आबपा भी हो सकती है। मैंने इस बारे में एक सवाल पूछा था कि कब तक वह माईनर बन कर तैयार हो जायेंगी। इन्होंने यह जवाब दिया है कि जून तक बन जायेंगी। मैंने जब ये पूछा कि कब तक उन माईनर में पानी छोड़ेंगे, उसके बारे में कोई सन्तोशजनक उत्तर देने के लिए यह तैयार नहीं हैं। हमारे हलके के साथ इतना बड़ा भेदभाव हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। हमारे रोड़ी और सिरसा डिवीजनों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है हमारे इलाके में एक मिल्क प्लांट बनना था। पिछली दफा यहां पर क्वैचन जब पूछा गया था तो उस वक्त यह विवास दिलाया गया था कि एक साल के अन्दर अन्दर वाह पर मिल्क प्लान्ट लगा दिया जायेगा लेकिन अब इन्होंने

यह बताया है कि 1983-84 में वहां पर मिल्क प्लान्ट बनाया जायेगा। यह हमारे इलाके के साथ कितनी बड़ी ज्यादाती है वहां के लोग जो कि दूध बेचकर गुजारा करते हैं, उनके साथ बड़ा भेदभाव है। चेयरमैन साहब, हमारे हलके में गांव चोटाला और गांव गंगा के अन्दर पावर हाउस बनना था लेकिन अभी तक नहीं बना है। मैं अपने मुख्य मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि चौधरी देवी लाल के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं इलाके के साथ तो कोई मतभेद नहीं होने चाहिए। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इलाके के साथ भेदभाव भुलाकर हमारे इलाके की तरक्की के लिए काम किया जाना चाहिए।

श्री मांगे राम गुप्ता (जींद): चेयरमैन साहब, आज वित्त मंत्री जी की तरफ से जो हरियाणा एप्रोप्रिए इन नम्बर 3 बिल पे 1 हुआ है, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। चेयरमैन साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा बनने के बाद पहली दफा ऐसा बजट पे 1 किया गया जिसको देख कर हमारे विरोधी पक्ष के भाई और हरियाणा की सारी की सारी जनता हैरान हो गई है। क्योंकि अब तक जितनी भी सरकारें रही हैं वे यही कहती रही कि हम टैक्स नहीं लगाएंगे, जनता सरकार ने यही कहा कि हम टैक्स कम लगाएंगे लेकिन पहली सरकारों का यह केवल मात्र एक नारा था। यह पहली दफा है कि हमारे वित्त मंत्री ने कोई टैक्स नहीं लगाया है और इसको हम एक ऐतिहासिक बजट कह सकते हैं जिसमें एक पैसे का भी टैक्स नहीं लगाया है।

हमारे विरोधी पक्ष के भाईयों ने इस बजट के बारे में टिप्पणी की है और वह स्वाभाविक है कि जब हमारी सरकार आम आदमी की जरूरतों को पूरा करती है, लोगों की तरक्की के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड अलाट करती है तो भाक होना स्वाभाविक है कि बाद में अब यही कुछ टैक्स लगाए जाएंगे। चेयरमैन साहब, हमारे वित्त मंत्री ने जो टैक्स नहीं लगाए हैं उसका कारण केवल यही है कि उन्होंने यह कोशिश की है कि इन्हीं टैक्सों के द्वारा वे रेवेन्यू के घाटे को पूरा करने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन साहब, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि इस समय जो हमारी टैक्स प्रणाली है उसमें पूरा टैक्स नहीं आता है। इस बारे में मैं वित्त मंत्री के सामने कुछ सुझाव रखना चाहूंगा। चेयरमैन साहब, आज हरियाणा के अन्दर यह हालत है कि कोई भी आदमी चाहे वह देहात का रहने वाला है या भाहर का रहने वाला है और वह अगर सरकार को सही मायनों में टैक्स अदा करता है तो उसको उसका फायदा नहीं पहुंचता लेकिन जो टैक्स की चोरी करता है वह उसका फायदा उठाता है। इसका एक मैन कारण यह है और वह वित्त मंत्री के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि ऐक्ट में ऐसा प्रोवीजन है कि अगर कोई आफिसर को दो हजार रुपए तक की पैनेल्टी लगाने का अख्तियार है। चेयरमैन साहब, यह मैं फ़ैक्ट बता रहा हूँ कि अगर कोई आदमी दस रुपए की टैक्स की चोरी करता है तो दो हजार रुपए पैनेल्टी लगाई जा सकती है। मैं वित्त मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि आज तक क्या कोई केस आपके नोटिस में है कि किसी आफिसर ने कोई चोरी पकड़ी हो

और उस पार्टी पर पैनैल्टी लगाई गई हो ? क्या वे बता सकते हैं कि किसी आफिसर ने एक हजार, दो हजार या दस की पैनैल्टी लगा कर सरकार के खजाने में पैसा जमा किया हो ? मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि इस ढांचे में तबदीली की जाए और सरकार को चाहिए कि सौ गुना पैनैल्टी लगाये । अगर इस तरह से किया जाएगा तो टैक्स भी आ जाएगा और पैनैल्टी भी आ जाएगी । अब तो ऐसा होता है कि अगर कोई टैक्स की चोरी करता है तो कुछ पैसा टैक्स आफिसर को रि वत के तौर पर दे देता है और इस तरह से न टैक्स सरकार के खजाने में आता है और न ही पैनैल्टी सरकार के खजाने में आती है । मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इसमें सुधार किया जाए ।

चेयरमैन साहब, अब मैं अर्बन डिवेलपमेंट के बारे में कहना चाहता हूँ और वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ । चेयरमैन साहब, भाहरों की डिवैलपमेंट करने के लिए तीन जराए हैं एक म्युनिसिपल कमेटी, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और हाउसिंग बोर्ड । चेयरमैन साहब, अर्बन डिवैलपमेंट के लिए भाहरों में जो म्युनिसिपल कमेटियां हैं वे हाउस टैक्स लगाती हैं और वे हर गरीब आदमी पर यह हाउस टैक्स लगाती हैं । हाउस टैक्स से जो पैसा इकट्ठा होता है उससे पानी का इन्तजाम लाईट का इन्तजाम किया जाता है लेकिन चेयरमैन साहब, अगर वह म्युनिसिपल कमेटी इन चीजों का इन्तजाम न करे तो फिर इस टैक्स का क्या फायदा है ? चौधरी राम लाल कह रहे थे कि जब हमारी सरकार थी और

मैं मंत्री था तो हमने गरीब लोगों पर टैक्स कम कर दिए थे, हमने रेहड़ी पर टैक्स कम कर दिए थे। मैं उस वक्त सोच रहा था कि ये किस मुंह से बात कह रहे हैं। चेयरमैन साहब, गांव का रहने वाला चाहे किसान है, मजदूर है या हरिजन है अपनी इंकम बढ़ाने के लिये रेहड़ी बनाता है, ऊंट गाड़ी बनाता है या झोटा रेहड़ी बनाता है। चेयरमैन साहब, आज गांव की हालत यह है कि वहां पर गरीब लोगों का गुजारा नहीं चलता, वे भाहर में आकर इस तरह के काम करते हैं जिससे कि उनको गुजारा अच्छा चल सके। इसमें कमेटी ने यह किया हुआ है कि इन चीजों का लाइसेंस लेना पड़ता है। चेयरमैन साहब, मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि पहले यह टैक्स छः रुपये पर वहीकल पर ईयर होता था लेकिन जब ये मंत्री बने तो इन्होंने उन गरीब आदमियों पर टैक्स को बढ़ाकर तीस रुपया पर वहीकल पर ईयर कर दिया। पहले तांगे पर टैक्स पन्द्रह रुपया था। जब ये मंत्री बने तो इन्होंने इसको 45 रुपया कर दिया। चेयरमैन साहब, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गरीबों का यह पैसा कमेटी में जमा हो जाये और अगर उनके फायदे के लिय खर्च हो जाए तो फिर कोई बात नहीं है लेकिन अगर यह पैसा लगे ही नहीं तो फिर बड़ा अखरता है। चेयरमैन साहब, मैं एक मिसाल देकर अपनी बात साफ कर देना चाहता हूं। चेयरमैन साहब, भाहर में म्युनिसिपल कमेटी लाईट का इंतजाम करती है और भाहर में बल्ब लाईट या ट्यूब लाईट लगाती है। मैं चेयरमैन साहब, आपको जींद की बात बताता हूं। वहां पर लाईट लगाने के मामले में बड़ा घपला हुआ। मैंने उस

बारे में लिखकर भी दिया था और कहा था कि विजिलेंस से इंकवायरी करवाई जाये। उस वक्त जो मंत्री थे, उनके आदमी उसमें इन्वाल्व थे और उस वक्त मंत्री महोदय ने मुख्य मंत्री पर दबाव डाल कर उस इंकवायरी का दबा दिया था। चेयरमैन साहब, उस वक्त ट्यूब्स का एक सैट 170 रुपये में खरीदा गया और उस पर फर्जी फिलिप्स की मोहर लगाकर 530 रुपये का बिल देकर पैसा ड्रा कर लिया और जो ट्यूब 70 रुपये की थी उसकी 230 रुपये के हिसाब से पेमेन्ट ड्रा की गई और जैसा कि मैंने पहले कहा है कि उस वक्त जो हमारे मंत्री महोदय थे इसमें उनके साथियों का हाथ था और इसीलिये उस इंकवायरी को दबाने का बार बार प्रयास किया गया।

(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्री कन्हैया लाल पोसवाल पदासीन हुये)

चौधरी राम लाल वधवा: चेयरमैन साहब, ये बिलकुल गलत कह रहे हैं। मैं इसको चैलेन्ज करता हूँ। (व्यवधान)

श्री मांगे राम गुप्ता: चेयरमैन साहब, मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। चेयरमैन साहब, उस वक्त इंकवायरी को दबाया गया था। चेयरमैन साहब, जो ट्यूब्स सील की गई हैं वे मैंने अपने हाथ से सील की हैं और मैंने अपने दस्तखत किये हैं। अगर हिम्मत है तो उसकी इंकवायरी करवाओं और उसको सदन में रखा जाये। अगर मेरी बात गलत हो तो मैं इस्तीफा दे

दूंगा और अगर सही हो तो ये इस्तीफा दे दें। मैं यह पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि इन भाईयों को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिये। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) स्पीकर साहब, अब मैं इंडस्ट्रीज की ओर अपने वित्त मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। स्पीकर साहब, आपको पता होगा कि पिछले दिनों कुछ भाईयों ने इंडस्ट्रीज लगाई और स्पीकर साहब, बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके अन्दर सरकार की तरफ से कोटा दिया जाता है। उस रा मैटिरियल में बड़ा भारी मार्जिन होता है और यह बात भी ठीक है कि जो मिनिस्टर लोग हैं उनके जान पहिचान के लोगों को वह कोटा दिया जाता है। चाहे कोई भी सरकार हो वह अपने आदमियों को कोटा देती है। खैर मैं इस बात में जाना नहीं चाहता। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को यह कोटा दिया जाता है और अगर वे सही मायनों में इंडस्ट्री लगाएं तो काफी अनएम्पलाएमेंट दूर हो सकती है। सरकार जो कोटा देती है उसको यह देखना चाहिए कि वाकई वह इंडस्ट्री काम भी कर रही है या नहीं। मैं वित्त मंत्री के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूँ कि हरियाणा में कुछ फ़ैक्टरीज ऐसी हैं जो सरकार के कागजों में तो फ़ैक्टरी हैं लेकिन दरअसल उस तरह की कोई फ़ैक्टरी नहीं है। पिछले दिनों वे सरकार से कोटा लेती रही और वह सारा कोटा ब्लैक में बिकता रहा। सरकार को चाहिए कि वह इस बात की इन्क्वायरी करवाए कि कितने लोग हैं जो सरकार से कोटा लेते हैं और ब्लैक में बेच देते हैं। सरकारी कागजों में जो फ़ैक्टरीज हैं

वे वास्तव में हैं भी नहीं। इसकी इंकवायरी करवानी चाहिए। स्पीकर साहब, अगर ये सारी फैक्टरीज काम करने लगे जिनको कि सरकार की ओर से कोटा दिया जाता है तो काफी हद तक अनएम्पलाईमेंट दूर हो जाएगी।

स्पीकर साहब, अब मैं रूरल इंडस्ट्रीज के बारे में यहां पर एक दो बातें रखना चाहता हूं। यहां पर कई भाईयों ने एतराज किया कि पिछली सरकार ने जो रूरल इंडस्ट्रीज के बारे में पालिसी बनाई थी जिसमें देहाती भाईयों को इंडस्ट्रीज लगाने की सहूलियतें दी गई थीं, उस पालिसी को इस सरकार ने चेंज कर दिया है। इस सरकार ने उसमें कोई चेंज नहीं किया बल्कि उसमें थोड़ी सी तरमीम कर दी है जिससे कि भाहर का आदमी देहातों में भी इंडस्ट्री लगा सकता है। यह पाबन्दी नहीं है कि देहातों में केवल देहाती आदमी ही इंडस्ट्रीज लगा सकता है। पहली वाली इस लिमिटे इन को हमारी सरकार ने खत्म कर दिया है। अगर देहाती आदमी कोई ट्रेड न हो और वह इंडस्ट्री न लगा सके और अगर कोई भाहर का पढ़ा लिखा नौजवान वहां जाकर अपनी इंडस्ट्री लगा ले तो इसमें एतराज वाली बात नहीं होनी चाहिए अगर इस तरह से सिलसिला चलता रहेगा तो देश के लिए और हमारे प्रान्त के लिए बड़ा हितकर होगा। इससे अनएम्पलाईमेंट की समस्या भी हल होगी लोग नौकरियों की तरफ कम भागेंगे। इंडस्ट्रीज हमारे प्रान्त में ज्यादा बनपेंगी और इससे हजारों गरीबों को रोजगार भी मिलेगा।

स्पीकर साहब, आप बिड़ला और टाटा की मिसालें ही देख लीजिये वे राजस्थान के बसने वाले थे और उन्होंने बंगाल और दूसरी स्टेटों में जाकर अपनी इंडस्ट्री का जाल बिछाया और आपके सामने है कि आज उनकी फैक्ट्रियों के कारण लाखों आदमियों के पेट पाले जा रहे हैं और इससे दे 1 की तरक्की भी हो रही है। इंडस्ट्रीज भी पनप रही हैं। सो अगर इस तरह से हमारे दे 1 के अन्दर भी कदम उठाये जायेंगे तो यह कोई बुरी बात नहीं है। पढ़े लिखे नौजवान को अगर भाहर में जगह नहीं मिलती, देहातों में मिलती है तो उसे हर तरह से उत्साह देना चाहिये ताकि हमारे प्रान्त की बेरोजगारी दूर हो और नौजवान पढ़े लिखे लोग भी नौकरियों के पीछे न भागें। इसी तरह से मैं आपको अपने जुलाना के हलका की बात बताता हूँ। वहां पर एक किला जफरगढ़ है। वहां पर लाल चन्द नाम के एक व्यक्ति ने अपनी एक फैक्ट्री लगाई है और जिसके कारण से उस इलाके में बड़ी तरक्की हुई है क्योंकि वहां पर फैक्ट्री लगने से वहां के लोगों को काम मिला है। अतः हमें भी इसी तरह से सोचना चाहिये और किसी के साथ कोई भेदभाव की नीति नहीं अपनानी चाहिए कि ये भाहर में रहने वाले हैं, ये गांवों में रहने वाले हैं। अगर कोई देहात में पढ़ा लिखा नौजवान अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उसके लिए सरकार को हर तरह की सहूलियतें देनी चाहिये और अगर कोई देहात का भाई भाहर में जगह लेकर के अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उसके लिये भी सरकार को पूरी मदद करनी चाहिये ताकि नौजवान लोगों का हौसला बढ़े और

वे लोग नौकरियों के लिये कहीं और न भागें। इस तरह से हमारे प्रान्त में बेरोजगारी का ना 1 हो जाएगा। और सभी लोग खु 1हाल होंगे। इन भाब्दों के साथ मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं। कि हमारी इस सरकार ने रूरल इंडस्ट्रीलाईजे 1न के लिये जो पग उठाये हैं, वे वास्तव में बड़े ही सराहनीय हैं। (इस समय बहुत से मैम्बर बोलने के लिए खड़े हो गये)

डा0 मंगल सैन: स्पीकर साहब, मुझे भी बोलने के लिए टाइम चाहिये, बहुत जरूरी बातें कहनी हैं। स्पीकर साहब, मुझे पर्सनल एक्सप्लेने 1न भी देना है। इसलिये मेहरबानी करके मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिये। (विघ्न एवं जोर)

श्री अध्यक्ष: डाक्टर साहब, आप त 1रीफ रखिए।
There is no time lefet-now.

डा0 मंगल सैन: स्पीकर साहब, पांच मिनट में ही निपटा दूंगा। I have to say something important.

श्री अध्यक्ष: अब वित्त मंत्री महोदय बोलेंगे।

डा0 मंगल सैन: स्पीकर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, सिर्फ पांच मिनट दे दीजियेगा।

Mr. Speaker: I am sorry, Dr. Sahib, I have called the Finance Minister to speak.

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, मेरी बात तो सुनिये मुझे परसनल एक्सप्लेनेशन देना है।

श्री अध्यक्ष: डाक्टर साहब, आप बड़ी जबरदस्ती करते हैं। I have already said that I have called upon the Financial Minister to speak. दस मिनट फायनेंस मिनिस्टर बोलेंगे और उसके बाद फिर वोटिंग होगी। इसलिये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृपया बैठ जाईये as there is no time left now.

कामरेड भांकर लाल: स्पीकर साहब, मेरी भी रिक्वेस्ट है, कि मुझे भी बोलने का मौका नहीं दिया गया। आपने वायदा किया था कि मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान मैंने सबको 15—15 मिनट तक बुलवाया है। (गोर एवं व्यवधान) मैम्बर साहेबान, भान्त रहिये। अब फायनेन्स मिनिस्टर बोलेंगे।

वित्त मंत्री (लाला बलवन्त राय तायल): स्पीकर साहब, आज हमारे सामने डिमांडज का एक कन्सोलिडेटिड बिल जो यहां पर चर्चा हेतु चल रहा है और पिछले कई दिनों से यहां पर तमाम बजट पर भी चर्चा हो रही है, इनके बारे में, मैं कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। स्पीकर साहब, हरेक सदस्य ने अपने अपने विचार रखे हैं और जो नुक्स थे, वह आपके सामने लाये गए। बाबू मूल चन्द जैन जी ने भी अपने विचार इस सदन के सामने रखे और

ज्यादातर इस बात पर जोर दिया कि सरकार की जो टैक्स लगाने और इकट्ठा करने की नीति है वह ठीक नहीं है इसमें गरीबों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। गरीबों की सरकार की तरफ से कोई मदद करने का इतारा नहीं किया गया है। उससे आगे उन्होंने बोलते हुए पे कमिशन के बारे में भी कहा कि बजट में 31 करोड़ का घाटा दिखाया गया है और 15 करोड़ रुपया और देना पड़ेगा। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो 1979-80 का रुपया है, वह तो सारा प्रोवीडेंट फंड में जमा किया जाएगा इसलिये वह इसमें दिखाई नहीं दिया। मेरे विचार में उन्होंने बहुत जोर दिया उसकी फिगर में आपको बताना चाहता हूँ। 21-4-79 को हरियाणा में रोड़ टैक्स लगाया गया और वह टैक्स 21 आईटम्ज पर लगाया गया और एक महीना के बाद उन्होंने इसमें से आधी आईटम्ज निकाल दीं और आखिर में केवल पांच आईटम्ज ही रह गईं। वह आईटम्ज थी, टेक्सटाइल, मक्खन, घी, मुर्गियां और चीनी खांडसारी वगैरह वगैरह पर केवल टैक्स रहा और वह भी हरियाणा से बाहर जाने पर। यह ठीक है कि भुरु में 52 लाख रुपये की आमदनी हुई, 28 लाख बाहर से सामान आने पर और 24 लाख हरियाणा से सामान बाहर ले जाने पर। इस तरह से 100-150 रुपये रोज की आमदनी थी। अब चूंकि यह थोड़ी सी आमदनी रह गई थी, इसलिये हमने इन चीजों पर भी माफ कर दिया।

स्पीकर साहब, अब इन्होंने आगे मिनिस्ट्रों के रहने की बात भी कही कि रहने का तरीका क्या है ? मैं जैन साहब को यह बताना चाहता हूँ कि चौधरी देवी लाल जी की सरकार में ये खुद मंत्री थी, उन्होंने मकान तला ा करना भुरु किया और तला ा करते करते वाईट हाउस मिला जिसका तकरीबन 25 सौ रुपया महीना किराया दिया जबकि एक मिनिस्टर को 22 सौ रुपया तक का मकान लेने की इजाजत है। वह वाइट हाउस इसलिये था क्योंकि जब जाएं वह वाइट ही दीखता था, इसलिये उसका नाम वाइट हाउस पड़ गया। (गोर एवं व्यवधान)

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मैं तायल साहब को बताना चाहता हूँ कि जो मकान हमारे माननीय नेता को मिला था, उसका किराया केवल 15 सौ रुपया था और आपके डिप्टी मिनिस्टर सरदार खां जी ने वह मकान रिजैक्ट कर दिया कि यह टूटा फूटा है, इसका जीना टूटा हुआ है। उन्होंने वह मकान लेने से इंकार कर दिया है। ये तो बड़े सादा आदमी थे उनके बारे में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये और साथ में स्पीकर साहब, जो आदमी हाउस में प्रेजेन्ट न हो उनके बारे में ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिये।

लाला बलवन्त राय तायल: स्पीकर साहब, आपको पता है कि जब इनको वाइट हाउस मिला, उस वक्त जो ा में आकर के इन्होंने ये एलान कर दिया कि हम बजट के घाटे को पूरा करने के लिये इन बड़े बड़े मकानों में नहीं रहेंगे और छोटे

मकानों में जाएंगे और सादा जीवन व्यतीत करेंगे और आपने यह भी देखा होगा कि चौधरी देवी लाल * * * * छोटे मकान में आ गये और कुछ देर रहे भी। (गोर एवं व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि जो माननीय सदस्य अपने आपको डिफेन्ड न कर सके, इस हाउस में उपस्थित हों, उनके बारे में ऐसे डेरोगेटरी रिमार्कस नहीं देने चाहिये। तायल साहब ने जो * * * का भाब्द उनके बारे में प्रयोग किया है, स्पीकर साहब इसको एक्सपन्ज कराया जाए।

आवाजें: स्पीकर साहब, हाउस में इस बारे में यकीन दिलाया गया है कि इस तरह की बातें आगे से नहीं होगी। (गोर एवं व्यवधान)

लाला बलवन्त राय तायल: स्पीकर साहब, जब जैन साहब बोल रहे थे तब हमारे ट्रेजरी बैंचिज की तरफ से किसी प्रकार का दखल नहीं दिया गया था पर अब अपोजी उन की तरफ से बार बार इंटरूप्शन करने की कोशिश की जा रही है। (विघ्न)

Mr. Speaker: I would request the Hon. Minister not to mention the names of the persons who are not present in the House. (Interruptions)

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, हमारी रिक्वेस्ट है कि तायल साहब ने जो ये बड़े डेरोगेटरी रिमार्कस चौधरी देवी लाल

जी के बारे में कहे हैं उन को ऐक्सपंज कराया जाए। (गोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Mohd. Tughlak was a great king.
(Interruptions)

Shri Baldev Tayal: Speaker, Sir, no doubt, he was a great king but in history it has been stated that he was a foolish king. डेरोगेटरी रिमार्कस जो यहां पर दिये गये हैं, उसको ऐक्सपन्ज किया जाए।

Mr. Speaker: I will examine it and get the derogatory remarks expunged, if any. (Interruptions)

If the members of Lok Dal so much hurt on the comparison of Ch. Devi Lal with a great king. Mohd. Tughlak, then I request the Hon. Minister to get these remarks expunged. (Interruptions)

लाला बलवन्त राय तायल: स्पीकर साहब, आप जो हुक्म दें उससे मुझे इन्कार नहीं। अगर यह बात इनको पसन्द नहीं तो इसे बे तक काट दो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं आपको बता रहा था कि बजट पे आ करते वक्त जैन साहब ने कहा था कि हम छोटे मकान में जाएंगे और ऐसा करके एक आदर्श पे आ करेंगे। लेकिन वह आदर्श केवल 10दिन ही चला। दस दिन के बाद मैम्बरों ने लिख कर दिया कि मुख्य मंत्री जी अपने मकान में वापिस जाएं, उसके बगैर मुख्य मंत्री जी का काम नहीं चल सकता। उस समय जैन साहब भी छोटे मकान में आ गए। मैं जब उनको

मिलने के लिये जाता था तो उनके परिवार वाले मेरे से नाराज हुआ करते थे और कहते थे कि आप लोगों ने हमारा बड़ा मकान छुड़वा दिया। मैंने उनको कहा कि उन्होंने खुद छोड़ा है। यह गरीबों के साथ हमदर्दी की बात करते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इन्होंने वर्क चार्जड एम्पलाइज के बारे में बहुत कुछ कहा। ये भी मंत्री रहे हैं और उस टाइम पर वही वर्क चार्जड कर्मचारी काम करने वाले थे। लेकिन इन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। स्पीकर साहब, हमारी सरकार आने के बाद जब हमने यह सारा केस स्टडी किया तो हमने पांच साल की सर्विस वाले सभी वर्क चार्जड एम्पलाइज को रेगुलर करने का फैसला लिया। अब उनको दूसरे मुलाजिमों की तरह तमाम फैसिलिटीज मिलेंगी। इसके साथ ही जैन साहब ने मिनरल्ज के बारे में कहा। स्पीकर साहब, मिनरल्ज से सरकार अपनी आमदनी बढ़ाना चाहती है और हरियाणा के लिए यह एक सोर्स आफ इंकम है। जैन साहब, यह चीज मेरे नोटिस में लाए हैं, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ। इससे हमें 1977-78 में 1.32 करोड़ रुपये की आमदनी हुई और जब जैन साहब मिनिस्टर थे उस टाइम यह 1.11 करोड़ रुपये थी। 1979-80 में 1.45 करोड़ रुपये थी और 1980-81 में यह 1.60 करोड़ रुपये हो गई है। हम यह कोर्नर करते हैं कि हमारी आमदनी और भी बढ़े लेकिन मिनरल्ज का पांच साल का कन्ट्रैक्ट होता है अगर उन पांच सालों में कीमतें बढ़ जाएं तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद उन्होंने टैक्स के बारे में कहा। जो लोग थोड़ा सा सामान ले जाते हैं उनके बारे में भी ये

सोचते हैं कि उनकी तलाशी ली जाए। हमने जो छूट दी है उसका मतलब यह नहीं है कि हम उनको गलत काम करने के लिए एनक्रेज कर रहे हैं। सरकार उनको चैक करेगी और चैक करने के लिए हमने बैरियर्ज वगैरह बनाए हुए हैं लेकिन अगर इसी काम के लिए अलग स्टाफ लगाया जाये तो जितना उस स्टाफ पर खर्च होगा उतना टैक्स नहीं आएगा। जैसे मैंने बताया कि वैसे हमने सारे हरियाणा में स्मगलिंग को चैक करने के लिए और टैक्स इवेजन को चैक करने के लिए 40 बैरियर्ज लगाए हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मैम्बरों ने कहा है कि टैक्स की चोरी ज्यादा होती है। इसलिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। मैं उनसे एग्री करता हूँ और यह नहीं कहता कि हमारे पास सारे टैक्स आ जाते हैं। इस काम के लिए हमने स्टाफ लगाया हुआ है और जो ऐसी बात नोटिस में आती है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। मैं हाउस को विवास दिलाना चाहता हूँ कि जहां भी टैक्स इवेजन हमारे नोटिस में आएगा, वहां किसी के साथ रियायत नहीं की जाएगी। हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि सरकार के खजाने में ज्यादा पैसा आए। एक बात मैम्बर साहेबान ने और कही कि बजट के घाटे को पूरा करने के लिए बाद में टैक्स लगाये जाएंगे। अगर सरकार की आमदनी बढ़ गई तो हमें टैक्स लगाने का कोई भौक नहीं है। अगर हमने टैक्स लगाने होते तो आज के बजट में लगा सकते थे, उसमें हमें कोई रुकावट नहीं थी। इसके बाद हमारे एक नौजवान साथी श्री वीरेन्द्र सिंह ने दो तीन बातें कहीं। उन्होंने सोचा होगा कि मैंने जो हाउस के अन्दर आंकड़े

दिए थे वे जमींदारों के हिम में नहीं थे। उन्होंने सोचा कि मेरे दिल में जमींदारों के बारे में हित नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जितनी जमीनों के मालिक हैं, उससे ज्यादा मैं मालिक हूँ। (विघ्न) मेरे दिल में जमींदार के बारे में ऐसी कोई बात नहीं है जितने टैक्स हरियाणा को आते हैं उनमें हरियाणा के सभी निवासियों का हिस्सा है। फिर इन्होंने एक और बात रखी कि कुछ ऐसी क्लासिज गांवों में पैदा हो रही हैं जैसे कन्ट्रैक्टर्ज और डाक्टर्ज। सरकार को इनको भी चैक करना चाहिए। मैं अपने भाई को बताना चाहता हूँ कि इन्कम टैक्स का मामला सेंट्रल गवर्नमेंट का है। स्टेट गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती। फिर उन्होंने डिमंड की कि मुझे एग्रीकल्चर पर ज्यादा रुपया देना चाहिए था। चाहता तो मैं भी ऐसा ही था लेकिन बजट आपके सामने है इसमें से जितना दे सकता था उतना दिया है। मैं मानता हूँ कि हरियाणा में एग्रीकल्चर सैक्टर सबसे इम्पोर्टैंट सैक्टर है, इसको जितना बढ़ावा दिया जाए उतना थोड़ा है। उसके बाद स्वामी आदित्यवे । जी ने भिंडों के छत्ते को हाथ लगा दिया। उसमें एक बात जो आजादी की लड़ाई में आर०एस०एस० वालों के हिस्से की है वह ठीक है कि इस संस्था को बने हुए इतनी देर हो गई है लेकिन आजादी की लड़ाई में इनका कोई हिस्सा नहीं है। (गोर)

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। Founders of R.S.S. courted arrest and suffered miseries for the liberation of the country. He is ignoprant of these facts.

मास्टर रिाव प्रसाद: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। ऐसा नजर आता है कि वित्त मंत्री को इस बारे में ज्ञान में ही नहीं है। अब सन् 1965 और 1971 की लड़ाई हुई थी तो उस समय किस तरीके से इन लोगों ने बार्डर पर जाकर काम किया था यह बात उस समय के प्रधान मंत्री ने खुद कही थी। प्रधान मंत्री ने उनकी सराहना की थी। ये यह बात कैसे कह रहे हैं इनको तो कुछ पता ही नहीं है।

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, क्या इस बात का बजट से कोई संबंध है ?

श्री अध्यक्ष: इस बात पर मैं पहले भी 3-4 दफा कह चुका हूँ लेकिन मेरे द्वारा बार बार निवेदन करने के बाद भी सब साहेबान सदन में इर रैलवैंट बाते करते थे।

लाला बलवन्त राय तायल: स्पीकर साहब, मैंने जो हाउस के सामने बात आयी थी उसको क्लीयर करने की कोशिश की थी। अगर कोई आदमी 1947 से पहले आजादी की लड़ाई में गया हो तो उसको स्वतन्त्रता सेनानी माना जाता है लेकिन 1964 और 1965 वाले का नहीं माना जाता। स्पीकर साहब, बहन कमला वर्मा जी ने जगाधरी के टिम्बर मर्चेन्ट्स पर टैक्स के बारे में कुछ बातें कही थीं। स्पीकर साहब, जगाधरी में जो टिम्बर इंडस्ट्री है वह हरियाणा में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और वहां पर टिम्बर बौक्सिज बनते हैं वे आल इंडिया में सप्लाई होते हैं। और उनसे

लोगों का रोजगार भी मिलता है। लेकिन स्पीकर साहब, हिमाचल प्रदेश में परवाणू नाम की जगह है जहां पर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपने टिम्बर पर टैक्स की रियायत दी है। इसलिए कुछ टिम्बर मर्चेन्ट्स वहां चले गये हैं। इसी तरह से यू०पी० में और जम्मू कश्मीर में चले गए हैं। स्पीकर साहब, जगाधरी टिम्बर इंडस्ट्री के बारे में टैक्स स्ट्रक्चर कमेटी बनी हुई है। उसके अन्दर भी यह बात आई थी कि इस इंडस्ट्री को हरियाणा में बचाया जाए। स्पीकर साहब, मैं हाउस को यह विचार वास दिलाना चाहता हूँ कि जब इस कमेटी की मीटिंग होगी उसमें इस प्वायंट को जरूर रखेंगे और उस कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उस पर सरकार अमल करेगी। स्पीकर साहब, इन भावों के साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह विधेयक पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है कि—

दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 3) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: अब सदन बिल पर क्लोज बाई क्लोज विचार करेगा।

क्लोज 2

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है—

कि कलाज 2 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कलाज 3

श्री अध्यक्ष: प्र न है—

कि कलाज 3 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

डिब्बल

श्री अध्यक्ष: प्र न है—

कि डिब्बल बिल का डिब्बल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कलाज 1

श्री अध्यक्ष: प्र न है—

कि कलाज 1 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनेकिटिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष: प्र न है—

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष: प्र न है—

कि टाईटल बिल का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

वित्त मंत्री (लाला बलवंत राय तायल): स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूँ—

कि बिल पास किया जाए ।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि बिल पास किया जाये ।

डा० मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, इस प्रस्ताव को पास न किया जाए क्योंकि इस में जो 860 करोड़ 39 लाख 98 हजार 25 रुपए की राशि मांगी गई है इसके लिए हमें इस मंत्री परिशद पर यह भरोसा नहीं है । कि यह राशि ठीक प्रयोग की जाएगी या नहीं । स्पीकर साहब, वित्त मंत्री जी को इसके बारे में अ योरेंस देनी चाहिए थी । बाबू मूल चंद जैन जब इस बारे में मांग कर रहे थे कि यह राशि ठीक प्रयोग की जाए तो वित्त मंत्री

महोदय उन्हें बिलो दी बैल्ट हिट करते रहे और कुछ भी कहने में संकोच नहीं किया क्योंकि यह उनकी आदत में भुमार है। (गोर व विघ्न) स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सदन के सामने यह कहना चाहता हूँ कि एक हमारे माननीय सदस्य ने जनवरी में इन पर दबाव डाला कि मंत्री परिशद को ज्यादा न बढ़ाया जाए। स्पीकर साहब, हम तो चले गए अब तो इस मंत्री परिशद को ये छोटा कर दें (गोर) स्पीकर साहब, स्वामी आदित्यवे । जी की बातें सुन कर तो यदि कोई मर्द आदमी हो तो चुल्लु भर पानी में डूब मरे (गोर) स्पीकर साहब, इनको सोच कर बातें करनी चाहिए। बाबू जी 70 साल के बुजुर्ग आदमी हैं और उनको चोट भी लगी हुई है। मैं स्वामी जी से कहता हूँ कि आप एग्रे इंडस्ट्रीज कारपोरे इन के चेयरमैन हैं क्यों रखते हो गाड़ियां। आपको छोड़ देनी चाहिए। आप तो स्वामी हैं और महर्षि स्वामी दयानन्द जी के चैले हैं। (गोर एवं विघ्न) स्वामी जी मैंने आपकी तरह भेश बदल कर वोट नहीं लिए हैं मैं वहीं मंगल सैन का मंगल सैन हूँ। (गोर)

Mr. Speaker: Please stick to the subject. Please wind up (Interruptions & noise)

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं इसी पर आ रहा हूँ। स्पीकर साहब, मैं एक बात हाउस के सामने कहना चाहता हूँ। *

* * * * *
 * * * * *
 * * * *(गोर एवं विघ्न)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, डा० साहब जो कुछ भी बोल रहे हैं। इसका इस बिल से कोई ताल्लुक नहीं है। यह सदन की कार्यवाही में रिकार्ड न किया जाए। (गोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: यह रिकार्ड न किया जाए। (गोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: प्र न है—

कि बिल पास किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं० 1) बिल 1980

वित्त मंत्री (लाला बलवन्त राय तायल): मैं दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं० 1) बिल प्रस्तु करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि—

दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं० 1) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि—

दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं० 1) बिल पर तुरंत विचार किया जाए।

I would request the hon. Members to confine the speeches strictly to the subject matter of this Appropriation Bill and not other subject matter will be allowed to be discussed and brought in.

चौधरी सन्त कंवर (हसनगढ़): स्पीकर साहब, मैं इस बिल का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह बिल पास नहीं होना चाहिये और पास इसलिए नहीं होना चाहिए कि जब से विधान सभा का सै ान भुरू हुआ है तब से हाउस मे तमाम मैम्बरान की तरफ से सरकार से बार बार अनुरोध किया गया कि सूखे का सामना करने के लिए सरकार किसानों को सहायता दे। आज किसान सूखे से खत्म हो रहा है

श्री अध्यक्ष: आप किस बात पर बोल रहे हैं ?

चौधरी सन्त कंवर: मैं इरीगे ान पर बोल रहा हूँ, पिछले दिनों जो सूखा पड़ा

श्री अध्यक्ष: यह एप्रोप्रिए ान बिल तो साल 1974-75 के बारे में है। I am sorry 'Sukha' has got no connection with this Bill. (At this stage the hon. Member, Chaudhri Sant Kanwar, resumed his seat)

श्री अध्यक्ष: प्र न है कि—

दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं० 1) बिल पर तुरंत
विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: अब सदन बिल पर कलाज बाई कलाज
विचार करेगा।

कलाज 2

श्री अध्यक्ष: प्र न है—

कि कलाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कलाज 3

श्री अध्यक्ष: प्र न है—

कि कलाज 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

ि ाड्यूल

श्री अध्यक्ष: प्र न है—

कि ि ाड्यूल बिल का ि ाड्यूल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्ष: प्र न है—

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनेकिटिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष: प्र न है—

कि अनैकिटिंग फार्मूला बिल का अनैकिटिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष: प्र न है—

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वित्त मंत्री (लाला बलवंत राय तायल): अध्यक्ष महोदय,
मैं प्रस्ताव करता हूँ—

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि बिल पास किया जाये ।

श्री अध्यक्ष: प्र न है—

कि बिल पास किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं० 2) बिल 1980

वित्त मंत्री (लाला बलवन्त राय तायल): मैं दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं० 2) बिल प्रस्तु करता हूं ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि—

दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं० 2) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि—

दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं० 2) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए ।

डा० मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, यह सरकार एप्रोप्रिए ान (नं० 2) बिल के माध्यम से इस सदन से 393327845 रुपये स्वीकार करवाना चाहती है । स्पीकर साहब, मैं अपने आपको बिल्कुल बिल तक रैलेवैंट रखूंगा । मैं आपके

माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार ने जो खर्चा किया है वह बड़ी बेरहमी और निर्दयतापूर्ण किया गया है। स्पीकर साहब, इधर से एक आवाज आई कि उस वक्त मैं भी मिनिस्टर था। ठीक है 22-1-1980 तक हम सब इकट्ठे थे, फिर कारवां बिछड़ गया और जिन के खिलाफ इन्होंने इलैक्ट्रान लड़ा था, उसके पोस्टर भी नहीं फटे थे कि हमारे वित्त मंत्री महोदय, इन्दिरा जी के चरणों में जा बैठे। स्पीकर साहब, लोक सभा के चुनाव पर जो खर्चा हुआ है, उसके लिए इस बिल में प्रावधान किया हुआ है

श्री लहरी सिंह मेहरा: आन ए प्वायंट आफ आर्डर। जो पैसा बिल में मंजूर करवाने के लिए रखा है। इसमें एक लाख कुछ रुपया टैलीफोन के बिलों का भामिल है जो डा० मंगल सैन ने बाहर टैलीफोन किए हैं। (व्यवधान)

डा० मंगल सैन: चौधरी लहरी सिंह जी हरिजनों के बड़े हमदर्द हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि श्री लछमण दास एस०पी० और श्री कांसल इंस्पैक्टर, इन दोनों पुलिसमैन को चौधरी बंसी लाल की सरकार ने इंडिक्ट किया था, लेकिन मैंने उनके साथ इन्साफ किया और उनके हकायत में रहा। स्पीकर साहब, लोक सभा के चुनाव में हमारे मुख्यमंत्री कहा करते थे कि अगर इन्दिरा गांधी को वोट दे दिया तो फिर चुनाव कभी नहीं होंगे।

Mr. Speaker: I would request you to please stick to the subject under discussion.

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं पेज 2 डिमांड नं० 3 पर बोल रहा हूँ। जहाँ तक स्वामी जी का ताल्लुक है, स्वामी जी का पता नहीं बचपन कैसे गुजरा होगा लेकिन
.....

स्वामी आदित्यवे T: आन ए प्वायंट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, नियम 203 में लिखा हुआ है (गोर) "If an Appropriation Bill is in pursuance of a Supplementary Grant in respect of an existing service "

Mr. Speaker: Order please.

स्वामी आदित्यवे T: आन ए प्वायंट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, डा० मंगल सैन जी मांग का उल्लेख कर रहे हैं, ये मांग का उल्लेख नहीं कर सकते।

Mr. Speaker: Order please. Hon. Members, if an Appropriation Bill is in pursuance of a Supplementary Grant in respect of an existing service, the discussion shall be confined to the items constituting the same and no discussion shall be raised on the original grant nor the policy underlying it. I would, therefore, request the hon. Members to stick specifically to the Supplementary Grans.

13.00 बजे

डा० मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके हुक्म को जरूर मानूंगा लेकिन स्वामी जी को वैसे ही बहम हो गया है। (विध्न) स्वामी जी का तो मुकाबला ही कोई नहीं है। ये जब गुड़गांव जेल में थे तो इन्होंने एक पत्र लिखा था कि मुझे रिहा करवाओ। इनका माफीनामा आज भी बलवंत राय तायल जी के पास पड़ा हुआ है। (गोर)

अध्यक्ष महोदय, डिमांड नं० 4 में इन्होंने कहा है कि ओला वृष्टि के कारण किसानों की जो फसलें तबाह हुई हैं उसके लिए उन्हें इन्होंने मुआवजा दिया है और वह मुआवजा 54630680 रुपये का है। लेकिन मैं इन्हें कहना चाहता हूं कि अगर आपने हेल स्टोर्म से हुई बरबादी की वजह से किसानों की मदद की है तो सूखे की वजह से राहत देने में क्यों पीछे हटते हो ? (विध्न) स्पीकर साहब, इनको अकाल से पीड़ित लोगों को भी पैसा देना चाहिए। (विध्न)

श्री अध्यक्ष: डाक्टर साहब, अब आप वाइन्ड अप कीजिए। आपको बोलते हुए सात मिनट हो गए हैं जबकि पांच मिनट से ज्यादा इस पर कोई बोल नहीं सकता।

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, यह फर्स्ट रीडिंग है। मैं इररैलेवैंट नहीं बोलूंगा। (विध्न) वित्त मंत्री महोदय ने सफा 20 पर फरमाया है कि जागीरदारों को 87 लाख रुपया

दिया जाएगा। क्यों और किससे दिया जाएगा यह कुछ नहीं लिखा है। क्या ये वे लोग तो नहीं हैं जो चौधरी लाल सिंह जी के मुकाबले में चुनाव लड़ते रहे हैं ?

इसके बाद अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री जी को एक लाख रुपया दिया जाए क्योंकि इनके पास विकलांग, गरीब, मजलूम और निर्धन, बेबस लोग आते हैं। (विघ्न) स्पीकर साहब, यह बात बिल्कुल ठीक है। मुख्य मंत्री जी को एक लाख तो क्या कई लाख दे देना चाहिए। (विघ्न) यह तो हम एक इन्स्टिट्यूट के लिए प्रोविजन करने जा रहे हैं। कोई भी चीफ मिनिस्टर आ जाए उसे यह पैसा मिलेगा। आज तो श्री भजन लाल जी है और भायद पन्द्रह दिन या महीना भर और चलेंगे क्योंकि फिर तो असैम्बली ने टूटना ही है। (विघ्न)

सिंचाई तथा बिजली उप मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह):
डाक्टर साहब मदारी बहुत अच्छे हैं। (विघ्न)

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, भाई देवेन्द्र जी मुझे मदारी कहते हैं लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि जनता ने मुझे यहां चुनकर भेजा है, उनकी तकलीफ, परे गानी और गरीब आवाम की धड़कन की तरजुमानी तो यहां करनी ही पड़ेगी। मैं इनकी तरह नहीं हूँ। कुरुक्षेत्र में जब लोक नायक जय प्रकाश नारायण जी आए थे तो कहा

गया था कि उनकी याद में स्मृति मन्दिर बनाएंगे। लेकिन सारे बजट में उनके लिए कोई प्रोविजन नहीं किया गया है। गांधीवादियों कम से कम अपने कहे का तो ख्याल कर लिया करो। (गोर) स्पीकर साहब, देवेन्द्र जी कहते हैं कि मैं मदारी हूँ लेकिन स्पीकर साहब, मेरी मजबूरी है क्योंकि मुझे * * * को नचाना पड़ता है। (गोर)

(इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष: स्वामी आदित्यवे ।।

स्वामी आदित्यवे । (हथीन): स्पीकर साहब, 39 करोड़ रुपये का ऐप्रोप्रिए ान बिल सदन के सामने रखा गया है। (विघ्न)

चौधरी गंगा राम: स्पीकर साहब, मैं आपके नोटिस में एक बात लाना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष: मेरे नोटिस में अगर आप कोई बात लाना चाहते हैं तो आप कृपया मेरे चैम्बर में आ जाना।

चौधरी गंगा राम: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। कई मैम्बर यहां बार बार बोल रहे हैं। मेरा नाम बोलने वालों की लिस्ट में टोप पर था परन्तु मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है।

Mr. Speaker: Ch. Ganga Ram, you have spoken the maximum. (Interruptions)

चौधरी गंगा राम: स्पीकर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वह तो अनऑफिशियली बोला था। (हंसी)

श्री अध्यक्ष: स्वामी आदित्यवे जी आप बोलिये।
(गोर)

Mr. Speaker: Ch. Ganga Ram Ji, please sit down.

चौधरी गंगा राम: एक सैकिंड। (गोर) * *
* * * * * * * * * *
*

Mr. Speaker: Nothing will be recorded.

चौधरी गंगा राम जी आपने कहा कि ऑफिशियली आपको कोई टाइम नहीं मिला है। आप गवर्नर ऐड्रेस पर 5.45 से लेकर 6.04 तक यानी 19 मिनटस बोले हैं। इसलिए मैं ताकीद करता हूँ कि कृपया हाउस को इस तरह मिसलीड करने की कोशिश न करें। Ch. Ganga Ram Ji, I wish you should not mislead the House.

स्वामी आदित्यवे जी: स्पीकर साहब, मैं इन विनियोग विधेयक को स्पोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह सारा पैसा कन्टीनजेंसी में से खर्च किया गया है। डा10 मंगल सैन और इनके बंधुओं के समय में यह पैसा खर्च हुआ

हूँ। स्पीकर साहब, उधर बैठे हुए भाई हमें 11 मेरे बाने पर अटैक करते हैं (गोर) मैं चाहूंगा कि अगर डा० मंगल सैन जी में हिम्मत है तो एक बार वे ऐसे कपड़े पहन कर देख लें। (गोर)

डा० मंगल सैन: मैं ईमानदारी से पहनूंगा, छल कपट से नहीं। (गोर)

स्वामी आदित्यवे 1: अध्यक्ष महोदय, डा० मंगल सैन कहते हैं कि मैं घर में रहते हुए भी ब्रह्मचारी हूँ लेकिन * * * * (गोर)

श्री अध्यक्ष: जो कुछ कहा गया है, यह रिकार्ड न किया जाए।

कामरेड भांकर लाल (सिरसा): स्पीकर साहब, आज हाउस में एप्रोप्रिए 11न बिल पर चर्चा चल रही है। इस दे 11 के अन्दर जो किसान होता है । (गोर)

श्री अध्यक्ष: आप सप्लीमेंटरी ऐस्टीमैटस पर ही बोलिए। (विघ्न एवं भाोर)

Dr. Mangal Sein: On a point of personal explanation, Sir, (Interruptions)

MR. Speaker : Sahib, please sit down.

Hon. Members, I must take strong objection to the way this House is being conducted now. This is an

Assembly of the Haryana Vidhan Sabha. It is not a fish market like Bengal, Calcutta or something like that. For God sake please behave yourselves properly. I am sorry that I have to speak in such a strong language. The standard of the House is being brought down to the lowest possible limit that I can think of.

कामरेड भांकर लाल: स्पीर साहब, मैं किसानों के खर्चे पर बोल रहा था। किसानों को कम पैसा दिया जाता है। किसान पैदावार करता है लेकिन उसको भाव ठीक नहीं मिलता। आज किसान दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। मेहनत करने के बाद भी उसको पूरा मुआवजा नहीं दिया जाता।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि जब तक जमीन का बंटवारा नहीं होगा तब तक किसान का भला नहीं हो सकता। जो किसान अन्न पैदा करता है उसको ही जमीन मिलनी चाहिए। किसान जमीन का सीना चीरकर अन्न पैदा करता है। जब तक किसानों को जमीन का भूमिकरण नहीं होता तब तक किसान का भला नहीं होगा। आज भी इस देश के अन्दर जागीरदारी सिस्टम मौजूद है। सरप्लस जमीन कितनी पड़ी हुई है परन्तु आज तक उसको तकसीम नहीं किया गया। सरप्लस जमीन भूमिहीन किसान और मजदूर को दी जानी चाहिए। जब तक यह जमीन इनको नहीं दी जाएगी तब तक देश का भला होने वाला नहीं है।

(विधन) स्पीकर साहब, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, मैं तो सीधी साधी बात कहना चाहता हूँ। किसान की जमीन का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। जिसके पास जमीन है जो जमीन पर काम करता है वह उसी के पास रहनी चाहिए। जमीन को पैदावार बढ़ाने के लिए सरप्लस जमीन को तकसीम कराये जो महकमा बना हुआ है उस पर आप सख्ती से नजर रखें। जिनके पास जमीन है वे जमीन मालिकों से डरते हैं। सरप्लस जमीन के झगड़े चल रहे हैं। किसान को उस जमीन का कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि जो मिलता है वह झगड़े में खत्म कर देता है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष: प्र न है कि—

दि हरियाणा एप्रोप्रिए टान (नं० 2) बिल पर तुरंत विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: अब सदन बिल पर क्लोज बाई क्लोज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री अध्यक्ष: प्र न है—

कि क्लोज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 3

श्री अध्यक्ष: प्र न है—

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

ि ाड्यूल

श्री अध्यक्ष: प्र न है—

कि ि ाड्यूल बिल का ि ाड्यूल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्ष: प्र न है—

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनेकिटिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष: प्र न है—

कि अनैकिटिंग फार्मूला बिल का अनैकिटिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष: प्र न है—

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वित्त मंत्री (लाला बलवंत राय तायल): अध्यक्ष महोदय,
मैं प्रस्ताव करता हूँ—

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि बिल पास किया जाये।

डा० मंगल सैन (रोहतक): मेरी सबमिशन है कि अभी
जो बात स्वामी जी ने फरमाई है। वह गलत है। मैं आपकी बात से
सहमत हूँ कि सदन में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। (गोर)

* * * *

श्री अध्यक्ष: अगर कोई एक दूसरे पर इल्जाम लगाये तो
वे प्रोसिडिग्स में नहीं आना चाहिए। (गोर)

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं ज्यादा से ज्यादा तो
कुछ नहीं कहना चाहता केवल इतना ही कहना चाहता हूँ —

मत सता गरीब को गरीब रो देगा ।

जब खुदा सुनेगा उसकी तो जड़ से खो देगा ।

बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि यह बिल पास नहीं होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष: प्र न है —

कि बिल पास किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष: अब सदन आज दिनांक 20-3-80 बाद दोपहर 3.00 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है ।

***13.23 बजे**

(तत्प चात सदन दिनांक 20-3-1980, 15.00 बजे तक के लिए स्थगित हुआ ।)

ANNEXURE

Declaration of Surplus exempted land

***1659. Shri Mool Chand Jain:** Will the Minister for Revenue be pleased to state-

(a) the total area of the exempted land out of the land declared surplus upto 31-12-1979 that has been purchased by tenants and the total area so exempted in favour of the inheritors;

(b) whether any stay orders granted in respect of the surplus land have been vacated; If so, whether that land has been allotted to the eligible persons; if not, the steps, if any, taken to get the stay orders vacated;

(c) whether physical possession has been delivered to the allottees of surplus land, if so, the total area of that land and the number of allottees thereof; and if not, steps, if any, taken upto now to deliver the physical possession; and

(d) whether mutations have been sanctioned in favour of the allottees of the surplus land as referred to in part (b) above; if not the reasons therefor ?

राजस्व मंत्री (चौधरी भोर सिंह):

(ए) 31-12-1979 तक सरप्लस घोषित हुई भूमि में से कुल छूट में आया क्षेत्र, जो कि मुजारों द्वारा खरीद कर लिया गया 73952 एकड़ तथा बारि गों के हक में कुल छूट अधीन आया क्षेत्र 33729 एकड़ है।

(बी) बन्दी आदे 1, समय समय पर सक्षम राजस्व न्यायालयों तथा उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए जाते हैं और हटाए जाते हैं और जहां कहीं ऐसी अदालतों द्वारा बन्दी आदे 1 के हटाए जाने पर सरप्लस भूमि उपलब्ध होती है तो उसे पात्र कैटेगरीज में बांट दिया जाता है।

(सी) कुल 106390 एकड़ सरप्लस क्षेत्र में से जो कि 32095 पात्र व्यक्तियों में बांटा गया है 18276 व्यक्तियों को 57892 एकड़ सरप्लस भूमि के वास्तविक कब्जे दिए जा चुके हैं। सरकार द्वारा समय समय पर क्षेत्रीय अधिकारियों को सभी अलाटियों को उन्हें अलाट की गई भूमि के वास्तविक कब्जे देने बारे, हिदायतें जारी की गई हैं। सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बैठकें बुलाकर क्षेत्रीय अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे अलाटियों को भूमि के वास्तविक कब्जे भीघ्न प्रदान करें। क्षेत्रीय अधिकारियों को पुनः आवेक हिदायतें जारी की जा रही हैं कि वे भोश अलाटियों को मास मई तथा जून 1980 की अवधि के दौरान जबकि भूमि रबी की फसल कटने के पचास खाली होगी, कब्जे दिलवाने बारे भरसक प्रयत्न करें।

(डी) जबकि उपरोक्त (बी) में वर्णित सरप्लस भूमि के अलाटियों के नाम भूमि के इंतकाल भीघ्नता से स्वीकृत करने बारे हर सम्भव प्रयत्न किये जाते हैं, परन्तु उन केसों की संख्या बताना, जिनमें कि ऐसे इंतकाल स्वीकृत हुए हैं, सम्भव नहीं हैं।